



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 नवम्बर, 2016

अग्रहायण 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-13

संख्या 624/एक-13-2016-5क(25)-2013

लखनऊ, 23 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

प0आ0-610

चूँकि प्रारूप नियमावली अर्थात् 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 का 30) की धारा 112 की अपेक्षानुसार, शासकीय अधिसूचना संख्या 368/1-13-2015-5क(25)-2013 दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, नियत समय के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि नियत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतएव, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013 का 30) की धारा 109 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016

अध्याय-1

साधारण

1-(1) यह नियमावली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2-(1) इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 का 30) से है;

(ख) “एजेन्सी” का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के लिए नियुक्त एजेन्सी से है;

(ग) “कलेक्टर” का तात्पर्य अपर कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति), विशेष भूमि अर्जन अधिकारी और उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी और अन्य ऐसे अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (छ) के अधीन नियुक्त किया जाये, से है;

(घ) “जिला कलेक्टर” का तात्पर्य राजस्व जिले के कलेक्टर से है;

(ङ) “प्रारूप” का तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत विहित किये गये प्रारूप से है;

(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(छ) “स्थानीय निकाय” और “स्थानीय प्राधिकरण” का तात्पर्य ऐसे ग्रामीण स्थानीय निकायों यथा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और शहरी स्थानीय प्राधिकरण यथा नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद से है, जो कि अपने विशिष्ट अधिनियमों के अन्तर्गत गठित अथवा स्थापित हों;

(ज) “योजना” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (2) के अनुसार प्रशासक द्वारा तैयार की गयी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना से है;

(झ) “सामाजिक समाघात निर्धारण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-4 के अधीन किये जा रहे निर्धारण से है;

(ञ) “सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग रूप में तैयार की गई योजना से है;

(ट) “राज्य मानीट्रिंग समिति” का तात्पर्य अधिनियम की धारा-50 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको मानीटर करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम में परिभाषित वही अर्थ शब्दों व पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में कमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-2

सामाजिक समाघात निर्धारण

सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन

3-(1) अर्जन के सम्बन्ध में अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त, राज्य सरकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा-4 (1) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रारूप-1 में निर्गत करेगी। वह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने के लिए अधिकृत सामाजिक समाघात एजेन्सी का नाम भी अधिसूचित करेगी।

(2) अधिसूचना की प्रति स्थानीय भाषा में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/जिला कलेक्टर/परगना मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

(3) ऐसी कोई भी अधिसूचना, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए प्रक्रियात्मक फीस जमा कराये जाने के तीस दिन के अन्दर जारी की जायेगी।

(4) ऐसी कोई भी अधिसूचना तब तक निर्गत नहीं की जायेगी जब तक कि अपेक्षक निकाय द्वारा ऐसी धनराशि अग्रिम रूप में न जमा करा दी जाय, जैसा कि इस नियमावली के संगत नियम के अधीन निर्धारित है।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन धारा-4 के लिए प्रभावित क्षेत्रों पड़ने वाले नगर/ग्राम स्तर अथवा वार्ड स्तर सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित किया जायेगा।

4-(1) राज्य सरकार अथवा कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, जिला सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी, जिसे आगे एजेन्सी कहा गया है, चिन्हित करेगी अथवा स्वतंत्र वाह्य एजेन्सी की स्थापना करेगी, जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जन के सभी मामलों में ऐसे व्यक्तियों, जो अपेक्षक निकाय से भिन्न हों, से सामाजिक समाघात निर्धारण कराने के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी के चुनाव हेतु सरकार के नियोजन विभाग को भी नामित कर सकेगी। वह इस नियमावली के उपनियम (3) के अनुसार कार्यवाही करेगी।

सामाजिक
समाघात निर्धारण
के लिए संस्थागत
सुविधा एवं
सहायता

(2) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अथवा कलेक्टर अथवा नियोजन विभाग, जैसी भी स्थिति हो, विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के सामाजिक कार्य विभागों, संकायों, गैर सरकारी संस्थाओं, विषय के पेशेवर व्यक्तियों से, जो अधिनियम के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए उत्तरदायी होंगे, प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित कर सकेगी/सकेगा।

(3) राज्य सरकार, कलेक्टर अथवा नियोजन विभाग, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के सामाजिक कार्य विभागों, संकायों, गैर सरकारी संस्थाओं, विषय के पेशेवर व्यक्तियों में से ऐसे मान्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूची तैयार करेगी/करेगा। उनकी क्षमता का आकलन साक्षात्कार द्वारा और उनके अनुभव तथा ख्याति का आकलन कर सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए जिम्मेदारी देने हेतु परियोजना की आवश्यकतानुसार सुविज्ञ व्यक्तियों का समूह तैयार करेगी/करेगा और नियम-3 के उपनियम (2) के अन्तर्गत चयनित एजेन्सी का नाम अधिसूचित किया जायेगा।

(4) परियोजना क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए एजेन्सी की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपेक्षक निकाय को किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) एजेन्सी के आकार और चयन की प्रक्रिया परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन (टीओआर) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(6) उन क्षेत्रों में, जहां इस प्रकार की क्षमता वाली एजेन्सियां उपलब्ध न हों अथवा लागत-लाभ की दृष्टि से ऐसी एजेन्सियों को नियुक्त किया जाना अव्यावहारिक हो, तब राज्य सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया अपने कर्मियों अथवा अधिकारियों से करा सकेगी। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला स्तरीय अन्य अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर का न हो, को प्रक्रिया को मानीटर किये जाने हेतु नोडल आफिसर के रूप में नामित कर सकेगी।

(7) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए चयनित एजेन्सी एक समूह संचालक नियुक्त करेगी, जो निर्धारण प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर एवं सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी के साथ समन्वय स्थापित करेगा और दी गयी समयावधि के अन्तर्गत आवश्यक गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) एजेन्सी का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समूह के नियुक्त सदस्यों के मध्य परियोजना के आकलन के लिए कोई लाभ विभेद सम्मिलित न हो।

(9) यदि किसी प्रकम पर ऐसा पाया जाता है कि कोई समूह सदस्य अथवा समूह सदस्य का कोई पारिवारिक सदस्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपेक्षक निकाय से अथवा परियोजना में किसी अन्य पक्षधारी से लाभ प्राप्त करता है अथवा परियोजना में उसकी कोई साझेदारी हो, तब उस सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा और सरकार उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।

परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन (टीओआर) और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए प्रक्रियात्मक शुल्क

5-(1) कलेक्टर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए निर्देश-निबंधन (टीओआर) सामाजिक समाघात निर्धारण करने वाली एजेन्सी से परामर्श करते हुए प्रारूप-2 पर अन्तिम रूप दिया जायेगा:

परन्तु यदि सरकार के नियोजन विभाग द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी का चयन किया जाता है तब निर्देश-निबंधन पर विचार करने एवं अन्तिम रूप प्रदान करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा और इस सम्बन्ध में वह अपनी संस्तुति, राज्य सरकार अथवा कलेक्टर को प्रेषित करेगा।

(2) जब राज्य सरकार/कलेक्टर और एजेन्सी कार्य के निमित्त दरों पर परस्पर सहमत हों, तब जिला कलेक्टर, यदि वह परियोजना के लिए समुचित सरकार है, तब निर्देश-निबंधन को अनुमोदित करेगा। अन्य मामलों में कलेक्टर उक्त प्रस्ताव को सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन के लिए अपनी संस्तुति के साथ प्रेषित कर देगा।

(3) यदि किसी परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि एक से अधिक जिले की सीमाओं में अवस्थित है, तब सम्बन्धित समुचित सरकार अथवा कलेक्टर, प्रस्ताव को राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) अनुमानित सामाजिक समाघात निर्धारण शुल्क अपेक्षक निकाय द्वारा कलेक्टर के पक्ष में जमा किया जायेगा जिसमें सामाजिक समाघात निर्धारण शुल्क का दस प्रतिशत सामाजिक समाघात निर्धारण का निर्देश-निबंधन (टीओआर) तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय के लिए आवंटित किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट खाते में कलेक्टर द्वारा जमा कराया जायेगा।

(5) अवशेष नब्बे प्रतिशत सामाजिक समाघात निर्धारण शुल्क को सम्बन्धित कोषागार में कलेक्टर के जमा खाते में जमा किया जायेगा। यह धनराशि निर्देश-निबंधन के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित व्ययों के लिए कलेक्टर के अनुमोदन से व्यय की जायेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण के संचालन की प्रक्रिया

6-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी एवं अपेक्षक निकाय सम्पूर्ण सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया अवधि के दौरान एजेन्सी द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ उपलब्ध करायेंगे। एजेन्सी द्वारा ऐसी किसी सूचना के लिए किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में, किये गये अनुरोध के दिनांक से, 15 दिवस की अनधिक अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

(2) एजेन्सी परियोजना क्षेत्र में परिमाणात्मक और गुणात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगी, स्थल का विस्तृत भ्रमण करेगी, केन्द्रित समूह विचार-विमर्श सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों की सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगी। सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत निर्धारण की प्रक्रिया का सम्पादन किया जायेगा। इस आकलन में निम्नलिखित का अवधारण किया जायेगा, अर्थात्-

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी सम्मिलित है जो परियोजना के पर्यावरणीय सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे।

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और अवस्थिति;

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित भूमि का केवल न्यूनतम है;

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता;

(ङ) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अन्तिम विकल्प है, जैसा कि भारत के संविधान की अनुसूची-5 और 6 में प्रावधान किया गया है;

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, पहचान किये गये पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जायेगा और भूमि और उसके वर्तमान निवासित जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जायेगी।

(3) भूमि निर्धारण, भू-अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित तथ्यों के आधार पर एजेन्सी प्रभावित कुटुम्बों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुम्बों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, एजेन्सी ऐसे सभी प्रभावित कुटुम्बों की गणना करेगा।

(4) प्रभावित क्षेत्र की, उपलब्ध आंकड़ों और सांख्यिकी क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शों पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

(5) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, इस नियम के प्रारूप-3 में राज्य सरकार को, निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत होने के, दो माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें प्रभावित कुटुम्बों के सम्बन्ध में लेखबद्ध अभिलिखित दृष्टिकोण शामिल होगा। तथापि राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अवधि को छः माह तक (जिसमें पूर्व में दिया गया समय सम्मिलित होगा) विस्तारित कर सकेगी।

(6) सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत निर्धारण के प्रक्रम पर पहचान किये गये सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किये जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबन्ध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन दिये गये प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(7) सामाजिक समाघात निर्धारण द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों के संतुलन और वितरण का निश्चायक निर्धारण उपलब्ध कराना होगा जिसके अन्तर्गत शमन उपाय भी है और यह निर्धारण भी उपलब्ध कराया जायेगा कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक है जिनके प्रभावित कुटुम्बों द्वारा अनुभूत किये जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी प्रभावित कुटुम्बों उक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में तो नहीं रहेंगे। सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धान्त इन नियमों के अन्तर्गत प्रारूप -4 में दिये गये हैं।

(8) जहां कहीं भी कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण किया जाता है वहां इस रिपोर्ट की प्रति, जहां आवश्यक हो, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये समाघात निर्धारण अधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) एजेन्सी द्वारा निर्धारण रिपोर्ट के साथ व्यवहार्यता/परियोजना समाघात रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का सार भी प्रस्तुत किया जायेगा।

7-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के पूर्ण किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा, प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराकर और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चरपा कराते हुए सुनवाई की तिथि से अन्यून सात दिन की सूचना पर लोक सुनवाई करायी जायेगी, जिसमें सुनवाई का समय, स्थान, तिथि और अन्य आवश्यक विवरण निर्दिष्ट होंगे। इस सूचना को जिला अथवा सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

(2) लोक सुनवाई, यथा स्थिति, सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा स्थानीय निकाय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थान अथवा प्रभावित क्षेत्र में सुविधाजनक स्थान पर कराई जायेगी। राज्य सरकार सुनवाई किसी अन्य सुलभ स्थान पर कराये जाने के सम्बन्ध में, इसका औचित्य दर्शाते हुए और सूचना समुचित रूप से प्रकाशित कराते हुए, निर्णय ले सकेगी।

(3) राज्य सरकार लोक सुनवाई हेतु डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार स्तर के राजस्व अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी के, यथास्थिति, सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही सुगमता से स्थानीय प्रशासन के समुचित रूप से अधिकृत शासकीय अधिकारियों के साथ सम्पादित करायी जायेगी।

(5) प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के समय सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में प्रतिपुष्टि की जायेगी और इस पर अतिरिक्त सूचनाओं एवं दृष्टिकोण को अन्तिम निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

सामाजिक
समाघात
निर्धारण रिपोर्ट
एवं सामाजिक
समाघात प्रबन्धन
योजना पर
लोक सुनवाई
करने के लिए
संचालन की
रीति

(6) लोक सुनवाई ऐसी सभी ग्राम सभाओं में की जायेगी जहां बीस प्रतिशत से अधिक सदस्य भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों।

(7) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप लोक सुनवाई से न्यूनतम सात दिवस पहले जनसामान्य के निरीक्षण हेतु कलेक्टर, के कार्यालय में प्रकाशित किया जायेगा।

(8) अपेक्षक निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) सुनवाई की समस्त कार्यवाहियां स्थानीय भाषा में की जायेगी ताकि समस्त प्रतिभागियों को समझने में सुगमता हो और अपने विचार प्रकट कर सकें।

(10) अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और विचारों पर ध्यान देंगे।

(11) जन सुनवाई की कार्यवाहियों की आवश्यकतानुसार वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी और लोक सुनवाई का कार्यवृत्त तैयार कराया जायेगा। लोक सुनवाई की रिकार्डिंग और कार्यवृत्त की प्रति अन्तिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न की जायेगी।

(12) लोक सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी, लोक सुनवाई के समय प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगी और तदनुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में सम्मिलित करेगी।

(13) लोक सुनवाई में उठाये गये प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जायेगा और सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार कर लिया गया है।

(14) किन्हीं भी मामलों में पुनर्सुनवायी की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि अन्यथा यह स्थापित न हो कि पूर्व सुनवायी में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा सुनवायी के समय किसी व्यक्ति/सदस्य द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो, जिसके फलस्वरूप शान्ति और कानून एवं व्यवस्था प्रभावित हुई हो। किसी कार्यवाही के प्रभावित होने की स्थिति में अगली लोक सुनवाई को पूर्ण समझा जायेगा। ऐसी स्थिति में दावों, आपत्ति/सुझावों के लिए सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को प्रकाशित किया जाना

8-लोक सुनवाई के पश्चात्, अन्तिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, यथा स्थिति, कलेक्टर अथवा राज्य सरकार को प्रकाशन के लिए उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, कलेक्टर, परगना मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार के कार्यालयों में प्रकाशित कराया जायेगा। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की एक प्रति अपेक्षक निकाय को भी दी जायेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रस्तुत किया जाना

9-(1) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए बनाया जायेगा और एजेन्सी द्वारा, यथास्थिति, कलेक्टर अथवा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्राप्त होने पर उनके द्वारा इसे दो सप्ताह के भीतर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को प्रेषित करने से पूर्व सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना पर अपेक्षक निकाय को लोक सुनवायी के समय प्रस्तुत दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा। अपेक्षक निकाय अवसर की सूचना प्राप्ति के दस

दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करेगा। यदि दस दिवस के अन्तर्गत कोई सुझाव प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि अपेक्षक निकाय को प्रबन्धन योजना का ड्राफ्ट स्वीकार्य है। तत्पश्चात् कलेक्टर अथवा राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना के सम्बन्ध में समुचित अभिलेखों के साथ, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा।

10—(1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:—

(क) दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(ख) पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के दो प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो;

(ग) पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ; और

(घ) परियोजना से सम्बन्धित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ:

परन्तु राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार के नियोजन विभाग को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु सदस्यों के मनोनयन हेतु अधिकृत कर सकेगी।

(2) विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) और (5) में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत करेगा और इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के दो माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा:

परन्तु विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी सिफारिशों में उन आधारों को, जिनकी बावत सिफारिश की जा रही हो, उसके व्यौरे और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण देते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करेगी जहां विशेषज्ञ समूह का मत है कि परियोजना का तुरन्त परित्याग कर दिया जाय और भूमि के अर्जन के लिए कोई और कदम न उठाये जायँ अथवा अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया अर्थात् न्यूनतम सीमा तक है और इससे कम विस्थापित किये जाने सम्बन्धी अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की गयी संस्तुति की एक प्रति समुचित सरकार और अन्य प्रति जिला कलेक्टर को प्रकाशन के लिए प्रेषित की जायेगी।

(3) जिला कलेक्टर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को, स्थानीय भाषा में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, कलेक्टर, परगना मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

11—(1) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलेक्टर की रिपोर्ट यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों, जिससे जनता के न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो, की सिफारिश करेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस बात का समाधान होने पर कि अपेक्षित भूमि अथवा अपेक्षा की जाने वाली भूमि की लोक हित में आवश्यकता है, तब कलेक्टर को अर्जन की अग्रतर कार्यवाही करने के लिए अन्तिम संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी। इन संस्तुतियों को यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, कलेक्टर, परगना मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार के कार्यालयों में प्रकाशित कराया जायेगा। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

बहुशाखीय
विशेषज्ञ समूह
का गठन और
सामाजिक
समाघात
निर्धारण रिपोर्ट
का मूल्यांकन

सामाजिक
समाघात
निर्धारण रिपोर्ट,
विशेषज्ञ समूह
द्वारा की गयी
सिफारिशों पर
राज्य सरकार
द्वारा विचार

भू-अर्जन और
पुनर्वासन एवं
पुनर्व्यवस्थापन के लिए
वेब-आधारित कार्य
प्रगति और प्रबन्धन
सूचना तंत्र
(एम0आई0एस0)

बंजर, अनुपजाऊ और
अनुपयोजित भूमि की
सूची

सहमति प्राप्त करने
की अपेक्षाएँ एवं
प्रक्रिया

12-राज्य सरकार एक समर्पित, प्रयोक्ता अनुकूल वेबसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करे जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना से आरम्भ होकर विनिश्चय करने, कार्यान्वयन और संपरीक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक अर्जन मामले की सम्पूर्ण कार्य प्रगति को चरणबद्ध तरीके से दर्शाया जायेगा।

13-भूमि की न्यूनतम मात्रा के अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि की जिला स्तरीय सूची तैयार करने के लिए किसी विभाग को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी और निवेदन किये जाने पर या आवश्यकता होने पर सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे सामाजिक समाघात निर्धारण टीम और विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध करायगी। सूची रिपोर्ट को समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा।

अध्याय-3

सहमति

14-जहां धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए अपेक्षा की जाती हो, वहां कलेक्टर सहमति और घोषणा के लिए प्रारूप-5 में प्रभावित भू-स्वामियों से पूर्व सहमति सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ अभिप्राप्त करेगा। सहमति अभिप्राप्त करने के लिए कतिपय सिद्धान्त निम्नवत् हैं:-

(क) कलेक्टर पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में अपनी सहायता के लिए राजस्व अधिकारियों अथवा अपने नियंत्रणाधीन अन्य अधिकारियों की टीम गठित कर सकेगा;

(ख) कलेक्टर अथवा जिला कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने वाले परगना अधिकारी द्वारा प्रभावित क्षेत्र भूमि के अधिकार, जुताई, भू-अभिलेखों से सम्बन्धित विद्यमान विवादों का निपटारा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी जिससे कि सहमति होने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व भू-स्वामियों की सही पहचान हो सके;

(ग) कलेक्टर इस कार्य हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत किये जाने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर कार्यवाही पूर्ण करायेगा;

(घ) कलेक्टर भू-अभिलेखों को शुद्ध एवं अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त, सामाजिक समाघात एजेन्सी से परामर्श लेते हुए, प्रभावित उन सभी भू-स्वामियों की सूची तैयार करायेगा, जिनसे सहमति अभिप्राप्त की जानी हो;

(ङ.) इस सूची को सहमति अभिप्राप्त करने के दिनांक से दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्र के किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा;

(च) कलेक्टर यथास्थिति, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा नगर निगम के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों का बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम दो सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा। इसे दो स्थानीय समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में भी प्रकाशित कराया जायेगा;

(छ) अपेक्षक निकाय और उनके प्रतिनिधि, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब देंगे। निबन्धन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किये जायेंगे और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किये जायेंगे;

(ज) अपेक्षक निकाय द्वारा सहमत प्रस्तावित निबन्धन और शर्तों को प्रभावित भू-स्वामियों के अधिवेशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में प्रत्येक भू-स्वामी को भी उपलब्ध कराया जायेगा;

(झ) भू-स्वामी अपनी व्यक्तिगत सहमति प्राधिकृत अधिकारी को देंगे;

(ज) भू-स्वामियों द्वारा अपनी लिखित सहमति निर्धारित प्रारूप में दी जायेगी जिस पर उनकी फोटो चस्पा हो एवं प्रारूप पर उनके अंगूठे का तथा हस्ताक्षर (यदि बना सके) शपथ-पत्र पर अंकित किया जायेगा;

(ट) अपेक्षक निकाय का अधिकृत प्रतिनिधि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा अपेक्षक निकाय की मुहर, इस सहमति के नियम व शर्तों पर भी लगायेगा;

(ठ) किसी ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य, लेखपाल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, या कोई सरकारी कर्मचारी साक्ष्य स्वरूप शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह सहमति देने वाले व्यक्ति को पहचानता है;

(ड) निर्धारित प्रारूप पत्र कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा;

(ढ़) इस प्रकार प्राप्त की गयी सहमति के प्रारूप और घोषणा की मूल प्रति भू-अर्जन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जो ऐसे समस्त भू-स्वामियों की सूची तैयार करते हुए अपेक्षक निकाय को उपलब्ध करायेगा। इस सूची की एक प्रति, अधिनियम की धारा 11 (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत करने से पूर्व, अर्जन प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी;

(ण) प्रत्येक व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी;

(त) एक भूमि से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों द्वारा एक प्रपत्र में सहमति दी जा सकेगी;

(थ) एक ही व्यक्ति द्वारा अर्जनाधीन अपनी भिन्न-भिन्न भूमियों के लिए एक ही प्रपत्र प्रयोग में लाया जायेगा;

(द) किसी भू-स्वामी द्वारा उपरोक्त अनुसार सहमति देने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा;

(ध) भारत का संविधान की पांचवी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन किये जाने की स्थिति में ग्रामसभा की सहमति, भू-स्वामियों की सहमति के पूर्व अनिवार्य रूप से ली जायेगी;

(न) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी;

(प) सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया के समय उठायी गयी सभी आपत्तियों को अभिलिखित किया जायेगा और अपेक्षक निकाय द्वारा इन पर विचार किया जायेगा;

(फ) सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान, उन भू-स्वामियों जो बैठक में अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा सहमति नहीं दी गयी अथवा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत किये जाने के पूर्व उनके द्वारा आपत्ति नहीं दी गयी है, तो इनके विषय में यह समझा जायेगा कि उन्हें अविरत प्रस्तावित अर्जन में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

15-(1) भारत का संविधान की पांचवी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन किये जाने की स्थिति में ग्रामसभा की सहमति कलेक्टर द्वारा सहमति के प्रारूप व घोषणा प्रारूप-6 में प्राप्त की जायेगी। कलेक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम दो सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और ग्राम सभा सदस्यों को प्रेरित करने और प्रतिभाग करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलायेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में
ग्राम सभा की
सहमति

(2) ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, जैसा कि इन नियमों के अन्तर्गत नियम 14 में वर्णित है।

(3) बैठक की गणपूर्ति उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 में वर्णित प्रावधान के अनुसार रहेगी:

परन्तु ग्राम सभा बैठक में ग्राम सभा की एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगी।

(4) किसी ग्राम सभा द्वारा उपरोक्तानुसार एक बार सहमति देने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

अध्याय-4**भूमि अर्जन के लिए अनुरोध**

भूमि अर्जन के लिए
अनुरोध

16-कलेक्टर, अर्जन की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अपेक्षक निकाय को सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा। जिले में अर्जन की कार्यवाही के लिए अपेक्षक निकाय द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत विहित किये गये प्रारूपों में, अर्जन के लिए आवेदन कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ, यथा स्थिति निम्न अभिलेख सम्मिलित होंगे:-

(क) अर्जन के लिए आवेदन प्रारूप-7, जिसे अपेक्षक निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करते हुए नाम, पदनाम व कार्यालय की मुहर अंकित की जायेगी;

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारूप-8, जिसमें अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की अनुसूची सहित ग्राम, परगना, तहसील, गाटा/खसरा नम्बर व उनका क्षेत्रफल और किस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए प्रस्तावित की जा रही है, का उल्लेख किया जायेगा;

(ग) सक्षम प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि परियोजना हेतु अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) अपेक्षक निकाय का प्रमाण-पत्र प्रारूप-9 (भाग-क), जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि परियोजना के उद्देश्य के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि है और इससे न्यून विकल्प उपलब्ध नहीं है;

(ङ) प्रारूप-9 (भाग-क) के अनुसार अर्जन निकाय का इस आशय के समाधान के साथ प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बन्धित परियोजना अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत यथा परिभाषित लोक प्रयोजन की आवश्यकता को पूर्ण करता है;

(च) परियोजना के सम्बन्ध में अनुमानित लागत एवं बकाये की स्थिति के साथ प्रतिकर की लागत, परिसम्पत्तियों के मूल्य, प्रभावित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों के सम्बन्ध में धन की पर्याप्त व्यवस्था बजट में कर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रारूप-10 (क) और 10 (ख) में प्रस्तुत किया जायेगा;

(छ) ग्राम के राजस्व मानचित्र (शजरा) पर अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ-साथ मानचित्र पर बंजर व अकृषित भूमि चिन्हित करते हुए दर्शाया जायेगा;

(ज) प्रारूप-11 में भूमि पर संरचनाओं, भवनों, कुओं/नलकूप, वृक्ष आदि दर्शाते हुए परिसम्पत्तियों की विस्तृत सूची, जिसमें प्रत्येक मद में अनुमानित प्रतिकर का उल्लेख किया जायेगा;

(झ) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि न होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रारूप-12 में दिया जायेगा;

(ञ) अपेक्षक निकाय द्वारा प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जायेंगी, जिसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा और तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि प्रस्तावित भूमि निजी भूमि है। यदि सम्बन्धित ग्राम रिकार्ड आपरेशन अथवा चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है, तब स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख चकबन्दी अधिकारी/बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी;

(ट) अन्य कोई अभिलेख अथवा सूचना, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अपेक्षा की जाय।

कलेक्टर द्वारा जांच

17-(1) कलेक्टर इस आशय की जांच करेगा कि प्रस्तावित अर्जन अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुरूप है अथवा नहीं।

(2) कलेक्टर राजस्व प्राधिकारियों से निम्नानुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त करेगा—

(एक) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य कोई स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम सभा भूमि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 की भूमि सम्मिलित नहीं होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रारूप-13 पर;

(दो) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि में कोई सीलिंग भूमि सम्मिलित नहीं होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रारूप -14 पर;

(3) कलेक्टर, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार अभिलेख तैयार करने और जांच कराने की कार्यवाही करेगा—

(क) प्रारम्भिक जांच प्रारूप-15 पर;

(ख) खसरा व खतौनी प्रारूप-16 (क) और 16 (ख) पर;

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा प्रस्तुत परिसम्पत्तियों के विवरण के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण और सत्यापन प्रारूप-11 पर;

(घ) अपेक्षक निकाय द्वारा प्रारूप-9 (भाग-ख) पर अभिमत प्रस्तुत करना:

परन्तु, वे सभी अभिलेख एवं रिपोर्ट जो राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी हैं, पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, नायब तहसीलदार/भूअर्जन अमीन द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किये जायेंगे। वे ग्राम, जहां रिकार्ड आपरेशन अथवा चकबन्दी प्रक्रियायें प्रचलित हैं, वहां ऐसे अभिलेख एवं रिपोर्ट सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/ सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। ऐसे अभिलेखों व रिपोर्ट की प्रतियां कार्यालय के अभिलेख में रखे जायेंगे।

18-कलेक्टर आवश्यक भूमि के अर्जन की लागत का अनुमान पूर्ण सावधानी और तत्परता से करायेंगा, जिससे अन्तिम अभिनिर्णय और अप्रत्याशित भिन्नता का परिवर्जन किया जा सके। वह प्रशासनिक खर्चों का अनुमान भी तैयार करायेंगा और जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत आरम्भ की गयी कार्यवाही से पूर्व जमा कराया जायेगा। सामाजिक समाधात निर्धारण कराये जाने के लिए लागत यह होगी, जैसा कि राज्य सरकार/कलेक्टर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

19-(1) उक्त अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (एक) से (छ:) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्जन के अनुमानित लागत और प्रशासनिक लागतों को अपेक्षक निकाय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-11 के अधीन प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियों के समय जमा की जायेगी।

(2) अपेक्षक निकाय अर्जन की अनुमानित लागत को अग्रिम में जमा करेगा। ऐसी धनराशि बैंक संव्यवहारों की सीमा के अनुसार स्वीकार्य विभिन्न रीतियों से जमा की जा सकती है।

(3) तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा अर्जन लागत एवं प्रशासनिक खर्च के रूप में जमा की गयी अग्रिम धनराशि को चालान के माध्यम से सम्बन्धित भूराजस्व मद में जमा किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार अर्जन के प्रयोजन के लिये नियमित बजट के माध्यम से प्रशासनिक लागतों के अनुमन्य शीर्षकों के अधीन पृथक-पृथक अपेक्षित बजट की व्यवस्था करेगी।

(5) अपेक्षक निकाय द्वारा अन्तिम आंकलन तैयार होने के पश्चात अवशेष धनराशि, सामाजिक समाधात निर्धारण कराने के लिए व्यय की आवश्यक धनराशि और ऐसी कोई आधिक्य धनराशि, जैसा कि प्राधिकरण अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अधिनिर्णीत की जाय, को उक्त प्रकार से जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

अध्याय-5

भूमि अर्जन और पुनर्स्थापन व पुनर्व्यवस्थापन योजना के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना

20-(1) सहमति की प्रक्रिया एक बार पूर्ण होने और सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट व सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कलेक्टर प्रस्ताव और अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। इसके उपरान्त प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत करने के लिए वह अपना मत प्रारूप-17 में अभिलिखित करेगा।

भूमि अर्जन की लागत

अपेक्षक निकाय द्वारा अर्जन की लागत जमा कराये जाने की प्रक्रिया

भूमि अर्जन की प्रारम्भिक अधिसूचना

(2) प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त यथा स्थिति राज्य सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना प्रारूप-18 में, अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ, निर्गत की जायेगी। अधिसूचना में ग्राम, परगना, तहसील, जिला, खसरा/गाटा नम्बरानों का विवरण और उनका अर्जनाधीन क्षेत्रफल तथा जिस उद्देश्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, का उल्लेख किया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी, यदि—

(एक) अर्जन संघ के किसी प्रयोजन के लिए हो,

(दो) उक्त अधिनियम की धारा-40 का उपबन्ध लागू किया जाना हो और धारा-15 के प्रवर्तन का अधित्यजन किया जाना हो। ऐसे मामलों में कलेक्टर अपने द्वारा संचालित कार्यवाहियों के अभिलेख और आपत्तियों पर अपनी संस्तुतियों सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देगा। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जैसा कि अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) व उपधारा (2) में दिया गया है। इसे प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित कराया जायेगा।

(5) अर्जन की प्रक्रिया का प्रारम्भ, समुचित सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना के निर्गत करने के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशन से समझा जायेगा और अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्तिम प्रकाशन होने के साथ पूर्ण समझा जायेगा:

परन्तु अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट 12 माह की अवधि को, इस प्रकार अन्तिम रूप से प्रकाशन के दिनांक से संगणना की जायेगी:

परन्तु यह और कि अधिसूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया को, उसके शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

(6) अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चरपा की जायेगी।

(7) कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अध्याय-4 के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संयवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

परन्तु कलेक्टर यथा अधिसूचित भूमि के स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर विशेष परिस्थितियों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे स्वामी को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझ कर किये गये अतिक्रमण के कारण हुये किसी नुकसान या क्षति की पूर्ति कलेक्टर द्वारा नहीं की जायेगी।

(8) निर्गत की गयी प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार, सहायक भूलेख अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/चकबन्दी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त को अग्रतर नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। इसे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप निबन्धक को इन नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

अभिलेखों का
अद्यतनीकरण

21—अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) में निर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से दो माह के अन्तर्गत कलेक्टर भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों का अद्यतनीकरण करेगा और ऐसी भू-अभिलेखों में सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्बन्ध में शुद्धि और नामांतरण करने के सम्बन्ध में ऐसी आवश्यक कार्यवाहियां सम्पादित करेगा, जैसा कि आवश्यक हो।

भूमि का प्रारम्भिक
सर्वेक्षण

22—जब धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा जारी कर दी जाती है, तो कलेक्टर अधिनियम की धारा-12 के अधीन, अधिसूचित की गयी भूमि के प्रारम्भिक सर्वेक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

23-(1) आक्षेपों की सुनवाई के लिए सूचना प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा, जिसमें समय, कार्यालय के स्थान (प्राथमिक रूप से भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में) और तिथि का उल्लेख होगा।

(2) धारा-15 के अधीन आपत्तियों की सुनवाई के कर्तव्य का पालन, नियम में यथापरिभाषित, कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया जायेगा और उसको प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा।

(3) जब कलेक्टर, विहित अवधि के भीतर, भूमि में हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई लिखित आपत्ति प्राप्त करता है, तो वह आक्षेपकर्ता को अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने और साक्ष्य, यदि कोई हो, जिन पर वह निर्भर करता हो, प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस आपत्तिकर्ता पर तामील करायेगा। कलेक्टर द्वारा सुनवाई और जांच की नोटिस अपेक्षक निकाय को भी दी जायेगी और यदि उक्त अधिकारी भूमि अर्जन के प्रस्ताव के समर्थन में सुनवाई या साक्ष्य देना चाहे, तो उसको या तो व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति देगा।

(4) दोनों पक्षों में किसी के द्वारा आवेदन देने पर कलेक्टर, धारा-35 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा सुनवाई को समय-समय पर यदि आवश्यक हो, स्थगित करने का अधिकार होगा।

(6) धारा-19 के प्रथम परन्तुक के अनुसार, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा-19 के अधीन घोषणा प्रकाशन के लिए धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष की समय-सीमा विहित की गयी है, जांच को इस अवधि के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जायेगा:

परन्तु राज्य सरकार को आक्षेपों की सुनवाई की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं:

परन्तु यह भी कि अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जायेगा और उसे अधिसूचित किया जायेगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

(7) कलेक्टर समस्त आपत्तियों की सुनवाई करने और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य या भूमि अर्जन के प्रस्ताव के समर्थन में एक ज्ञापन अभिलिखित करने के पश्चात् और अग्रेतर जांच करने के बाद यदि वह उचित समझे, मामले का विनिश्चय करने के लिए उसके द्वारा आयोजित कार्यवाहियों के अभिलेख और आपत्तियों पर अपनी संस्तुतियों को सम्मिलित करते हुए रिपोर्ट, अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत घोषणा के लिए प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव, के साथ राज्य सरकार को मामले के निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार या जिला कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, परियोजना के लिए समुचित प्राधिकारी है, तो वह ऐसी संस्तुतियों पर निर्णय लेगा। राज्य सरकार/जिला कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा:

परन्तु यह भी कि यदि किसी परियोजना क्षेत्र के लिए भूमि का अर्जन एक या अधिक जिले के क्षेत्राधिकार में आता है, तो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा कलेक्टर प्रस्ताव को सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेज देगा। प्रशासकीय विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय-6

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए योजना का तैयार किया जाना और लोक सुनवाई

24-(1) कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन निर्गत की गयी प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के लिए प्रशासक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा, द्वारा स्थल सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुम्बों के सांख्यिकीय गणना हेतु कार्यवाही, अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (1) में वर्णित रीति से प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा।

आक्षेपों की सुनवाई

प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए योजना का तैयार किया जाना

(2) प्रभावित क्षेत्र में स्थल सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुम्बों के सांख्यिकीय गणना हेतु प्रशासक द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार आंकड़े प्राप्त किये जा सकेंगे।

(3) परियोजना क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार प्रस्तुत किये गये विवरण अथवा स्थानीय निकाय के अभिलेखों और स्थलीय भ्रमण द्वारा जानकारी की जायेगी।

(4) सर्वेक्षण के आधार पर प्रशासक द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का मसौदा तैयार किया जायेगा, जिसमें अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) विस्थापित होने वाले सम्भावित कुटुम्बों की सूची।

(ख) प्रभावित क्षेत्र में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सूची।

(ग) प्रभावित क्षेत्र में भूधारकों की सूची।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में व्यवसायियों की सूची।

(ङ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन हो रहे व्यक्तियों की सूची।

(च) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग हो रहे वंचित समूहों की सूची।

(छ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूरों की सूची।

(5) प्रशासन द्वारा योजना का मसौदा यथासम्भव विस्तार पूर्वक ब्यौरेवार तैयार करने का प्रयास किया जायेगा ताकि भावी आपत्तियों को न्यून किया जा सके।

(6) प्रशासक द्वारा अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये योजना के मसौदे का प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र में दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, कराते हुए सूचित किया जायेगा। इस मसौदे को सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, में विचार विमर्श के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रशासक अथवा उसके द्वारा पदामिहित अधिकारी द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के मसौदे पर लोक सुनवाई, अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी योजना के प्रकाशन के पूर्व, उस तिथि पर, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, की जायेगी। लोक सुनवाई के सम्बन्ध में नियम-23 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित धारा-16 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार की जाने वाली लोक सुनवाई के सम्बन्ध में लागू होगी।

(8) लोक सुनवाई पूर्ण होने के उपरान्त प्रशासक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के मसौदे के साथ लोक सुनवाई के समय उठाये गये दावों एवं आपत्तियों पर अपनी विशिष्ट रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को सौंप देगा।

(9) कलेक्टर द्वारा धारा-17 की उपधारा (1) व उपधारा (2) में दी गयी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए योजना के मसौदे का पुनर्विलोकन करेगा।

(10) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अनुमोदन और प्रकाशन के लिए अधिनियम की धारा-18 तथा नियम-11 के उप नियम (3) के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

प्रशासक की
शक्तियाँ, कर्तव्य
और उत्तरदायित्व

25—प्रशासक द्वारा निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा, जिसमें निम्न होंगे—

(क) प्रभावित कुटुम्बों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और आकड़ों का संग्रहण नियमों में विहित प्रक्रिया एवं अवधि के अन्तर्गत पूर्ण करना;

(ख) पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का मसौदा तैयार करना;

(ग) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे का जन सामान्य के लिए प्रकाशन कराना, जैसा कि नियम में वर्णित है;

(घ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना का मसौदा सम्बन्धित व्यक्तियों और प्राधिकारियों को उपलब्ध कराना;

(ड) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे पर प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत एवं प्रकाशित करना;

(च) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे पर प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई करना;

(छ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे पर अपेक्षक निकाय को सुझाव एवं अभिमत देने हेतु अवसर प्रदान करने की कार्यवाही कराना;

(ज) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तिम योजना पर अपनी संस्तुति सहित कलेक्टर को प्रस्तुत करना;

(झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का मसौदा कलेक्टर को प्रस्तुत करना;

(ञ) अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के मसौदे का प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशन कराया जाना;

(ट) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिनिर्णय की कार्यवाही के समय कलेक्टर की सहायता करना;

(ठ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन निर्धारण सम्बन्धी प्रगति का सामान्य अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना;

(ड) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पश्चात लेखापरीक्षा सम्बन्धी मामलों में सहायता करना;

(ढ) अन्य कोई निर्देश, जैसा कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में किया जाना हो अथवा प्रदान किया जाय।

26—(1) आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन द्वारा, अधिनियम की धारा-18 के अधीन अन्तिम रूप से तैयार की गयी अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को जन सामान्य की सूचना हेतु, प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में कराया जायेगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रकाशित किया जायेगा तथा जिले अथवा सरकार की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रकाशन

(2) अनुमोदित योजना की प्रतियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर निगम/ नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद और कलेक्टर, परगना मजिस्ट्रेट, सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेंगी।

27—(1) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत घोषणा प्रारूप-19 में निर्गत की जायेगी, जिसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश और विस्थापित कुटुम्बों के स्थापन चिन्हित भूमि का उल्लेख होगा।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन घोषणा और सारांश का प्रकाशन

(2) ऐसी कोई अधिसूचना तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि अपेक्षक निकाय द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत नियम-19 के उपनियम (4) के अनुसार धनराशि जमा न करा दी गयी हो।

(3) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (4) और सुसंगत नियम में उपबन्धित है।

(4) धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन की ऐसी कार्यवाही जो अन्तिम रूप में की जायेगी, प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि समझी जायेगी।

28—जब अधिनियम की धारा-19 के अधीन कोई घोषणा जारी कर दी जाती है, तब प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन यदि अर्जित क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही पहले न की गई हो, करने की कार्यवाही करेगा। खसरे में परिकलित क्षेत्र और अर्जन के लिए अधिसूचना अथवा घोषणा में अधिसूचित क्षेत्र के बीच अन्तर की दशा में कलेक्टर द्वारा एक तिथि निश्चित की जायेगी जिसमें राजस्व विभाग के नियुक्त अधिकारी, अपेक्षक निकाय और भू अर्जन कार्यालय के अमीन स्थल पर भूमि की माप की जांच करेंगे और भू अभिलेखों से उसका सत्यापन करेंगे। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तब उसे कलेक्टर के संज्ञान में लाया जायेगा, ताकि उसे ठीक किया जा सके। यदि अधिसूचित क्षेत्र अर्जन के लिए आशयित क्षेत्र से सारवान रूप में कम प्रकट होता हो तो इसकी सूचना कलेक्टर के माध्यम से सरकार को समाधान के लिए प्रेषित की जायेगी।

भूमि का सीमांकन

हितबद्ध व्यक्तियों
को सूचना

29-माप तय हो जाने के उपरान्त कलेक्टर अधिनियम की धारा-21 के प्रावधानों के अनुसार प्रारूप-20 (क) और 20(ख) पर सामान्य सूचना निर्गत करायेगा, जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों से सूचना में प्रकाशन के दिनांक के भीतर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। इस नोटिस की सूचना अभिलेख अधिकारी, यथा तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी अथवा सहायक भूलेख अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को भी दी जायेगी। सूचना को ग्राम के किसी सदृश्य लोक स्थान पर चस्पा भी किया जायेगा।

अध्याय-7

अधिनिर्णय प्रतिकर और भूमि का कब्जा लिया जाना

अधिनिर्णय के लिए
कलेक्टर द्वारा जांच

30-(1) कलेक्टर लोक सूचना और प्रकाशन के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हों, जांच एवं निस्तारण करेगा और अधिनियम की धारा-23 के अधीन भू-अर्जन अधिनिर्णय आरम्भ करेगा। प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर निम्न कार्यवाहियां अनुसरित करेगा-

(क) प्रत्येक गांव में सीमांकित भूमि का पृथक रेखाचित्र गांव के रेखाचित्र के पैमाने पर कार्यवाहियों के अभिलेख के लिये तैयार किया जाना चाहिए,

(ख) प्रत्येक गांव के लिये भूमि अर्जन प्रारूप-15 (क) में एक खसरा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें अर्जित किए जाने वाले प्रत्येक भू-खण्ड की प्रकृति, क्षेत्रफल और गुणवत्ता तथा उस पर स्थित पेड़ों, फसलों, आवासों या अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रविष्टियों के सम्बन्ध में भू-अर्जन कार्यालय के अमीन द्वारा जांच करके व्यक्तिगत परीक्षण किया जाना चाहिए। खसरा पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों और भू अर्जन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(ग) खसरा तैयार करते समय निबन्धन विभाग के उप निबन्धक कार्यालय से, बाजार मूल्य के अवधारण हेतु, भूमि अर्जन प्रारूप-21 में विक्रय पत्रों के सम्बन्ध में ऐसे व्योरो का संग्रहण किया जाना चाहिए, जो अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष के अन्तर्गत हुये हों। बाजार मूल्य की अवधारण की तारीख, वह तारीख होगी, जिसको धारा-11 के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की गयी है।

(घ) इसी के साथ अधिनियम की धारा-29 के अनुसार अर्जनाधीन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों, यथा वृक्ष, ट्यूबवेल, संरचना और अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। भू अर्जन अधिकारी सम्बन्धित विभागों द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध कर सकेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रारूप-22 में तैयार की जायेगी। इन परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए तारीख, वह तारीख होगी, जिसको धारा-11 के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की गयी है।

(ङ) एक खतौनी भूमि अर्जन प्रारूप-15 (ख) में तहसीलदार, चकबन्दी और सहायक भूलेख अधिकारी के कार्यालयों में संरक्षित सम्बन्धित ग्राम के राजस्व अभिलेखों से तैयार की जायेगी। अर्जनाधीन भूमि का लगान/भू-राजस्व का परिकलन उस खतौनी में दिया जायेगा।

(च) अर्जनाधीन भूमि के प्रत्येक मद की मूल्यांकन रिपोर्ट का विस्तृत विवरण, प्रारम्भिक अधिसूचना के दिनांक को बाजार मूल्य के अनुसार, प्रारूप-21 में बनाया जायेगा।

(2) भू अर्जन अधिकारी, यदि वह जिला कलेक्टर न हो, तब जिला कलेक्टर से परामर्श कर सकेगा और उससे आदेश प्राप्त कर सकेगा कि उसके अनुमान के अनुसार प्रतिकर और भू राजस्व में कटौती का आंकलित मूल्य समुचित रूप से क्या हो सकता है। इसके लिए जिला कलेक्टर प्रतिकर के औचित्य के परीक्षण हेतु अधिकारियों को नामित कर सकेगा।

(3) नोटिस में दी गयी दिनांक को, कलेक्टर अनुमानित किये गये प्रतिकर के आधारों को दर्शाते हुए समेकित प्रतिकर व्यौरा पत्र में विवरण, प्रारूप-23 में रखेगा और भूमि का अधिनिर्णय प्रारूप-24 में घोषित करेगा।

(4) अनुमानित प्रतिकर में किसी प्रकार के विचलन के सम्बन्ध में अपेक्षक निकाय को सूचित किया जायेगा। अपेक्षक निकाय द्वारा मांग की गयी धनराशि को एक माह के भीतर

जमा कराया जायेगा। यदि अपेक्षक निकाय, आधिक्य लागतों के सम्बन्ध में, कोई आपत्ति करता है अथवा धनराशि जमा कराये जाने से इनकार करता है, तब अर्जन की प्रक्रिया रोक दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहां अर्जन की कार्यवाही रोक दी गयी है, राज्य सरकार शासकीय आदेश के द्वारा धनराशि पर ऐसी कटौती कर सकती है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

(5) कलेक्टर किसी भी पक्ष के अनुरोध पर या अन्यथा कार्यवाहियों को स्थगित कर सकेगा। किन्तु पक्षकारों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का विनिश्चय शीघ्रता एवं सावधानी पूर्वक करेगा।

(6) कलेक्टर नियत दिनांक को उन दावों और आक्षेपों को, यदि कोई हो, जो किसी हितबद्ध व्यक्ति ने किया हो, चाहे वह भूमि के माप, प्रतिकर की धनराशि, जो व्यक्ति को संदेह हो, उसके सम्बन्ध में हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रभाजन के सम्बन्ध में हो, जांच की कार्यवाही करेगा और धारा-23 में निर्दिष्ट विषयों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में अधिनिर्णय तैयार करेगा।

(7) अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत, अधिनिर्णय की घोषणा के लिए वित्तीय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(8) अधिनिर्णय में वह सब मद सम्मिलित होंगे, जैसा कि अधिनियम की धारा-28, 29 व 30 में वर्णन किया गया है। प्रत्येक अधिनिर्णय की घोषणा अथवा संप्रेषण यथाशीघ्र पक्षकारों को किया जायेगा।

(9) जहां अधिनिर्णय किये जाने के पश्चात कोई लिपिक या गणित सम्बन्धी गलतियां कलेक्टर के संज्ञान में आती हैं अथवा उसके संज्ञान में लायी जाती हैं, तो वह, अधिनिर्णय की तारीख से छः माह से अनधिक या अधिनियम की धारा-64 के अधीन प्राधिकरण को निर्देश देने से पूर्व, त्रुटि का निवारण कर सकेगा।

(10) यदि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है, तब अधिनियम की धारा-26 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आंकलित बाजार मूल्य को उस गुणांक से गुणित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचित करें।

(11) किसी भू अर्जन प्रक्रिया के अन्तर्गत तात्कालिकता के उपबन्ध लागू होने की दशा में कलेक्टर राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

(12) यदि अधिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर के भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि स्वामी/स्वामियों और/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण बिल्कुल हकदार नहीं हैं/हैं या भूमि/भूमियों के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं हैं/हैं और सरकार से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण ऐसी धनराशि जो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अवधारित के जो उसे/उनको प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि जो सरकार को उसके/उनके द्वारा वापस की जानी हो, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरुद्ध सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण सरकार द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय और स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण इस प्रकार वापस की जाने वाली धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्पूर्ति वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(13) यदि स्वामी/स्वामियों और/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण पूर्ववर्ती नियम में उल्लिखित धनराशि सरकार को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो सरकार को उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली कर सकेगी।

(14) किसी आपसी या क्षतिपूर्ति के प्रवर्तन के लिये किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अवधारित और प्रमाणित किसी धनराशि को, जो स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण द्वारा, सरकार की वसूली द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में, देय होने वाली हो, और देय हो, वसूल कर सकेगी।

(15) सरकार देय/लोक वित्तीय संस्थानों के ऋण, यदि कोई हो, अधिनिर्णित दावा कर्ता अथवा हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध देय है तो उसे उक्त प्रतिकर की धनराशि से कटौती की जा सकेगी।

पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन
अधिनिर्णय

31-(1) कलेक्टर, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय करेगा अथवा जहां सहमति सम्मिलित है, वहां प्रभावित कुटुम्बों से समझौते द्वारा करार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए अधिनिर्णय प्रारूप-25 पर करेगा।

(2) जहां अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की गयी है वहां परियोजना के प्रभावित कुटुम्बों को अधिनियम की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव अनुमन्य होंगे।

(3) जब शहरीकरण के उद्देश्यों के लिए भूमि का अर्जन किया जाता है, वहां बीस प्रतिशत विकसित भूमि पेशकश करते समय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संघटक के लिए प्रयुक्त भूमि में बीस प्रतिशत विकसित भूमि को गणना में नहीं लिया जायेगा।

(4) अपेक्षक निकाय की ओर से अर्जन की जा रही उन परियोजनाओं में, जहां अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय कुटुम्बों का अनिवार्य विस्थापन होता है, एक विकास योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के सम्बन्धित सामाजिक कल्याण विभाग और, यथा स्थिति, क्षेत्र की ग्राम पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय से परामर्श करते हुए बनायी जायेगी। इस योजना को, यथा स्थिति, ग्राम सभा अथवा शहरी निकायों की सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही के समय पढ़ा जायेगा और विचार विमर्श किया जायेगा।

(5) अधिनियम की धारा-31 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का अधिनिर्णय कलेक्टर द्वारा दिया जायेगा। किसी भी धनराशि का अधिनिर्णय देने से पूर्व कलेक्टर मण्डल आयुक्त/आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(6) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय की घोषणा के लिए वित्तीय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(7) यदि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय के अन्तर्गत अवयवों के भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि स्वामी/स्वामियों/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण बिल्कुल हकदार नहीं है/हैं या भूमि/भूमियों के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और सरकार से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तो स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण ऐसी धनराशि अथवा अवयव, जैसी भी स्थिति हो, जो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अवधारित के जो उसे/उनको प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि जो सरकार को उसके/उनके द्वारा वापस की जानी हो, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या अवयव या उसके भाग के विरुद्ध सरकार को (सयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण सरकार द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय और स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण इस प्रकार वापस की जाने वाली धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(8) यदि स्वामी/स्वामियों और/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारगण पूर्ववर्ती नियम में उल्लिखित, यथा स्थिति, धनराशि अथवा अवयव सरकार को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो सरकार को उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली कर सकेगी।

(9) कलेक्टर अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं के प्रावधानों के निमित्त प्रारूप-26 पर आदेश निर्गत करेगा।

(10) अपेक्षक निकाय की ओर से अर्जन की जा रही उन परियोजनाओं में, जहां अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय कुटुम्बों का अनिवार्य विस्थापन होता है, एक विकास योजना कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा-41 की उपधारा (4) के प्रावधान अनुसार प्रभावित कुटुम्बों से परामर्श करते हुए बनायी जायेगी। इस योजना को, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अन्तर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाही के समय पढ़ा जायेगा और विचार विमर्श किया जायेगा। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अधिनिर्णय देते समय कलेक्टर प्रारूप-27 पर आदेश देगा।

(11) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के इन नियमों में कहे गये प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस न्यूनाधिक सीमा तक निजी बातचीत के माध्यम से भूमि कय की जा रही है, जो सीमा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

32-(1) प्रतिकर का अवधारण अधिनियम की धारा-26 से धारा-30 सपठित द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा और अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (ग) के अन्तर्गत परिभाषित समस्त प्रभावित कुटुम्बों को भुगतान किया जायेगा। सम्पूर्ण परियोजना के प्रभावित कुटुम्बों, जिन्हें प्रतिकर एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अवयवों का भुगतान किया गया है का लेखा जोखा प्रारूप -28 में रखा जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रतिकर की धनराशि का अवधारण किये जाते समय, कलेक्टर भूस्वामियों के साथ भूमि की दरों और शर्तों एवं दशाओं को तय कर सकेगा और मुकदमें वाजी की सम्भावनाओं को न्यून करने के लिए परस्पर सहमति से अधिनिर्णय पर विचार कर सकेगा, जो प्रभावित कुटुम्बों और अपेक्षक निकाय के लिए साम्यपूर्ण, न्याय के हित में और लाभप्रद हो।

(3) अधिनियम में यथा वर्णित प्रथम अनुसूची में प्रतिकर के अनुपात को, जो कि अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-ग (ii) में संदर्भित प्रभावित कुटुम्बों को दिया जाना है, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रतिकर का भुगतान, अधिनिर्णय के दिनांक से 90 दिनों की अवधि के भीतर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.1.2013 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर यथा विहित की जाने वाली भुगतान किसी अन्य रीति के माध्यम से, की जायेगी।

(5) बाजार मूल्य हेतु तिथि का निर्धारण उस दिनांक से होगा, जिस दिनांक को अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत हुयी है।

(6) भू-अर्जन के सभी मामलों में प्रति हेक्टेयर के अनुसार बाजार मूल्य अर्जन प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।

33-(1) कलेक्टर, अधिनियम की धारा-38 में दी गयी दशाओं के सन्तुष्ट होने पर अर्जित भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करायेगा। इसके लिए कलेक्टर ऐसे किसी अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो राज्य सरकार की ओर से औपचारिक कब्जा प्राप्त करेगा और उसके बाद अपेक्षक निकाय के नियुक्त व्यक्ति को सौंप देगा। राज्य सरकार और अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि का कब्जा लेने के समय कब्जा हस्तान्तरण प्रपत्र तैयार किया जायेगा।

(2) सरकार अधिनियम की धारा-40 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तात्कालिकता के निर्दिष्ट मामलों में, अधिनिर्णय की प्रत्याशा में कलेक्टर को सशक्त कर सकेगी। तात्कालिकता के मामलों में कब्जा लिये जाने से पूर्व, दी गयी शर्तों के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-40 की उपधारा (3) और उपधारा (5) में दी गयी शर्तों की पूर्ति आवश्यक होगी।

(3) सम्बन्धित पक्षकारों से लिखित करार द्वारा कब्जा लेने के सिवाय, स्पष्टतः कब्जा प्राप्त करने से आशय प्राधिकारी द्वारा भूमि पर जाकर ऐसी कोई कार्यवाही करने से है जिससे यह प्रकट होता है कि प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया है। यह मौके पर डुग्गी पिटवाने अथवा प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा ले लिये जाने सम्बन्धी लिखित घोषणा टांगने के रूप में हो सकेगा। भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी की उपस्थिति भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेने को सिद्ध करने के लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि कब्जा लेने के समय कब्जा हस्तान्तरण प्रपत्र पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

(4) यद्यपि अर्जित की गयी भूमि के कब्जा लेने के किसी कृत्य के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते। तथापि भूमि का कब्जा लेने के सम्बन्ध में रीति यह है कि-

(एक) जहां अर्जित भूमि रिक्त है, वहां सम्बन्धित राज्य प्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जा पत्रक तैयार किया जायेगा, जिस पर ग्रामवासी/भूमि प्रबन्धक समिति के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिये जायेंगे, जो कब्जा लेने की कार्यवाही संस्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा।

(दो) जहां अर्जित भूमि पर फसल खड़ी हो अथवा निर्माण/अवसंरचना अवस्थिति हो, वहां सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा मौके में जाकर कब्जा लेने की कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी। सामान्यतः, ऐसे मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निर्माण/अवसंरचना के अधिभोगी अथवा उस व्यक्ति को जिसके द्वारा खेती की जा रही है, को नोटिस दिया जायेगा और कब्जा लेते समय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए कब्जा लिया जायेगा। यदि भूमि अथवा निर्माण/अवसंरचना के स्वामी द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया जाता है, तो उसे कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही के निमित्त प्रतिबाधा नहीं समझा जायेगा।

(तीन) यदि अर्जन का हिताधिकारी राज्य की एजेन्सी/संस्था है और अधिनियम की धारा-40 की उपधारा (3) व उपधारा (5) के निमित्त शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है और अर्जित की गयी भूमि का आंशिक भू-भाग किसी विशिष्ट लोक हित के आगामी कार्य में प्रयुक्त कर लिया गया है तो इसे अर्जित भूमि का कब्जा लेने के निमित्त पर्याप्त समझा जायेगा।

प्रतिकर के बदले में भूमि का विकल्प दिये जाने हेतु अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया

34-(1) सिंचाई परियोजनाओं में, सर्वेक्षण के समय प्रशासक परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त भूमि की संभाव्यताओं पर विचार करेगा। अपेक्षित भूमि का आकलन प्रतिकर के बदले भूमि दिये जाने सम्बन्धित प्रभावित कुटुम्बों द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्रों के अनुसार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित विभाग अथवा परियोजना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श अनुसार यदि प्रशासक सन्तुष्ट होता है कि कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, तब वह भूमि का अन्तिम रूप से चयन करते हुए सम्बन्धित कलेक्टर को भूमि की उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण विवरण भेजेगा। प्राथमिक रूप से इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि के लिए ग्राम सभा भूमि उचित विकल्प हो सकता है। यदि वह यह पाता है कि पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो वह जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुरोध करेगा।

(3) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिनकी भूमि अर्जित की गयी है अथवा अर्जन के परिणामस्वरूप सीमान्त अथवा भूमिहीन कृषक की स्थिति में आ गये हैं, को कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रभावित कुटुम्बों को प्रतिकर के भुगतान के समय नोटिस दिया जायेगा जिसमें अर्जित की गयी भूमि के प्रतिकर के बदले में कमाण्ड क्षेत्र में दी जाने योग्य भूमि और भूमि का मूल्य, जिसमें अर्जन की प्रशासनिक लागत का अनुपातिक मूल्य भी शामिल है, भूमि के धारित मूल्य के रूप में कलेक्टर के समक्ष जमा करायी जाने वाली धनराशि विवरण सम्मिलित होगा।

(4) नोटिस की प्राप्ति के उपरान्त, प्रभावित कुटुम्ब, जो भूमि अनुदान के लिए पात्र है, कलेक्टर को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देगा कि वह अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर के बदले भूमि लेने का इच्छुक है।

(5) कलेक्टर ऐसे समस्त व्यक्तियों, जो भूमि लेने के इच्छुक हैं, द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों का एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस रजिस्टर में अंकित कराये जायेंगे। रजिस्टर में ऐसे सभी प्रभावित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा, जो भूमि ग्राह्यता के लिए पात्र हैं, किन्तु वह भूमि के बदले भूमि नहीं चाहते हैं।

(6) लिखित रूप में केवल प्राप्त सम्मति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बदले में प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा और इसके उपरान्त उनके अथवा उनके द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा कालान्तर में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का अनुरोध नहीं किया जा सकेगा।

वार्षिकी का विकल्प

35-(1) रोजगार के बदले एकमुश्त भुगतान का विकल्प सभी प्रभावित कुटुम्बों को राज्य सरकार द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(2) अर्जन प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रभावित कुटुम्बों के हित में होगा कि अपेक्षक निकाय उद्यमियों के विकास की प्रशिक्षण सुविधायें, प्रभावित व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए तकनीकी और पेशेवर कौशल देने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें करे ताकि वे उपयुक्त रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।

(3) सिंचाई परियोजनाओं के मामलों में भूमि जल प्लावन की अनुमति अपेक्षक निकाय को तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधायें और मूलभूत न्यूनतम सुविधायें पूर्ण करते हुए स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित न कर दी गयी हों और परियोजना क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि के इच्छुक व पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित न कर दी गयी हो।

अध्याय-8

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन और कृत्य

36-(1) राज्य सरकार, परियोजना स्तर पर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के परामर्श से क्रियान्वयन के पश्चात सामाजिक सम्परीक्षा हेतु समिति का गठन करेगी।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की अनुश्रवण समिति

(2) प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किये जाने के पश्चात समिति द्वारा प्रथम बैठक आहूत की जायेगी। समिति योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेगी और इस पर अपने सुझाव व संस्तुति देगी। तत्पश्चात, अगली बैठकों में, समिति यथा आवश्यक पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया समाप्त होने तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक कर विचार करेगी। वह सम्परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श करेगी।

(3) समिति की बैठक में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को संदेय भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों को दिया जाता है।

(4) समिति प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकेगी और पुनर्स्थापित क्षेत्र के प्रभावित कुटुम्बों से पुनर्स्थापना प्रक्रिया के अनुश्रवण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सकेगी।

37-(1) राज्य सरकार अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन करेगी।

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन

(2) जैसे ही अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की योजना का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है, राज्य अनुश्रवण समिति परियोजना के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, यथाशीघ्र प्रथम बैठक करेगी।

(3) समिति की बैठक में प्रतिभाग करने वाले विशेषज्ञों को संदेय भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों को दिया जाता है।

अध्याय-9

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण

38-(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य में भूमि अर्जन के विवादों के त्वरित निपटारे हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों का गठन करेगी।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्य की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकेगी। प्राधिकरण द्वारा अधिनियम एवं इस नियमावली में वर्णित शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरान्त जिला जज (उच्चतर वेतनमान) के स्तर के अधिकारियों में से, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा की जायेगी।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अन्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिविजन) को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरान्त प्राधिकरण के निबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकेगी। अन्य कर्मचारी, जिनमें रीडर, वरिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति, प्राधिकरण के गठन होने के साथ स्वतंत्र एवं पृथक् रूप से संवर्ग के अनुसार कार्मिकों की तैनाती होने तक, विभिन्न शासकीय विभागों अथवा राजस्व विभाग के शासकीय संवर्गों से की जायेगी।

(5) निबन्धक व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन व परिलब्धियां वही होंगी, जैसा कि उनके द्वारा मूल विभाग में आहरित किया जा रहा है और प्रतिनियुक्ति भत्ता, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के मूल विभाग से परामर्श के उपरान्त अवधारित किया जायेगा। सेवा की शर्तें वही होंगी, जैसा कि उनके लिए राजकीय कार्यकारी सेवा नियमों में विहित है।

(6) (क) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को वेतन व अन्य परिलब्धियां देय होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ख) उक्त प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय के सामान्य अधीक्षण के अन्तर्गत किया जायेगा।

भूमि अर्जन,
पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन
प्राधिकरण के
अधिष्ठान की
शक्तियां

39-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अधिष्ठान को उन मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होगा, जहां पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों को मिथ्या दावों या कपटपूर्ण साधन के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। राज्य सरकार ऐसे लाभों को भूराजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगी, यदि इस प्रकार के लाभों को धन के रूप में प्राप्त किया गया है और भूमि अथवा भवन से अवैध अध्यासीनों को बेदखल करेगी, यदि इस प्रकार के लाभों को भूमि अथवा भवन के रूप में प्राप्त किया गया है। इस प्रकार रिक्त कराई गयी भूमि अथवा भवन को उसी परियोजना क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों के प्रयोजन हेतु लाया जा सकेगा और इसके अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय-10

प्रकीर्ण विषय

अर्जित भूमि के
सम्बन्ध में राजस्व
अभिलेखों में प्रविष्टि

40-(1) (क) कलेक्टर, प्रत्येक जोत के अंश, जिसका अर्जन किया गया है, का क्षेत्रफल और उसके लिए संदेय किराया/राजस्व की धनराशि को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करायेगा। वह यह भी देखेगा कि किसी विभाग/अपेक्षक निकाय के लिए अर्जित किये गये, क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में सम्बन्धित विभाग/अपेक्षक निकाय के पक्ष में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गयी है।

(ख) भूमि अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात कलेक्टर/भूमि अर्जन अधिकारी प्रारूप-29 में चार प्रतियों में एक रिपोर्ट जिले के कलेक्टर को आदेशार्थ प्रस्तुत करेगा, जो आदेश पारित करने के लिए दो प्रतियों में, अपने हस्ताक्षरयुक्त परवाना, अमलदरामद प्रारूप-30 में सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी को जारी करेगा।

(ग) सम्बन्धित राजस्व अभिलेख अधिकारी, राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद के पश्चात एक प्रति कलेक्टर/भूमि अर्जन अधिकारी को सीधे वापस कर देगा।

(घ) निजी कम्पनियों के लिये अर्जन के मामले में भू-धृति जिसकी भूमि अर्जित की गयी हो, के नाम निकाल दिये जायेंगे और उनको सम्बन्धित विभाग के नाम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। कम्पनी राज्य में प्रचलित विधि के अन्तर्गत अपना नामांतरण करा सकेगी।

(ड.) अमलदरामद के आदेश में भू-राजस्व में कमी करने के आदेश भी सम्मिलित होंगे। भू-राजस्व की कमी और छूट का एक विवरण प्रारूप-31 में प्रत्येक अर्जन परियोजना के लिये गांववार तैयार किया जायेगा।

(च) भू-राजस्व में कमी/छूट से सम्बन्धित मासिक विवरण, वर्ष की समाप्ति पर, निम्नलिखित सारणीबद्ध रूप में तीन प्रतियों में, आयुक्त राजस्व परिषद को प्रेषित किया जायेगा:

जिला	अधिसूचना का विवरण/अर्जन की घोषणा	छूट व कमी स्वीकृत करने वाले आदेश की संख्या व दिनांक	छूट दी गयी धनराशि से तक	कम की गयी धनराशि फसली
1	2	3	4	5

भू-राजस्व का
पूँजीकृत मूल्य

(2) भू-राजस्व का पूँजीकृत मूल्य कतिपय अनेक वर्षों के भू-राजस्व का पूर्णयोग होता है, जो अर्जन निकाय द्वारा राज्य सरकार को भू-राजस्व की हानि को पूर्ति के लिये, जो अनिवार्य अर्जन के मामलों में राजस्व में कमी के फलस्वरूप हुई हो, संदेय होता है। कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा-

(एक) भू-राजस्व के पूँजीकृत मूल्य की गणना वार्षिक भू-राजस्व को एक सौ पचास गुणा करके की जायेगी। ऐसे मामले जिनमें भूमि का भू-राजस्व निर्धारण अनिवार्य अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्ण तक न किया गया हो (यथा ऐसे ग्राम जहां रिकार्ड आपरेशन अथवा चकबन्दी प्रक्रियायें गतिमान हैं), में इसकी गणना सम्पूर्ण गांव की प्रति हे० भू-राजस्व की औसत दर पर की जायेगी।

(दो) भू-राजस्व के पूंजीकृत मूल्य को प्रभारित नहीं किया जायेगा जब भूमि को राज्य सरकार के गैर वाणिज्यिक विभागों के लिये अनिवार्यतः अर्जित किया गया हो किन्तु भू-राजस्व की औसत दर पर की जायेगी।

(तीन) भू-राजस्व के पूंजीकृत मूल्य को राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों सहित समस्त अन्य अर्जन निकायों पर प्रभारित किया जायेगा। ऐसे समस्त मामलों में भू-राजस्व की छूट अर्जन के दिनांक से ही प्रभावी होगी।

(चार) तथापि, स्थानीय निकायों अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों को, जिनकी ओर से भूमि का अनिवार्य अर्जन किया गया हो, एक विकल्प होगा कि या तो उनको भूमि का कब्जा दिये जाने के दिनांक से भू-राजस्व का भुगतान जारी रखें या भू-राजस्व के पूंजीकृत मूल्य का भुगतान कर दें। बाद में मामले में भावी भू-राजस्व से छूट प्राप्त हो जायेगी।

(पांच) ऐसे मामलों, जिनमें संघ के प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन किया जाता है, वर्तमान जिनके अधीन भू-राजस्व के एक सौ गुणा के बराबर पूंजीकृत मूल्य प्रभारित किया जाता है, उनका लागू होना अग्रतर आदेशों तक जारी रहेगा।

41-कलेक्टर भूमि के ऐसे समस्त विनियोजनों का रजिस्टर रखवायेगा, जो लोक प्रयोजनों के लिए या कम्पनी के लिए की गयी हो। रजिस्टर में प्रविष्टियां कालानुक्रम में की जायेगी और उनको विभागवार किया जाना आवश्यक नहीं होगा। उनको प्रथम बार अपेक्षक निकाय अथवा विभाग द्वारा अर्जन के लिए आवेदन किये जाने अथवा अर्जन की लागत की सूचना दिये जाने के बाद यथाशीघ्र तैयार किया जायेगा।

विनियोजनों का
रजिस्टर

42-जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष तक अनुपयोजित रह जाती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथा स्थिति मूल भूस्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या राज्य सरकार के भूमि बैंक में वापस किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी है, को नोटिस निर्गत किया जायेगा और उन्हें इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा वापस लिये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अभिलिखित आदेश पारित किया जायेगा। यदि अपेक्षक निकाय भूमि का कब्जा हस्तगत नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट अपेक्षक निकाय को पूर्व में नोटिस देकर कब्जा लेगा और राज्य सरकार को हस्तगत करेगा।

भूमि का मूल
भूस्वामियों को
वापस किया
जाना

अध्याय-11

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

43-(1) यदि इन नियमों के अन्तर्गत प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधानों को लागू करने अथवा ऐसे निर्देश, जो अधिनियम और इन नियमों के असंगत न हों, दे सकेगा जो कठिनाइयों को त्वरित दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होंगी:

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति

परन्तु इन नियमों के लागू होने के दो वर्ष पश्चात ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

(2) इन नियमों के अधीन निर्मित सभी आदेश उसके निर्मित होने के पश्चात मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

प्रारूप-1

[(नियम-3 का उपनियम (1))]

सामाजिक समाधात निर्धारण का प्रारंभिक अधिसूचना

एस0आई0ए0 अधिसूचना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा।

- अपेक्षक निकाय का नाम-
- प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य
- संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा
- संगठन का संपर्क विवरण
- भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण
- परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल
- क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता है?
- सामाजिक समाधात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि

टिप्पणी- कलेक्टर (अर्जन प्रयोजनार्थ) कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
समुचित सरकार/कलेक्टर

प्रारूप-2

[(नियम-5 का उपनियम (1))]

सामाजिक समाधात निर्धारण के लिए निर्देश-निबंधन

कलेक्टर द्वारा प्रेषित भूमि अर्जन प्रस्ताव का पुनर्विलोकन राज्य एस0आई0ए0 एजेन्सी द्वारा की जायेगी और परियोजना विशेष के लिए निर्देश निबंधन (टी0ओ0आर0) तैयार करेगी जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं का समावेश होगा:-

- (1) अर्जन हेतु प्रस्तावित परियोजना, परियोजना क्षेत्र एवं भूमि के विस्तार का संक्षिप्त विवरण।
- (2) एस0आई0ए0 का उद्देश्य तथा एस0 आई0 ए0 टीम द्वारा की जाने वाली सभी क्रियायें।
- (3) परियोजना के आकार एवं जटिलता भू अर्जन, ग्राम सभा तथा/अथवा भूमि धारक की सहमति के आधार पर एस0आई0ए0 प्रक्रिया के लिये देय तिथि का अनुक्रमण, अनुसूची एवं समय सीमा।
- (4) विशिष्ट परियोजना को संचालित करने हेतु एस0आई0ए0 टीम का समुचित आकार एवं रूपरेखा (क्षेत्र सर्वेक्षक सहित यदि आवश्यक हो, तो)।
- (5) टी0ओ0आर0 आधारित परियोजना केंद्रित बजट जिसमें प्रत्येक मद/क्रिया का स्पष्ट ब्यौरा सहित हो।
- (6) एस0आई0ए0 प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित देयकों से सम्बन्धित अनुदान के भुगतान की अनुसूची।
- (7) परियोजना के आकार एवं अवस्थिति तथा अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के आधार पर विशिष्ट परियोजना के बजट का आकलन एवं टी0ओ0आर0 के आधार पर प्रक्रियात्मक शुल्क का निर्धारण।

प्रारूप-3

[(नियम-6 का उपनियम (5))]

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के लिए प्रारूप

(क) एस0आई0ए0 द्वारा अन्तर्निहित सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्राचलों की सूची

- परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण
 - आयु, लिंग, जाति, धर्म
 - साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर
- निर्धनता स्तर
- सुभेद्य समूह
 - महिला, बच्चे, वृद्ध, महिला प्रधान घरों, दिव्यांग
- नातेदारी प्रारूप एवं परिवार में महिला की भूमिका
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
- प्रशासनिक संगठन
- राजनीतिक संगठन
- नागरिक समाज संगठन एवं सामाजिक आंदोलन
- भू-उपयोग एवं जीविका
 - कृषिक एवं अकृषिक उपयोग
 - भू-मृदा की गुणवत्ता, जल, वृक्ष इत्यादि
 - पशुधन
 - औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्य एवं रोजगार
 - श्रम का घरेलू विभाजन एवं महिलाओं के कार्य
 - प्रवर्जन
 - घरेलू आय का स्तर
 - जीविका की प्राथमिकता
 - खाद्य सुरक्षा
- स्थानीय आर्थिक क्रियायें
 - औपचारिक एवं अनौपचारिक स्थानीय उद्योग
 - साख का अभिगम
 - मजदूरी की दर
 - महिलाओं द्वारा आजीविका के विशेष क्रियाओं में संलग्न होना
- स्थानीय आजीविका में कारकों का योगदान
 - प्राकृतिक संसाधनों तक अभिगम
 - सामान्य धन संसाधन
 - निजी परिसंपत्तियां
 - सड़क एवं परिवहन
 - सिंचाई की सुविधा
 - बंजर तक अभिगम
 - पर्यटक स्थल
 - आजीविका संवर्धन कार्यक्रम
 - सहकारिता तथा अन्य आजीविका सम्बन्धित संस्था
 - जैविक पर्यावरण की गुणवत्ता

- धारणाओं, सौंदर्य बोधक गुणवत्ता, अनुराग एवं प्रेरणा
 - बस्ती प्रारूप
 - घर
 - सामुदायिक एवं नागरिक स्थान
 - धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्मिलन स्थल
 - भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति, मल प्रवाह प्रणाली आदि)
 - लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, आंगनबाड़ी केन्द्र, जन वितरण प्रणाली)
 - सुरक्षा, अपराध, हिंसा
 - महिलाओं के लिए सामाजिक मिलन स्थल

(ख) प्रमुख समाधात क्षेत्र

- भूमि, आजीविका एवं आय पर प्रभाव
- रोजगार के स्तर एवं प्रकार
- अन्तर्गृह रोजगार का प्रारूप
- आय का स्तर
- खाद्य सुरक्षा
- जीवन का स्तर
- उत्पादक संसाधन तक अभिगम एवं नियंत्रण
- आर्थिक निर्भरता एवं सुभेद्यता
- स्थानीय अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था
- दरिद्रता जोखिम
- आजीविका के विकल्प तक महिलाओं की पहुँच
- भौतिक संसाधनों पर प्रभाव
- प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव, भूमि, वायु, जल, वन
- भूमि पर दबाव तथा प्राकृतिक संसाधन के रूप में आजीविका के लिए सामान्य संपत्ति
- निजी परिसंपत्ति, लोक सेवा एवं सुविधा पर प्रभाव
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं की क्षमता
- आवासीय सुविधाओं की क्षमता
- स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव
- विद्युत, जल आपूर्ति, सड़क, सफाई एवं कचरा प्रबंधन प्रणाली की प्रचुरता
- निजी परिसम्पत्तियों जैसे- बोरवेल, अस्थायी छप्पर आदि पर प्रभाव
- स्वास्थ्य पर प्रभाव
- आव्रजन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव
- परियोजना प्रक्रिया के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव
- महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव
- वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव
- सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकजुटता पर प्रभाव
- स्थानीय राजनीतिक संरचना में परिवर्तन
- जन सांख्यिकीय परिवर्तन
- आर्थिक परिस्थिति की संतुलन में बदलाव

- आदर्श, विश्वास, मूल्य एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव
- अपराध एवं अवैध क्रियाएं
- विस्थापन का तनाव
- पारिवारिक एकजुटता के विघटन का प्रभाव
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभाव

प्रारूप, समय निर्धारण और सामाजिक प्रभाव की तीव्रता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा परियोजना चक्र के चरणों से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। नीचे प्रभाव की निर्देशात्मक सूची दी गयी है।

पूर्व निर्माण के चरण

सेवाओं के विवरण में अवरोध

- उत्पादक निवेश में गिरावट
- भूमि प्राक्कलन
- अनिश्चितता का तनाव

निर्माण के चरण

- विस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन
- प्रवासी निर्माण कार्यबल का प्रवाह
- निर्माण स्थल के निकट निरंतर निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

संचालन के चरण

- निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी
- परियोजना के आर्थिक लाभ
- नवीन अवसंरचना के लाभ
- सामाजिक संगठन के नये प्रारूप
- सक्रिय सेवा से हटाने का चरण
- आर्थिक अवसरों की हानि
- पर्यावरणीय अपक्षरण एवं आजीविका पर प्रभाव

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव

- "प्रत्यक्ष प्रभाव" में सभी प्रभाव सम्मिलित होंगे जो प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किये जायेंगे
- "अप्रत्यक्ष प्रभाव" में सभी प्रभाव सम्मिलित होंगे जो उनके द्वारा अनुभव किये जायेंगे जो भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुये हैं (अर्थात् जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं आजीविका खो चुके हैं) लेकिन परियोजना क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।

विशेषता मूलक प्रभाव

- महिला, बच्चे, वृद्धजन एवं दिव्यांग पर प्रभाव
- लैंगिक प्रभाव निर्धारण चेकलिस्ट एवं सुमेधता एवं लोचदार मानचित्रण जैसे साधनों के आधार पर प्रभाव की पहचान।

संचयी प्रभाव

- प्रश्नगत परियोजना के चिन्हित प्रभाव के साथ-साथ उस क्षेत्र के अन्य परियोजनाओं के मापन योग एवं अन्तर्निहित प्रभाव

➤ परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अधिवासित नहीं होने वाले परन्तु परिरक्षीय एवं प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पर प्रभाव।

एस0आई0ए0 रिपोर्ट की अंतर्वस्तु एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना की सारणी

अध्याय	अंतर्वस्तु
कार्यपालक सारांश	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना एवं लोक उद्देश्य स्थिति भूमि अर्जन का आकार एवं गुण विकल्पों पर विचार सामाजिक समाघात अल्पीकरण का पैमाना सामाजिक लागत एवं लाभ का निर्धारण
परियोजना का विस्तृत विवरण	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना की पृष्ठ भूमि जिसमें शासन/प्रबन्धन संरचना एवं कार्यदायी संस्था की पृष्ठ भूमि सम्मिलित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध जनोपयोगी कसौटी पर परियोजना किस प्रकार खरी उत्तरती है परियोजना के आकार, स्थिति, क्षमता, किया गया कार्य, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम विकल्पों का परीक्षण परियोजना निर्माण के चरण मौलिक प्राकलन विशेषताएं एवं सुविधाओं के आकार एवं प्रारूप अनुषंगी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता कार्यबल की आवश्यकता (अस्थायी एवं स्थायी) एस0आई0ए0/ई0आई0ए0 का विवरण यदि पूर्व में ही संपादित की गयी हो तथा तकनीकी उपयुक्ता रिपोर्ट उपयुक्त विधान एवं नीतियाँ
एस0आई0ए0 का टीम संघटन, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली एवं समय सारणी	<ul style="list-style-type: none"> टीम के सभी सदस्यों की योग्यता सहित सूची/टीम में लिंग विशेषज्ञ को सम्मिलित किया जाना एस0आई0ए0 की सूचना संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवं कार्य प्रणाली का तर्क संगत आधार एवं विवरण प्रतिदर्श कार्य पद्धति जिसका प्रयोग किया गया है प्रयुक्त सूचना/आंकड़े के साधनों पर विहंगम दृष्टि प्रपत्र में पृथक से विस्तृत विवरण सम्मिलित किया जाय मुख्य हितधारकों से परामर्श एवं जनसुनवाई के संक्षिप्त विवरण की समय सारणी/प्रपत्र में सम्मिलित रिपोर्ट में जनसुनवाई का विवरण एवं विशेष प्रतिपुष्टि को सम्मिलित करना
भूमि निर्धारण	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक साधनों एवं भूमि की तालिका से सूचना एवं मानचित्रों की सहायता से विवरण

	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना के प्रभाव के अन्तर्गत समाधात का संपूर्ण क्षेत्र (भू-अर्जन क्षेत्र तक सीमित नहीं) परियोजना के लिए कुल आवश्यक भूमि परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ अप्रयुक्त भूमि, सार्वजनिक भूमि का वर्तमान उपयोग पूर्व में कय की गयी भूमि (यदि कोई हो), विक्रीत, पट्टे पर दी गयी या अधिग्रहित की गयी तथा परियोजना के लिए अपेक्षित प्रत्येक भूखण्ड के लिए अभिप्रेत प्रयोग परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की गुणवत्ता एवं स्थिति भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि है तो सिंचाई क्षेत्र विस्तार तथा शस्य प्रारूप जोत का आकार, स्वामित्व प्रारूप, भूमि वितरण एवं आवासीय गृह की संख्या भूमि मूल्य तथा स्वामित्व में तात्कालिक परिवर्तन, संक्रमण तथा विगत तीन वर्षों में भूमि का उपयोग
प्रभावित परिवार एवं परिसम्पत्तियों का प्राक्कलन एवं आगणन (जहां आवश्यक हो)	<p>निम्न प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन—</p> <ul style="list-style-type: none"> ऐसा परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है परन्तु ऐसे परिवार के सदस्य कृषि, श्रमिक हो, किसी जोत में भोगाधिकार प्राप्त हो, कृषि बटायेदार हों, शिल्पकार अथवा भूमि अधिग्रहण के तीन वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हो जिनकी आजीविका का प्राथमिक साधन भू-अर्जन से प्रभावित हो प्रशासनिक संगठन राजनैतिक संगठन समुदाय आधारित एवं नागरिक समाज संगठन प्रादेशिक गतिकी एवं ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया जैविक पर्यावरण की गुणवत्ता
सामाजिक सामाधात	<ul style="list-style-type: none"> सामाधात के चिन्हांकन की रूपरेखा एवं दृष्टिकोण परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों का समाधात का विवरण जैसे स्वास्थ्य, आजीविका एवं सांस्कृति पर प्रभाव/प्रत्येक प्रभाव के लिए पृथक निर्देशांक जैसी भी स्थिति हो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर विशेषता मूलक प्रभाव जहां उपयुक्त हो संचयी प्रभाव प्रभावित क्षेत्र के निर्देशात्मक सूची में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे— भूमि, आजीविका आय, भौतिक संसाधन, निजी परिसम्पत्तियां, सार्वजनिक सेवा एवं सुविधायें, स्वास्थ्य संस्कृति, सामाजिक एकजुटता पर प्रभाव तथा लिंग आधारित प्रभाव
लागत एवं लाभ का विश्लेषण तथा अर्जन की संस्तुति	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक प्रयोजन का निर्धारण, न्यून विस्थापन विकल्प, भूमि की न्यूनतम आवश्यकता, सामाजिक सामाधात की प्रकृति एवं सघनता प्रशमन उपायों की व्यवहार्यता तथा प्रतिकूल सामाजिक मूल्यों तथा संपूर्ण सामाजिक सामाधात अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वनप्रवासियों जिन्होंने अपना कोई भी वनाधिकार खो दिया है आजीविका के लिए समान धन संसाधन पर निर्भर हो जो भू-अर्जन के कारण प्रभावित होंगे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटित की गयी हो तथा वैसी भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत हो

	<ul style="list-style-type: none"> • भूमि अधिग्रहण के पूर्व तीन वर्ष या अधिक समय से नगरीय क्षेत्र की किसी भूमि पर रह रहे हो या अधिवासित हो • उस भूमि पर आजीविका के प्राथमिक साधन के रूप में विगत तीन वर्ष से निर्भर हो जिनका अधिग्रहण किया गया हो • परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो (अपनी भूमि के अर्जन के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न हो) • महत्वपूर्ण भूमि एवं उत्पादक परिसम्पत्तियों की सूची
सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा (प्रभावित क्षेत्र एवं पुनर्व्यवस्थापन स्थल)	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसंख्यिकीय विवरण • आय एवं निर्धनता का स्तर • सुभेद्य समूह • भू-उपयोग एवं आजीविका • स्थानीय आर्थिक किया कलाप • स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक • नातेदारी का प्रारूप एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन को संबोधित करने योग्य एस0आई0एम0पी0 में वर्णित प्रशमन उपायों की सीमा • उपर्युक्त विश्लेषण में समानता के सिद्धान्त को विश्लेषण का आधार बनाया जायेगा जो अर्जन किये जाने अथवा नहीं किये जाने के विषय में अन्तिम संस्तुति प्रस्तुत करेगा
संदर्भ एवं प्रपत्र	<ul style="list-style-type: none"> • संदर्भ एवं अग्रेतर सूचना के लिए

प्रारूप-4

[नियम 6 का उपनियम (7)]

सामाजिक समाधात प्रबंधन योजना का प्रारूप

- प्रशमन का दृष्टिकोण
- सामाधात की क्षतिपूर्ति, प्रशमन एवं बचाव के उपाय
- आर0एण्ड0आर0 की शर्तों में सम्मिलित उपाय तथा अधिनियम में उल्लिखित प्रतिकर
- आपेक्षक निकाय द्वारा परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित किये जाने योग्य उपाय
- जनसुनवाई एवं एस0आई0एम0पी0 प्रक्रिया के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए आपेक्षक निकाय द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त उपाय
- संस्थागत संस्थाओं एवं प्रत्येक प्रशमन उपायों के लिए उत्तरदायी गणमान्य व्यक्तियों तथा समय सीमा एवं प्रत्येक किया कलाप की लागत का विवरण एस0आई0एम0पी0 द्वारा सम्मिलित किया जायेगा।

प्रारूप-5

(नियम-14)

भू-स्वामियों द्वारा आपसी सहमति/घोषणा का प्रपत्र

क्रमांक	सम्बन्धित व्यक्ति का विवरण													
1-	व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम जिसके नाम भूमि पंजीकृत है:													
2-	पति/पत्नी का नाम	विविधत प्रमाणित नवीन फोटो												
3-	पिता/माता/नैसर्गिक अभिभावक का नाम													
4-	पता													
5-	ग्राम/मोहल्ला/ग्राम पंचायत/नगर पालिका/ टाउनशिप/ जिला (यदि आवासीय पता परियोजना के क्षेत्र से भिन्न है तब सभी आवासीय पतों का विवरण दिया जाय)													
6-	परिवार के अन्य सदस्यों की उम्र सहित नाम (बच्चे एवं व्यस्क आश्रितों को सम्मिलित करते हुये)													
	<table border="1"> <tr> <th>क्रम सं०</th><th>नाम और वर्त्तमान</th><th>उम्र</th><th>सम्बन्ध</th><th>संपर्क सूत्र</th><th>पता एवं सम्पर्क नं०</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	क्रम सं०	नाम और वर्त्तमान	उम्र	सम्बन्ध	संपर्क सूत्र	पता एवं सम्पर्क नं०							
क्रम सं०	नाम और वर्त्तमान	उम्र	सम्बन्ध	संपर्क सूत्र	पता एवं सम्पर्क नं०									
7-	भू-स्वामित्व का विवरण													
(i)	कृषि उत्पादक क्षेत्र													
(ii)	किसी निर्माण/संपत्ति से आच्छादित क्षेत्रफल, संपत्ति का विवरण दिया जाय													
8-	किरायेदारी सहित अन्य कोई अधिकार यदि हों (जो कि अधिनियम की धारा 3 (ग) में दी गयी परिभाषा के अन्तर्गत हो)													
9-	किसी भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद, हो तो विवरण दिया जाय													
10-	कय/विकय का अनुबंध/पट्टा/अनुदान, यदि कोई हो तो													
11-	क्या सभी भागों से मुक्त है, यदि कोई हो तो विवरण दें													
12-	शासन द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली मेरी भूमि के सम्बन्ध में, मेरा कथन है कि (टिप्पणी यदि कोई हो तो)													

मैं प्रमाणित करता हूँ कि सहमति में दिये गये कथन मेरे विश्वास में सत्य है तथा मेरी जानकारी में पूर्ण है। सहमति प्रपत्र के कथन को मैंने पढ़ा/मुझे पढ़कर सुनाया गया तथाभाषा में विस्तारपूर्वक समझाया गया तथा इस अधिग्रहण में मेरी सहमति नहीं है/अधिग्रहण में मेरी सहमति है।

प्रभावित परिवार/परिवारों के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा एवं तिथि

ग्राम पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य, लेखपाल, ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी अथवा कोई सरकारी कर्मचारी जो गवाह के रूप में सहमति प्रदान करने वाले व्यक्ति को पहचानता है, के द्वारा हस्ताक्षर एवं सत्यापन

अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि तथा पदाविहित जिला स्तरीय अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तिथि

टिप्पणी-1: भूमि के विनिमय के रूप में भूमि धारक को क्या दिया जाएगा तथा पुनर्व्यवस्थापन की समस्त सूचना इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के पूर्व दी जाएगी। इन नियमों एवं शर्तों को प्रपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

टिप्पणी-2: यदि कोई व्यक्ति सहमति देने से इन्कार करता है अथवा इस प्रपत्र में सहमति नहीं देने के विकल्प का चयन करता है उसे भयाकांत करना अथवा कोई हानि पहुँचाना दण्डनीय अपराध होगा। इसके अन्तर्गत धमकी या ऐसा कोई कार्य सम्मिलित होगा जो उनकी धनहानि, शारीरिक चोट अथवा परिवार के हानि के रूप में परिलक्षित होगा। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी जाती है तो कलेक्टर उसे अमान्य घोषित कर सकेगा।

प्रारूप-6

[नियम 15 का उपनियम (i)]

ग्राम सभा द्वारा सहमति/घोषणा का प्रपत्र

हम, अद्योहस्ताक्षरी ग्राम सभा के सदस्य, अन्तर्गत पंचायत तहसील जिला कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रशासन एवं अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित है। यदि यह सूचना अपूर्ण अथवा गलत है और/अथवा यदि कोई सहमति धमकी, घोखा अथवा मिथ्या निरूपण के आधार पर प्राप्त की गयी है तो वह अमान्य होगी। इस आधार पर यह ग्राम सभा प्रमाणित करती है कि यह प्रस्तावित परियोजना जिसमें सम्मिलित होंगे, से सहमति व्यक्त करती है/सहमति से इन्कार करती है।

- ❖ एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण
- ❖ एकड़ सरकार की भूमि का परियोजना के पक्ष में हस्तांतरण
- ❖ एकड़ वन भूमि का परियोजना के पक्ष में हस्तांतरण

प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ के नियम एवं शर्तें तथा सामाजिक समाघात प्रशमन उपाय से अपेक्षक निकाय (नाम) की सहमति संलग्न है।

ग्राम सभा यह भी अभिकथन करती है कि यह सहमति उन सभी निवासियों के सम्बन्ध में है जिन्होंने निजी तथा सामुदायिक अधिकार वन तथा वनभूमि में प्राप्त कर लिए हैं जिसमें ऐसी वन भूमि के अधिकार भी शामिल हैं जिसमें कृषि कार्य किया जा रहा है, सभी प्रकार के लघु वन उत्पाद के स्वत्व का अधिकार सम्मिलित है तथा सामुदायिक वन के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है।

[टिप्पणी:- इस ग्राम सभा द्वारा इसे पृथक से सत्यापित किया जायेगा।]

ग्राम सभा सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान तथा तिथि

प्रस्ताव के प्राप्त होने पर पदाविहित जिला स्तरीय अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तिथि

प्रारूप-7

[नियम 16 का उपनियम (क)]

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु आवेदन का-प्रपत्र

1-	अपेक्षक निकाय का नाम, संस्था अथवा विभाग जिसके द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन किया गया है।
2-	ग्राम, परगना, तहसील तथा जिला के नाम जहाँ भूमि स्थित है।
3-	भूमि की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में अग्रेतर विवरण (गाटा संख्या, सीमा आदि)
4-	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
5-	भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य/प्रयोजन
6-	अधिग्रहण की लागत हेतु बजट में निधि का प्रावधान
7-	अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर किसी धार्मिक अथवा स्मारक भवन, समाधि, कब्रिस्तान आदि के अस्तित्व का विवरण
8-	क्या अधिग्रहण स्थायी अथवा अस्थायी रूप से आपेक्षित है, यदि अस्थायी रूप से आपेक्षित है वैसी दशा में अधिग्रहण की अनुमानित अवधि
9-	क्या कब्जा प्राप्त किया जाना तत्काल आवश्यक है, यदि हाँ तो कारण एवं औचित्य बताया जाय।
10-	संलग्नक

कलेक्टर
हस्ताक्षर एवं मुहर

आपेक्षक निकाय के अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्रारूप-8

[नियम 16 का उपनियम (ख)]

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि की परियोजना रिपोर्ट का विवरण का प्रपत्र

- 1- आपेक्षक निकाय का नाम :-
- 2- परियोजना का नाम/स्थिति :-
- 3- क्या प्रस्ताव अधिनियम की धारा 2(1)(क) से 2(1)(च) के अधीन प्रस्तुत किया गया है :-
- 4- क्या प्रस्ताव अधिनियम की धारा 2(2)(क) अथवा (ख) के अधीन प्रस्तुत किया गया है :-
- 5- अधिनियम की धारा 3(ग)(i) से (vi) की परिभाषा के अनुसार कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं :-
- 6- (i) क्या प्रस्ताव अधिनियम की धारा 40 के अधीन प्रस्तुत किया गया है :-
(ii) यदि हाँ, तो औचित्य बतायें?
- 7-परियोजना का विवरण :-
(i) ग्राम
(ii) ग्राम पंचायत/ग्राम सभा
(iii) विकास खण्ड/नगर पालिका/परगना
(iv) तहसील
(v) जिला
- 8- क्या भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है।
- 9- (क) प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि के क्षेत्रफल की गणना हेतु प्रयुक्त मानक के सम्बन्ध में सूचना।
(ख) क्या भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है? इस सम्बन्ध में भूमि उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

- 10- अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का वर्तमान वास्तविक उपयोग क्या है?
- 11- क्या प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार किया गया है? विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं?
- 12- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण
 (क) परियोजना में कुल आच्छादित क्षेत्रफल
 (ख) कुल अधिग्रहित निजी भूमि
 (ग) पूर्व से उपलब्ध भूमि (यदि कोई है, तो विवरण दिया जाय)
 (घ) कय की जाने वाली निजी भूमि (यदि कोई है तो विवरण दिया जाय)
 (ङ.) क्या प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध है ? यदि हाँ तो भूमि की वस्तुस्थिति एवं उपलब्धता का विवरण दिया जाए।
 (च) बहु फसली सिंचित भूमि का विस्तार (इस भूमि की आवश्यकता के कारण तथा औचित्य संलग्न किया जाय)
 (छ) असिंचित भूमि का विस्तार
 (ज) कोई अन्य भूमि
- 13- अधिनियम की धारा-3(ग) (i) से (vi) की परिभाषा के अनुसार कितने परिवार प्रभावित हैं?
- 14- यदि अधिग्रहण विभिन्न चरणों में किया जाना है तो विशेष रूप से उल्लेख किया जाय।
- 15- क्या भूमि के किसी अंश का अधिग्रहण किया गया है जो पूर्व में ही भू-स्वामियों से निजी समझौता द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।
- 16- यदि हाँ तो किस तिथि पर और किन शर्तों के साथ (समझौते की शर्तों का उल्लेख संक्षेप में करें तथा उसकी प्रति संलग्न करें)।
- 17- परियोजना के प्रशासकीय अनुमोदन की तिथि एवं बिन्दु के निर्णय सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(प्रति संलग्न की जाए)।
- 18- प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के आशय का प्रमाण पत्र।
- 19- प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र, कय किया गया क्षेत्र तथा सरकारी भूमि यदि कोई है तो उसे सम्मिलित करते हुये कुल परियोजना क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र की तीन प्रतियां।
- 20- परिशिष्ट-1 के अनुसार आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची।

आपेक्षक निकाय के अधिकृत अधिकारी
का हस्ताक्षर मुहर सहित

स्थान:

तिथि:

प्रस्ताव अधिनियम की धारा 10 में वर्णित सीमा के अन्तर्गत है।

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

प्रशासकीय विभाग के लिए

प्रस्ताव अनुमोदित है/अनुमोदित नहीं है।

प्रशासकीय विभाग के सक्षम प्राधिकारी
का हस्ताक्षर

प्रारूप-9

[नियम 16 का उपनियम (घ)]

सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपेक्षित भूमि की आवश्यकता एवं औचित्य के लिए प्रारूप

भाग-क

- 1- अपेक्षक निकाय का नाम :-
- 2- परियोजना का नाम/स्थिति-
- 3- क्या धारा 40 के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया है (यदि हाँ, तो कारण का उल्लेख)।
- 4- भूमि के अधिग्रहण का प्रयोजन।
- 5- क्या क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है।
- 6- अधिनियम की धारा-3(ग)(i) से (vi) की परिभाषा के अनुसार कितने परिवार प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने का अनुमान है?
- 7- प्रस्ताव के कारण एवं औचित्य की टिप्पणी।

सार्वजनिक प्रयोजन के अंतर्गत अधिग्रहण की जाने वाली भूमि

टिप्पणी-(i) अपेक्षक निकाय को प्रमाणित करना चाहिए कि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि परियोजना के प्रस्ताव के लिए नितान्त न्यूनतम है तथा अन्य कोई अल्प विस्थापन विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(ii) अपेक्षक निकाय की संतुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उक्त परियोजना अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा की शर्तों को पूर्ण करता है।

आपेक्षक निकाय के अधिकृत अधिकारी
का हस्ताक्षर

प्रारूप-9 (भाग-ख)

[नियम 17 का उपनियम (3)(iv)]

प्रमाण-पत्र

अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु कलेक्टर का मन्तव्य और औचित्य, कि क्या वह अपेक्षक निकाय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के कारण एवं औचित्य से संतुष्ट है।

1-मैंने..... (अपेक्षक निकाय का नाम) द्वारा प्रस्तुत ग्राम.....परगना..... तहसील जिला में हे0 भूमि के लोक प्रयोजन हेतु अधिग्रहण की जाने वाले प्रस्ताव का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है। मैंने स्थल निरीक्षण भी कर लिया है तथा इस प्रयोजन के लिए संलग्न रिपोर्ट में उल्लिखित विषयवस्तु से मैं संतुष्ट हूँ।

2-मैं, यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सम्बन्धित निकाय द्वारा परियोजना जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तथा प्रस्ताव के साथ अनुमोदन की टिप्पणी भी प्रस्तुत की गयी है, अथवा

3-मैं, संतुष्ट हूँ कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत प्राथमिक अधिसूचना निर्गत करते समय भू-स्वामियों को सुनवाई का आवश्यक अवसर प्रदान किया गया है, अथवा

मैं, संतुष्ट हूँ कि अधिनियम की धारा 40 लागू किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 15 लागू नहीं होगी। भू-स्वामियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के औचित्य से भी मैं संतुष्ट हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दिया जाय)

4-परियोजना के प्रायोजन हेतु आपेक्षक निकाय द्वारा प्रस्तुत अधिग्रहण के लिए नितांत न्यूनतम भूमि के प्रस्ताव के औचित्य से मैं संतुष्ट हूँ तथा यह कि कोई अन्य लघु विस्थापन विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा जैसा कि उक्त परियोजन परिपूर्ण करती है।

5-अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव से मैं संतुष्ट हूँ।

मेरे विचार से उक्त परियोजना अविलम्ब पूर्ण करने हेतु अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत किया जाना आवश्यक है। मेरे द्वारा अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक अधिसूचना के प्रकाशन किये जाने पर प्राप्त किये गये सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा तथा अपेक्षक निकाय को कब्जे के हस्तान्तरण के पूर्व इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा।

कलेक्टर के हस्ताक्षर

जिला कलेक्टर का मंतव्य

(क्या वह परियोजना के प्रयोजन हेतु आपेक्षक निकाय द्वारा प्रस्तुत अधिग्रहण के लिए नितांत न्यूनतम भूमि के प्रस्ताव के औचित्य से संतुष्ट है तथा यह कि कोई अन्य लघु विस्थापन विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा जैसा कि उक्त परियोजना परिपूर्ण करती है।

सार्वजनिक परियोजना की परिभाषा वही है जैसा कि अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत परिभाषित है)

जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर

टिप्पणी—प्रमाण-पत्र का यह भाग एस0आई0ए0 के रिपोर्ट जिला कलेक्टर का हस्ताक्षर प्रस्तुति के समय तथा बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को एस0आई0एम0पी0 देते समय प्रदान किया जायेगा।

प्रारूप-10(क)

[नियम 16 का उपनियम (च)]

परियोजना के लिए उपलब्ध पर्याप्त निधि की वस्तु स्थिति को दर्शाने का प्रमाण-पत्र अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए गणना मेमो का प्रारूप।

(अ) गणना मेमो

(कलेक्टर द्वारा घोषित प्रचलित सर्किल रेट की सूची के अनुसार दिया जाए)

- 1- अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- 2- सर्किल रेट सूची के अनुसार दर
- 3- प्रतिकर की अनुमानित धनराशि (रुपये में)

(बाजार मूल्य अधिनियम की धारा 26 एवं प्रथम अनुसूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी)।

- 4- प्राधिकरण/न्यायालय या अनुग्रह द्वारा बढ़ायी गयी कोई धनराशि (रुपये में)
- 5- प्रस्तावित भूमि या भवन से संबद्ध वस्तुओं का अनुमानित मूल्यांकन (रुपये में)
- 6- अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसल की क्षति के लिए किसी हर्जाना का भुगतान (रुपये में)
- 7- सोलेशियम की शत प्रतिशत अनुमानित धनराशि (रुपये में)

[मूल्य जो अधिनियम की धारा 30(i) तथा प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत निर्धारित किया जाएगा]

- 8- अनुमानित धनराशि का 12 प्रतिशत (रुपये में)

[अधिनियम की धारा-30(iii) के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य]

- 9- भूमि का पूंजीगत मूल्य
- कुल अनुमानित धनराशि (रुपये में)
- (3+4+5+6+7+8 का कुल योग)
- (शब्दों में)

10- कुल अनुमानित धनराशि का 10 प्रतिशत (रूपये में)

आपेक्षक निकाय के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्रारूप-10(ख)

[नियम 16 का उपनियम (च)]

परियोजना के लिए देय राशि, भुगतान तथा बजटीय प्रावधान की स्थिति का प्रमाण-पत्र

..... जिला तहसील परगना ग्राम की
हेक्टेयर सार्वजनिक परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए आपेक्षक निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत अनुमानित मूल्य से मैं संतुष्ट हूँ।

2-मैं प्रमाणित करता हूँ कि अर्जित की जाने वाली भूमि का अनुमानित प्रतिकर का 10 प्रतिशत तथा अध्याप्ति व्यय का 10 प्रतिशत कुल (रूपये में) (शब्दों में)

जमा किया जा चुका है विवरण निम्नवत् है:-

चेक/एन.इ.एफ.टी कोड आर.टी.जी.एस. नं०..... बैंक का नाम आई.एफ.एस.सी. कोड क्षेत्र दिनांक

3-मैं, प्रमाणित करता हूँ कि कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत माँग के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन के मूल्य की धनराशि जमा कर दी जायेगी।

4-मैं, प्रमाणित करता हूँ कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनराशि का प्राक्कलन कर लिया गया है तथा बजटीय प्रावधान कर लिया गया है। अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा के पूर्व आपेक्षित धनराशि जमा कर दी जायेगी तथा इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रभावित परिवारों को सभी आपेक्षित सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

5-मैं, प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान प्रतिकर एवं डिकिटल की कोई भी धनराशि आपेक्षक निकाय के विरुद्ध बकाया नहीं है।

6-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण/माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित संपूर्ण धनराशि जैसा और जब भी कलेक्टर/समुचित सरकार द्वारा मांग की जायेगी, विभाग/आपेक्षक निकाय भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

आपेक्षक निकाय के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप-11

[नियम 16 का खण्ड (ज)]

प्रस्तावित भूमि/भवन से संबद्ध वस्तुओं का प्रारूप

1- आपेक्षक निकाय का नाम

2- परियोजना का नाम/स्थिति

3- धारा-2(1)/2(2)(क) 2(2)(ख) के अधीन दायर-

4- भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य

5- परियोजना का विवरण

(i) ग्राम-

(ii) ग्राम पंचायत/ग्राम सभा-

(iii) ब्लाक/नगर पालिका/परगना—

(iv) तहसील

(v) जिला

6— अर्जित की जा रही निजी भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

सम्पत्ति की सूची

क्रम सं०	खसरा/गाटा नं०	धृत भू-स्वामी का नाम	वस्तुओं का विवरण (पेड़, कुआ, द्यूबवैल, बोरिंग, निर्माण इत्यादि)	निर्माण/अच्छादितक्षेत्रफल/ प्रकृति की माप (ल०xचौ०xउ०) एवं निर्माण/उसपर स्थित कुल मदों की संख्या
----------	---------------	----------------------	---	---

प्रमाणित किया जाता है कि परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के अंतर्गत आपेक्षक निकाय द्वारा रु० की धनराशि अग्रिम जमा की जा चुकी है। शेष धनराशि के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है जिसे अंतिम गणना/मूल्यांकन के समय जमा किया जायेगा।

हस्ताक्षर

आपेक्षक निकाय के प्राधिकृत अधिकारी

निरीक्षण का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने अधीनस्थ अमीन श्री (नाम) एवं अहलमद श्री के साथ स्थल निरीक्षण किया व सूची में वर्णित परिसम्पत्तियों विशेषकर उपरोक्त भूमि पर स्थित निर्माण को अवस्थित पाया। निरीक्षण के समय सूची में वर्णित सम्पत्तियों के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति नहीं पायी गयी।

हस्ताक्षर

(अमीन का नाम)

हस्ताक्षर

(अहलमद का नाम/नायब तहसीलदार)

हस्ताक्षर

कलेक्टर

टिप्पणी—(i) निरीक्षण के समय सूची में वर्णित के अतिरिक्त यदि कोई सम्पत्ति पायी जाती है तो ऐसी दशा में पृथक सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जाए।

(ii) निरीक्षण के समय भूमि पर स्थित प्रत्येक मद/निर्माण की माप प्रस्तुत की जाएगी।

प्रारूप-12

[नियम 16 का खण्ड (झ)]

मन्दिर, मस्जिद, मकबरा, कब्रिस्तान इत्यादि की भूमि न होने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने जनपद की तहसील के ग्राम में प्रस्तावित योजना के लिये अध्याप्ति की जा रही हे० भूमि के प्रार्थना पत्र की जांच की। प्रस्तावित उक्त भूमि पर कोई धार्मिक स्थान और स्मारक जैसे मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मकबरा आदि और ऐसे किसी निर्माण का प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है।

आपेक्षक निकाय के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर।

निरीक्षण का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के समय कोई धार्मिक स्थल और स्मारक या अन्य कोई निर्माण नहीं पाया गया जिसको अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थानांतरित करने या ध्वस्तीकरण की आवश्यकता हो।

हस्ताक्षर
(अमीन का नाम)

हस्ताक्षर
(नायब तहसीलदार)

कलेक्टर के हस्ताक्षर

प्रारूप-13

[नियम 17 का उपनियम (2)(i)]

सार्वजनिक प्रायोजन अथवा शासकीय प्रायोजन हेतु सुरक्षित भूमि न होने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला तहसील परगना
ग्राम में स्थित प्रस्तावित हे० भूमि की भू खण्ड संख्या/गाटा संख्या में से निम्नलिखित गाटा संख्या है और उक्त गाटा संख्या राजस्व अभिलेखों में निजी भूमि के रूप में अंकित है। प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 1359 फसली के अभिलेख एवं बन्दोवस्त अभिलेख से भलीभाँति मिलान कर लिए गये हैं। गांव सभा में निहित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत परिभाषित, केन्द्र/राज्य सरकार की कोई भूमि उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है।

कम संख्या	भूखण्ड सं०/गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभियुक्ति, यदि कोई
-----------	---------------------	---	--------------------

सत्यापन का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सभी भूखण्ड/गाटा संख्याओं का मिलान 1359 फसली वर्ष के राजस्व अभिलेखों के साथ-साथ सी.एच-41 व सी.एच-45 से कर लिया गया है। अनुसूची के प्रत्येक पृष्ठ में संक्षिप्त हस्ताक्षर बनाये गये हैं।

क्षेत्रीय लेखपाल का नाम एवं हस्ताक्षर

मेरे द्वारा जांच की गयी तथा सत्यापन किया गया और सही पाया गया।

राजस्व निरीक्षक का नाम व हस्ताक्षर

सम्प्रेषित। तैयार किये गये अभिलेख की एक प्रति तहसील के अभिलेख में रखी गयी है।

मुहर सहित तहसीलदार के हस्ताक्षर

टिप्पणी—यदि ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया या अभिलेख किया के अन्तर्गत हो तो तैयार किया गया खसरा अधीनस्थ स्टाफ एवं ए०आर०ओ०/एस०ओ०सी० द्वारा मिलान सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया जाय।

हस्ताक्षर
(अहलमद का नाम)

हस्ताक्षर
(प्रधान लिपिक का नाम)

कलेक्टर के हस्ताक्षर

प्रारूप-14

[नियम 17 का उपनियम (2) का खण्ड (दो)]

सीलिंग भूमि नहीं होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प्लॉट नम्बरों/गाटा नम्बरों जो कि प्लॉट नम्बरों का रकबा नीचे दिया गया है का भाग हेक्टेअर का प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम परगना तहसील जिला में है। और दिये गये प्लॉट जो कि निजी खातों में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। नीचे दर्शाई जा रही भूमि सीलिंग भूमि (शहरी/ग्रामीण) में प्रस्तावित नहीं है।

क0सं0	प्लॉट नम्बर/गाटा नम्बर	अधिग्रहण किये जाने योग्य क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	टिप्पणी यदि कोई हो
-------	------------------------	---	--------------------

नोट:—प्रभारी अधिकारी सीलिंग भूमि जिला स्तर एक रिपोर्ट तहसीलदार/सहायक अभिलेख अधिकारी/बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी से मंगवाकर ऐसी भूमि/रकबा का सत्यापन करेंगे।

हस्ताक्षर
(अहलमद का नाम)

हस्ताक्षर
(प्रधान लिपिक का नाम)

हस्ताक्षर मय मुहर
प्रभारी अधिकारी (सीलिंग)
जिलास्तर

कलेक्टर के हस्ताक्षर

प्रारूप-15

[नियम-17 का उपनियम (3) का खण्ड (क)]

प्रारम्भिक जांच के बिन्दु

1—	क्या राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम और परगना सही है?
2—	क्या प्रस्तावित भूमि और अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल की योजना सही है?
3—	क्या प्रपत्र एल.ए.प्रारूप-13, 14, 16(क)(ख) राजस्व अभिलेखों के अनुसार तैयार किए गए हैं? यदि हां तो यह विनिश्चय कर लिया जाय कि सभी प्रपत्रों पर अभिलेख के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किये गये हैं।
4—	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का भू-राजस्व और पूंजीकृत मूल्य क्या है?
5—	क्या प्रस्तावित भूमि 'जेड.ए. क्षेत्र' में है या नॉन जेड.ए. क्षेत्र में है। जोत और गैर जोत क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया जाय। ग्राम सभा, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की भूमि का पृथक से दिया जाय।
6—	यदि किसी ग्राम सभा की कोई भूमि इस परियोजना की परिधि में आती है तो अधिग्रहण के पश्चात स्थिति क्या होगी? क्या यहां कुछ विकास किया गया है। यदि हां तो ऐसे विकास कार्यों का अनुमानित मूल्य क्या होगा?
7—	क्या प्रस्तावित भूमि में बंजर/कृषि योग्य / बाग भूमि/आबादी/व्यवसायिक भूमि सम्मिलित है?
8—	क्या प्रस्तावित भूमि में औद्योगिक, वाणिज्य अथवा आबादी क्षेत्र विकसित होने की सम्भावना है?
9—	क्या प्रस्तावित भूमि जिसका अधिग्रहण आवश्यक है उसमें निर्माण का कोई अंश स्थित है यदि हां तो निर्माण के भुगतान हेतु समुचित अनुमानित मूल्य की गणना की गयी है।
10—	(i) क्या प्रस्ताव में प्रतिकर, परिसम्पत्तियों के मूल्य, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों के समुचित

	मूल्यांकन को सम्मिलित किया गया है? (ii) विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत प्रतिकर के भुगतान के प्रस्ताव हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। (iii) क्या कलेक्टर के समक्ष अग्रिम धनराशि के रूप में अधिग्रहण के मूल्य की अनुमानित धनराशि जमा की गयी है?
11-	यदि प्रतिकर के रूप में भूमि प्रदान की जाए तो उसका विवरण दिया जाय।
12-	क्या प्रस्तावित भूमि पर सुखाधिकार उत्पन्न होते हैं? यदि हां तो विवरण संलग्न करें।
13-	क्या भूमि का अधिग्रहण प्रभावित कृषकों के आपसी समझौते के आधार पर किया जा सकता है?
14-	क्या परियोजना के 1/2 मील की परिधि में कोई बंजर अथवा अकृषक भूमि उपलब्ध है?
15-	क्या प्रस्तावित अधिग्रहण में कोई धार्मिक, स्मारक सम्बन्धी निर्माण या मकबरा, मन्दिर, कब्रिस्तान इत्यादि शामिल किया गया है। यदि हां तो क्या उक्त धार्मिक समुदाय से सहमति प्राप्त की गयी या नहीं? यदि ली गयी तो अपेक्षक निकाय द्वारा सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं।
16-	क्या प्रस्तावित अधिग्रहण के विरुद्ध किसी प्रकार कोई आंदोलन किये जाने की संभावना है। यदि हां तो उसका विवरण दिया जाय।
17-	(i) क्या उसी प्रस्तावित भूमि के लिये अधिग्रहण हेतु कोई प्रस्ताव कभी विचाराधीन रहा है? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? (ii) क्या उसी भूमि का अन्य प्रस्ताव किसी अन्य स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां तो उसका विस्तृत विवरण दिया जाय।
18-	(i) क्या अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि की वास्तव में आवश्यकता है? (ii) क्या प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु न्यूनतम अपेक्षित भूमि है? (iii) क्या अधिनियम की धारा-10 में वर्णित प्रावधान से अपेक्षित भूमि का तारतम्य है?
19-	क्या प्रस्तावित भूमि वर्तमान समय में रिक्त है और किसी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण अपेक्षक निकाय द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है?
20-	क्या अपेक्षक निकाय अधिनियम के अनुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत सुविधाओं को प्रदान किया जाना सुनिश्चित करते हैं?
21-	क्या प्रस्तावित भूमि में ग्राम सभा, स्थानीय निकाय, सरकार, सीलिंग आदि की भूमि सम्मिलित की गयी है?
22-	क्या प्रस्ताव में कोई वन क्षेत्र, विशेष क्षेत्र की भूमि को सम्मिलित किया गया है? यदि हां तो उसका विवरण अंकित किया जाय।
23-	प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित लोगों की स्थिति— (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (ii) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (iii) भूमिहीन कृषक (iv) सीमान्त कृषक (v) कोई अन्य

हस्ताक्षर
(अमीन का नाम)

हस्ताक्षर
(अहलमद का नाम)

कलेक्टर के हस्ताक्षर

टिप्पणी— यह रिपोर्ट प्रारम्भिक अधिसूचना के समय भूमि अर्जन कार्यालय द्वारा प्रारूप एल.ए-अ के भाग (ख) के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

प्रारूप-16 (क)

[नियम-17 का उपनियम (3) का खण्ड (ख)]

खसरा के लिए प्रपत्र

आपेक्षक निकाय का नाम—

परियोजना का नाम—

वर्ष —

ग्राम—

परगना—

तहसील—

जिला—

फसली वर्ष—

अधिग्रहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का खसरा

क्रम संख्या	खाता नम्बर	प्लॉट/खसरा नम्बर	राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्लॉट/खसरा का कुल क्षेत्रफल	वर्तमान प्रस्ताव में अधिग्रहण किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

अभिलिखित भू-धारक का नाम			नान जेड.ए. क्षेत्र में पट्टेदार/उप पट्टेदार	क्या अन्य आसामी क्षेत्र है, तो विवरण	मृदा वर्ग, यदि कोई हो तो
नान जेड.ए. क्षेत्र में स्वामी/ उपस्वामी	भूमिधर	सरकार			
	श्रेणी-1क	श्रेणी-II			
6	7	8		9	10

भूमि की माल गुजारी	सिंचित/असिंचित	एक फसली/दो फसली	भूमि पर स्थित वस्तुएं/परिसम्पत्तियां जैसे वृक्ष, कुएं, टयूबवैल, खड़ी फसल, अन्य कोई निर्माण इत्यादि यदि हो	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15

(अमीन के हस्ताक्षर)

मय नाम

नायब तहसीलदार (भू0अ0) के हस्ताक्षर

मय नाम

सत्यापन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा खसरा में अंकित सभी इन्द्राजों का मिलान राजस्व अभिलेखों के अनुसार जैसा कि चकबन्दी आकार पत्र-41 में दिया गया सही पाया गया। खसरा के प्रत्येक पृष्ठ पर संक्षिप्त हस्ताक्षर किए गये हैं।

हस्ताक्षर

(क्षेत्रीय लेखपाल का नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा में अंकित सभी इन्द्राजों का मिलान मेरे द्वारा राजस्व अभिलेखों के अनुसार किया गया और सही पाया गया है।

हस्ताक्षर

(क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक का नाम)

सम्प्रेषित/तैयार किए गये रिकार्ड की प्रति तहसील रिकार्ड्स में रख ली गयी है।

तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मुहर

नोट :-यदि सम्बन्धित ग्राम अभिलेख प्रक्रियाओं या चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत है तो तैयार किए गये खसरा का मिलान/सत्यापन अधीनस्थ स्टाफ के हस्ताक्षर से तथा सम्बन्धित सहायक अभिलेख अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से कराया गया।

हस्ताक्षर

(अहलमद का नाम)

हस्ताक्षर

(प्रधान लिपिक का नाम)

कलेक्टर के हस्ताक्षर

प्रारूप-16 (ख)

[नियम-17 का उपनियम (3) का खण्ड (ख)]

खतौनी का प्रपत्र

आपेक्षक निकाय का नाम—

परियोजना का नाम—

वर्ष —

ग्राम—

परगना—

तहसील—

जिला—

फसली वर्ष—

अधिग्रहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का खतौनी

क्रम सं०	खाता नं०	प्लॉट/खसरा नं०	वर्तमान प्रस्ताव में अधिग्रहण किये जाने योग्य कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4

अभिलिखित भू-धारक का नाम			नान जेड.ए. क्षेत्र में पट्टेदार/उप पट्टेदार	यदि कोई अन्य आसामी क्षेत्रफल हो तो उसका विवरण	अभ्युक्ति
नान जेड.ए. क्षेत्र में स्वामी/ उपस्वामी	भूमिधर/सरकारी				
	श्रेणी-1अ	श्रेणी-II			
6	7	8		9	10

हस्ताक्षर
(अमीन का नाम)

हस्ताक्षर
नायब तहसीलदार (भू०अ०) का नाम

सत्यापन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खतौनी में अंकित सभी इन्द्रजों का मिलान मेरे द्वारा राजस्व अभिलेखों से जैसा कि खतौनी फसली वर्ष, 1359 और बन्दोवस्ती/चकबन्दी आकार पत्र-45 में दर्ज किया गया और सही पाया गया। खतौनी के प्रत्येक पृष्ठ पर संक्षिप्त हस्ताक्षर किए गये हैं।

हस्ताक्षर

(क्षेत्रीय लेखपाल का नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि खतौनी में अंकित सभी इन्द्रजों का मिलान मेरे द्वारा राजस्व अभिलेखों के अनुसार किया गया और सही पाया गया है।

हस्ताक्षर

(क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक का नाम)

सम्प्रेषित/तैयार किए गये रिकार्ड की प्रति तहसील रिकार्ड्स में रख ली गयी है।

तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मुहर

नोट:-यदि सम्बन्धित ग्राम अभिलेख प्रक्रियाओं या चकबन्दी प्रक्रियाये चल रही है, तो तैयार खतौनी का मिलान/सत्यापन अधीनस्थ स्टाफ के हस्ताक्षर से तथा सम्बन्धित सहायक अभिलेख अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से कराया जाय।

हस्ताक्षर
(अहलमद का नाम)

हस्ताक्षर
(प्रधान लिपिक का नाम)

कलेक्टर के हस्ताक्षर

प्रारूप-17

[नियम-20 का उपनियम(1)]

भूमि अध्याप्ति कार्यालय की रिपोर्ट

सम्बन्धित अभिलेख से मिलान एवं सत्यापन तथा कलेक्टर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट
(प्रारूप एल.ए.- III परिशिष्ट- II)

नाम एवं हस्ताक्षर
अमीन

नाम एवं हस्ताक्षर
अहलमद

नाम एवं हस्ताक्षर
नायब तहसीलदार

समुचित सरकार/कलेक्टर का प्रेक्षण एवं आदेश

जनपद तहसील परगना ग्राम में हे0
के सम्बन्ध में (आपेक्षक निकाय का नाम) द्वारा एस.आइ.ए. अध्ययन तथा एस.आइ.एम.पी. के लिए
समुचित सरकार द्वारा किये गये अवलोकन के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया। मैंने आपेक्षक
निकाय द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्तुत आवेदन की भी जांच की।

- 2- निम्नलिखित कारणों से आवेदन में उल्लिखित विषयवस्तु के लिए भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है/आवश्यक नहीं है।
- 3- भूमि के लिए अनुमानित प्रतिकर की धनराशि (रूपये में) है। आपेक्षक निकाय द्वारा निम्न रीति से धनराशि जमा कर दी गयी है।
- 4- यदि भूमि अर्जित की गयी है तो भू-राजस्व में अनुमानित कमी/छूट निम्न प्रकार वर्णित है:-

ग्राम/परगना / तहसील/जिला	प्रभावित खातों की कुल संख्या	प्रभावित भूखण्ड गाटा नं० की कुल संख्या	भू-धारकों की संख्या	भूराजस्व में कुल अनुमानित कमी/छूट
-----------------------------	---------------------------------	--	------------------------	---

- 5- भूमि का पूंजीगत मूल्य होगा तथा अनुमानित पूंजीगत मूल्य जमा किया जा चुका है।
- 6- निम्नलिखित कारणों से निजी समझौते के आधार पर कय आपेक्षित/व्यवहारिक नहीं है।
- 7- आपेक्षक निकाय के औचित्य के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है तथा अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनैच्छिक विस्थापन नहीं होगा। आपेक्षित भूमि अधिनियम की धारा-10 में उल्लिखित प्राविधानों के सुसंगत होगी।
- 8- प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय पहलू को भी ध्यान में रखा गया है तथा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं।
- 9- प्रस्तावित अधिग्रहण में विभिन्न घटकों का विवरण निम्नवत् है:-
 - (क) परियोजना में कुल अच्छादित क्षेत्रफल
 - (ख) अधिग्रहित की जाने वाली कुल अधिग्रहीत भूमि
 - (ग) पूर्व से उपलब्ध भूमि
 - (घ) कय किये जाने योग्य निजी भूमि
 - (ङ.) परियोजना में सरकारी भूमि
 - (च) बहुफसली सिंचित भूमि का विस्तार
 - (छ) असिंचित भूमि का विस्तार
 - (ज) कोई अन्य भूमि
- 10- अधिनियम की धारा-3(ग) (i) से (vi) तक में वर्णित प्रभावित परिवारों की अनुमानित संख्या (पृथक विवरण दिया जाय)

- 11- क्या परियोजना की 1/2 मील की परिधि में कोई बंजर अथवा अकृषक भूमि उपलब्ध है?
- 12- प्रस्तावित अधिग्रहण में कोई धार्मिक, स्मारकीय निर्माण अथवा मकबरा, मन्दिर, कब्रिस्तान इत्यादि सम्मिलित नहीं है अथवा उन धार्मिक समुदाय से आवश्यक सहमति ले ली गयी है।
- 13- प्रस्तावित अधिग्रहण के विरुद्ध किसी प्रकार के अंदोलन के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। (यदि हां तो विवरण दिया जाय)
- 14- उसी प्रस्तावित भूमि के लिए अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है अथवा उसी भूमि के लिए (हेक्टेयर) भूमि के अधिग्रहण/कय का अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है।
- 15- अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत सभी लाभ प्रदान करने का दायित्व आपेक्षक निकाय पर होगा।
- 16- गांव सभा, स्थानीय निकाय, सरकार, सीलिंग, निष्कृंत सम्पत्ति, वन क्षेत्र भूमि, विशेष क्षेत्र की भूमि प्रस्तावित भूमि में सम्मिलित नहीं की गयी है।
- 17- कलेक्टर द्वारा अवलोकन किये जाने योग्य कोई अन्य बिन्दु का विशेष विवरण
- 18- अधिग्रहण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर मेरे द्वारा विचार किया गया तथा अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ाये जाने पर मैं संतुष्ट हूँ एवं अन्तर्गत धारा-11 की अधिसूचना जारी की जा सकती है अथवा आवश्यक सूचना निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को संदर्भित किया जा सकता है

या

मेरे विचार में इस अर्जन की कार्यवाही का जारी रखना निम्नलिखित कारणों से वांछनीय है और तदनुसार शासन को सन्दर्भ प्रस्तुत कर दिया जाय।

दिनांक:-

स्थान:-

कलेक्टर

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
[(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विभाग

अधिसूचना संख्या-.....

दिनांक

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन परियोजना हेतु जनपद तहसील परगना ग्राम में कुल हे० भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-

.....
.....
.....

4-भूमि अर्जन के कारण कुल परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है:-

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाये करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/कय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
 राज्य सरकार/कलेक्टर

प्रारूप-19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोशणा

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

उत्तर प्रदेश सरकार

विभाग का नाम

अधिसूचना संख्या

दिनांक

अधिसूचना

..... (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा परियोजना हेतु जिला तहसील परगना ग्राम में स्थित हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या दिनांक को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक को प्रकाशित की

गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला तहसील परगना ग्राम की हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

..... (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की परियोजना हेतु जिला तहसील परगना ग्राम में स्थित हेक्टेयर भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या दिनांक के कम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है-

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से

कलेक्टर

प्रारूप 20 (क)

(नियम 29)

अधिनियम की धारा 21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) अधिसूचना संख्या निर्गत करते हैं तथा (अपेक्षक निकाय का नाम) के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु परियोजना के लिए जिला तहसील परगना ग्राम में स्थित अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा संख्या दिनांक। अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय (भूमि अध्याप्ति हेतु) में (कार्यालय का नाम) (पूर्वाहन/अपराहन) पर माह के दिन वर्ष 20..... को उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्ध में दावे की धनराशि एवं व्यौरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

जनपद	परगना/तहसील	ग्राम/नगर	भूखण्ड संख्या/ गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5

अभिलिखित भू-धारक/ उपस्वामी/भूमिधर/सरकारी का नाम	स्वामी/ पट्टेदार	किरायेदार/उप किरायेदार/असामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
6	7	8	

यह नोटिस दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

कलेक्टर

टिप्पणी :- नोटिस का प्रकाशन अधिनियम की धारा 21(1) एवं (2) के अन्तर्गत परिभाषित रीति से किया जायेगा।

प्रारूप-20 (ख)

(नियम 29)

अधिनियम 2013 की धारा 21(4) एवं (5) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवास स्थान

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) अधिसूचना संख्या निर्गत करते हैं तथा (अपेक्षक निकाय का नाम) के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु परियोजना के लिए जिला तहसील परगना ग्राम में स्थित अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा

संख्या दिनांक। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय (भूमि अध्याप्ति हेतु) में (कार्यालय का नाम) (पूर्वाहन/अपराहन) पर माह के दिन वर्ष 20... को उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा हितों के सम्बन्ध में दावे की धनराशि एवं व्यौरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

जनपद	परगना/तहसील	ग्राम/नगर	भूखण्ड संख्या/ गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5

अभिलिखित भू-धारक/ उपस्वामी/भूमिधर/सरकारी का नाम	स्वामी/ पट्टेदार	किरायेदार/उप किरायेदार/असामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
6	7	8	

यह नोटिस दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित निर्गत किया गया है।

कलेक्टर

प्रारूप-21

(नियम 30 का उपनियम (1)(ग))

विक्रय पत्रों की सूची

ग्राम / कस्बा :
 परगना / तहसील :
 जिला :
 विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय :
 परियोजना का नाम :
 अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना :
 का विवरण तथा उसके प्रकाशन का दिनांक :
 धारा-40 के प्रावधान लागू हैं अथवा नहीं :

क्रम सं०	विक्रय पत्र के निष्पादन का दिनांक/ शर्तनामा	विक्रय पत्र अथवा शर्तनामा	ग्राम का नाम	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	विक्रीत भूखण्ड/ भूखण्डों की संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8

मृदा का प्रकार	दर	विक्रय मूल्य	मूल्य प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्ग मीटर	भूखण्ड तथा मूल्य जैसा कि कलेक्टर द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चयनित हो	विवरण
9	10	11	12	13	14

अहमद का नाम व हस्ताक्षर

लेखाकार का नाम व हस्ताक्षर

कलेक्टर

प्रारूप-22

नियम 30 का उपनियम (1) (घ) तथा (च)

अधिग्रहण किये जाने वाले भवनों, वृक्षों, नलकूपों, कुओं, फसलों इत्यादि जो कि भूमि से संबद्ध हों, के मूल्यांकन का प्रपत्र।

ग्राम/कस्बा		
परगना/तहसील		
जिला		
विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय		
परियोजना का नाम		
अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना का विवरण तथा इसके प्रकाशन का दिनांक		
धारा-40 के प्रावधान लागू है अथवा नहीं		

क्रम सं०	खसरा संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रपत्र-vii (अ) का क्रमांक	भूमि से संबद्ध वस्तुओं का विवरण [भू0अ0 प्रपत्र-iv (अ) के स्तम्भ-14 के अनुसार]	मापन, परिमाण इत्यादि
1	2	3	4	5

मूल्यांकन का तरीका	आंकलित बाजार मूल्य	भूमि से संबद्ध वस्तुओं का कुल मूल्यांकन	अभ्युक्ति
6	7	8	9

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आख्या में संलग्न मूल्यांकन का आंकलन विभाग से प्रेषित मूल्यांकन की आख्याओं के आधार पर किया गया है।

मूल्यांकन की गणना के दौरान इस प्रकार पूरा ध्यान दिया गया है। (विवरण यदि कोई हो)

तैयार कर्ता

जाँच कर्ता

नाम एवं हस्ताक्षर अमीन

नाम एवं हस्ताक्षर लेखाकार

कलेक्टर के हस्ताक्षर

अधिग्रहण किये जाने वाले भवनों, वृक्षों, कुओं, नलकूपों, फसलों इत्यादि, जो कि भूमि से संबद्ध हैं, के मूल्यांकन का प्रारूप।

(प्राधिकृत मूल्यांकन कार्यालय द्वारा दो प्रतियों में जमा किये जाने हेतु)

ग्राम/कस्बा		
परगना/तहसील		
जिला		
विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय		
परियोजना का नाम		
अधिनियम की धारा-11 की अधिसूचना का विवरण तथा इसके प्रकाशन का दिनांक		
धारा-40 के प्रावधान लागू है अथवा नहीं		

सम्पत्ति का विवरण तथा उसकी मूल्यांकन आख्या

क्रम सं०	खसरा नम्बर	भू०अ० प्रपत्र- vii (अ) का क्रमांक	भूमि से संबद्ध वस्तुओं का विवरण (भू०अ० के प्रपत्र के स्तम्भ-14 के अनुसार)	मापन, परिमाण इत्यादि
1	2	3	4	5

आंकलित मूल्य	मूल्यांकन का तरीका	खड़ी फसलों का मूल्यांकन, यदि कोई हो तो	भूमि से सम्बद्ध वस्तुओं का कुल मूल्यांकन	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10

नोट :- (1) सम्बन्धित संस्था/मूल्यांकन कार्यालय के भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा विवरण का स्तम्भ-1, 2, 3 व 4 उपलब्ध कराया जाना है।

(2) कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) द्वारा सम्बन्धित संस्था/मूल्यांकन कार्यालय द्वारा अधिनियम की धारा-11(1) की अधिसूचना के तत्काल बाद मूल्यांकन का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकारी का हस्ताक्षर
विभाग

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आख्या में संसूचित मूल्यांकन मेरे संज्ञान में सही है तथा निर्दिष्ट गणना तरीका
..... (निकाय, यदि कोई हो तो) के आधार पर मूल्यांकन की गयी हैं।

संस्थान के प्रमुख का हस्ताक्षर व मुहर

नोट:-अधिनियम की धारा-21(4) तथा (5) में निर्दिष्ट तरीके से नोटिस दी जायेगी।

प्रारूप-23

नियम 30 का उपनियम (3)

अधिग्रहीत भूमि के लिए देय प्रतिकर का सम्पूर्ण विवरण पत्र

1-	विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय	
2-	अपेक्षित निकाय द्वारा पुनर्ग्रहण करने का दिनांक	
3-	धारा-4(2) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण की अधिसूचना का दिनांक	
4-	अधिग्रहण का क्षेत्रफल (i) अधिसूचना/उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिग्रहीत क्षेत्रफल (ii) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान पूर्व अधिग्रहण/क्रय की गयी भूमि (iii) विवादग्रस्त तथा सक्षम कार्यालयों (विवरण के साथ सूची संलग्न की जायेगी) द्वारा पारित स्थगनादेशों के कारण वर्तमान अभिनिर्णय में कोई क्षेत्रफल जो सम्मिलित न किया गया हो। (iv) कुल क्षेत्रफल	
5-	ग्राम/कस्बा	
6-	परगना/तहसील	
7-	जिला	
8-	अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत अधिसूचना का विवरण	
9-	अधिसूचना के प्रकाशन का दिनांक (अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया हो तो उसका विवरण संलग्न करते हुए)	
10-	अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विवरण	
11-	उद्घोषणा के प्रकाशन का दिनांक (अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है तो उसका विवरण संलग्न करते हुए)	
12-	अधिनियम की धारा-15(1) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करने का दिनांक	
13-	सुनवाईयों के पूर्ण होने का दिनांक	
14-	भूमि जमींदारी/जमींदारी उन्मूलन के अंदर है।	
15-	अपेक्षित निकाय द्वारा कब्जा लेने की तिथि (i) साधारण अधिग्रहण की प्रत्याशा में हितबद्ध पक्षकारों के साथ संधि पत्र के माध्यम से (सूची संलग्न की जाय) (ii) अधिनियम की धारा-38(1) के अन्तर्गत (iii) अधिनियम की धारा-40(1) के अन्तर्गत (कब्जा प्राप्ति का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा)	

विवरण-

क्रम सं०	खतौनी खाता	भूखण्ड / खसरा/ गाटा संख्या	अधिग्रहीत भूखण्ड का क्षेत्रफल (हे० में)	भूखण्ड हेतु लागू दर (प्रति हे०)
1	2	3	4	5

बाजार मूल्य (अधिनियम की धारा-26 के अनुसार)	गुणांक 01 जिससे शहरी क्षेत्र के बाजार मूल्य से गुणा किया जाना है तथा गुणांक 02 जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है।	कुल बाजार मूल्य (स्तम्भ 6+7)	भवनों हेतु आगणित धनराशि	वृक्षों हेतु आगणित धनराशि
6	7	8	9	10

अन्य निर्माण/ अन्य सम्पत्तियां जो भूखण्ड पर अवस्थित है की आगणित धनराशि	अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत क्षति	कुल प्रतिकर मूल्य (स्तम्भ-8+9+10+ 11+12)	सोलेशियम की समतुल्य प्रतिकर का 100 प्रतिशत (अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत)	कुल देय धनराशि (रूपये में)
11	12	13	14	15

अधिनियम की धारा-30(3) के अन्तर्गत बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर (नोट-नये अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण के मामलों में यह एस.आई.ए. के 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एस.आई.ए. के प्रकाशन के दिनांक से अधिनियम की धारा-4(2), 2013 की धारा-30 तथा पुराने अधिनियम की स्थिति में यह अधिसूचना अन्तर्गत धारा-4(1) के दिनांक से होगा)	कुल देय प्रतिकर (स्तम्भ-15 +16)	सम्पूर्ण कुल धनराशि (शब्दों तथा अंकों में)	आगणित एवं प्रस्तावित प्रतिकर की धनराशि के अन्तर की दशा में, यदि कोई हो तो, स्पष्टीकरण
16	17	18	19

अहलमद का हस्ताक्षर

लेखाकार का हस्ताक्षर

कलेक्टर

प्रारूप-24

भूमि अधिग्रहण अभिनिर्णय
नियम 30 का उपनियम (3)

1-	वाद संख्या एवं अभिनिर्णय का दिनांक		
2-	विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय		
3-	अपेक्षित निकाय द्वारा पुनर्ग्रहण प्रारम्भ करने की तिथि		
4-	अधिनियम की धारा-4(2) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना का दिनांक		
5-	अधिग्रहण के अन्तर्गत क्षेत्रफल (i) अधिसूचना/उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिग्रहीत क्षेत्रफल (ii) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के दौरान पूर्व अधिकरण/क्रय की गई भूमि। (iii) विवादग्रस्त तथा सक्षम न्यायालयों (विवरण के साथ सूची संलग्न की जायेगी) द्वारा पारित स्थगनादेशों के कारण वर्तमान अभिनिर्णय में कोई क्षेत्रफल, जो सम्मिलित न किया गया हो, (iv) कुल क्षेत्रफल		

6-	ग्राम/कस्बा		
7-	परगना/तहसील		
8-	जिला		
9-	अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत अधिसूचना का विवरण		
10-	अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि (यदि कोई अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है तो उसका विवरण सम्मिलित करते हुए)		
11-	अधिनियम की धारा-19 के उद्घोषणा का विवरण		
12-	उद्घोषणा के प्रकाशन का दिनांक (अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है उन्हें सम्मिलित करते हुए)		
13-	अधिनियम की धारा-15(1) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की तिथि		
14-	सुनवाई समाप्त होने का दिनांक		
15-	भूमि जमींदारी/जमींदारी उन्मूलन के अन्तर्गत है		
16-	अपेक्षित निकाय द्वारा कब्जा लेने का दिनांक (i) सामान्य अधिग्रहण की प्रत्याशा में हितबद्ध व्यक्तियों के साथ संधिपत्र के द्वारा (सूची संलग्न की जायेगी) (ii) अधिनियम की धारा-38(1) के अन्तर्गत (iii) अधिनियम की धारा-40(1) के अन्तर्गत (कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा)		
17-	नाम/भूमि धारकों का नाम (भूस्वामी तथा पता सहित) भूखण्ड संख्या तथा अधिग्रहीत क्षेत्रफल (अधिनियम के साथ विवरण कि पृथक-पृथक पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए)		
18-	भूमि पर अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या तथा उनके हितों का प्रकार		
19-	विक्रय विलेख का आलेख अथवा अधिनियम की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना की तीन वर्ष पूर्व तक की विक्रय आकृति संलग्न की जाये।		
20-	बाजार मूल्य (अधिनियम की धारा-26 के अनुसार)		
21-	(i) गुणांक 01 जिससे शहरी क्षेत्र की बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है अथवा गुणांक 02 जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बाजार मूल्य की गुणा किया जाना है। (ii) भवनों हेतु आगणित धनराशि (iii) वृक्षों हेतु आगणित धनराशि (iv) अन्य निर्माण/अन्य सम्पत्ति जो भूमि पर अवस्थित होने हेतु आगणित धनराशि (v) अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत नुकसान		
22-	कुल प्रतिकर मूल्य [(1) से (5).]		
23-	सोलेशियम के समतुल्य प्रतिकर मूल्य का 100 प्रतिशत (अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत)		
24-	कुल देय प्रतिकर (अंकों में)		
25-	(i) अधिनियम की धारा-30(3) के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रतिकर नोट:- नये अधिनियम के अन्तर्गत भू-अधिग्रहण की दशा में, अधिनियम की उपधारा 4(2) धारा-30 वर्ष 2013 के अन्तर्गत यह सामाजिक समाधात निर्धारण की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है तथा पुराने अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की दशा में, अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना का दिनांक होगा।		

26-	महायोग की धनराशि (रुपये में तथा अंकों में)															
27-	प्रतिकर के आगणित एवं प्रस्तावित मूल्यों में अन्तर, यदि कोई हो तो उसका स्पष्टीकरण															
28-	पूँजीकृत मूल्य जिसे अवमुक्त किया जाना है, का विवरण (गणना भी संलग्न किया जाय)															
29-	अधिग्रहण व्यय/अवस्थापना व्यय/आकस्मिक व्यय जो अवमुक्त किया जाना है (गणना चार्ट संलग्न किया जाय)															
30-	क्या प्रतिकर विवरण सही तैयार किया गया है? क्या ये संलग्न है?															
31-	निरीक्षण का दिनांक (निरीक्षण टिप्पणी अधिनिर्णय का अंग होना चाहिए)															
32-	(i) अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत नोटिस के निर्गमन का दिनांक (ii) अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत नोटिस के निर्गमन का अन्तिम दिनांक (iii) अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत आपत्तियों हेतु निर्धारित दिनांक															
33-	क्या अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया से नोटिस का तामिला हुआ है?															
34-	हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दायर आपत्तियों की संख्या															
35-	भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम तथा उनके सम्बन्धित हितों की प्रकृति का विवरण															
36-	आपत्तियों पर निरीक्षण की संक्षिप्त टिप्पणी (विस्तृत विवरण/आपत्तियों के निस्तारण में संतोषजनक चर्चा की जानी चाहिए)															
37-	<table><tr><td>क्रम सं०</td><td>दावाकर्ताओं के नाम</td><td>प्रत्येक को देय धनराशि</td><td>भुगतान का तरीका</td><td>विवरण</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> देय प्रतिकर की धनराशि रु०-				क्रम सं०	दावाकर्ताओं के नाम	प्रत्येक को देय धनराशि	भुगतान का तरीका	विवरण	1	2	3	4	5		
क्रम सं०	दावाकर्ताओं के नाम	प्रत्येक को देय धनराशि	भुगतान का तरीका	विवरण												
1	2	3	4	5												
38-	कब्जा का दिनांक															

यह अभिनिर्णय मेरे द्वारा दिनांक को उद्घोषित तथा हस्ताक्षरित किया गया है। अभिनिर्णय की प्रति सामान्य जनता की सूचना हेतु जिले की वेबसाइट पर दिनांक को प्रकाशित की गई है।

तैयारकर्ता

नाम व हस्ताक्षर अमीन

जाँचकर्ता

नाम व हस्ताक्षर लेखाकार

हस्ताक्षर

कलेक्टर(भूमि अध्याप्ति)/

कलेक्टर या नियत अधिकारी

प्रारूप-25

नियम 31 का उपनियम (I)

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु अभिनिर्णय प्रत्येक प्रभावित परिवार की दावेदारी के अनुसार बनाया जाय

1-	भूमि अधिग्रहण वाद संख्या	
2-	अभिनिर्णय की धारा-11(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की संख्या व दिनांक	
3-	अभिनिर्णय की धारा-19(1) के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा की संख्या व दिनांक	
4-	उद्घोषणा के अन्तर्गत भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	
	ग्राम/कस्बा	
	परगना/तहसील	
	जिला	
8-	विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय	
9-	खसरा/भूखण्ड संख्या तथा भूमिधारक का वह क्षेत्रफल जिस पर प्रतिकर का निर्धारण किया जाना है।	
	(i) भूखण्ड संख्या तथा अधिसूचना/उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिग्रहीत क्षेत्रफल	
	(ii) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पूर्व अधिग्रहीत/कय की गई भूमि	
	(iii) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत दावेदारी की गणना हेतु शुद्ध क्षेत्रफल	
10-	प्रभावित परिवार के भूस्वामी/सभी भूस्वामियों के नाम व पता (केवल भू-धारक)	
11-	एक प्रभावित परिवार (जिसकी जीविका प्रारंभिक रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के सभी व्यक्तियों के नाम तथा उनके हितों की क्रमशः प्रकृति	
12-	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत दावेदारियां	

क्रम सं०	आर० एण्ड आर० दावेदारियों के अवयव	लाभार्थी का नाम	सामग्री की संख्या व गणना	मौद्रिक दावेदारियां/ देय धनराशि (रु० में)	गैर मौद्रिक दावेदारियां प्रावधान
1	2	3	4	5	6
(i)	विस्थापित करने की दशा में आवासीय इकाई का आवंटन				
(ii)	भूमि के बदले भूमि (सिंचित भूमि के सम्बन्ध में)				
(iii)	विकसित भूमि देने का प्रस्ताव				
(iv)	वार्षिकी				
(v)	विस्थापित परिवारों के लिए निर्वाह अनुदान (एक वर्ष के लिए)				
(vi)	परिवहन व्यय				
(vii)	पशु शेड व्यय				
(viii)	दुकान व्यय				

(ix)	शिल्पकार, छोटे व्यापारी तथा कुछ अन्य हेतु एकमुश्त अनुदान				
(x)	मत्स्य पालन का अधिकार				
(xi)	एक मुश्त पुनर्वास भत्ता				
(xii)	अन्य दावेदारियाँ				
13-	कुल				

लाभार्थी की स्तंभ-3 के अनुसार धनराशि रू० (अंकों में) निम्नानुसार भुगतान की गई—
 भुगतान का प्रकार— बाउचर नम्बर/चेक/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० संख्या दिनांक
 बैंक का नाम/कोड संख्या

हस्ताक्षर

लाभार्थी/लाभार्थीगण

प्रशासक

कलेक्टर

आयुक्त

प्रारूप-26

नियम 31 का उपनियम (9)

भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन व्यवस्था के तहत आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान।

आदेश

जैसा कि प्रारंभिक अधिसूचना संख्या दिनांक अधिनियम की उपधारा (1) धारा-11 के तहत उचित प्रतिकर एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रकाश में हे० भूमि ग्राम परगना तहसील जिला सार्वजनिक उपयोगार्थ, नाम से, परियोजना द्वारा (अपेक्षित निकाय का नाम) और अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर की परियोजना से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत एक घोषणा दिनांक को ग्राम परगना तहसील जिला की भूमि क्षेत्रफल हे० हेतु की गई है। संलग्न अनुसूची में दी गई भूमि को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु चिन्हित किया गया है जिससे कि विस्थापित परिवारों का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हो सके।

अतः मैं एतद्वारा अपेक्षित निकाय को आदेश देता हूँ कि अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पुनर्स्थापन क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधाएँ तथा न्यूनतम मौलिक सुविधाओं का अनुपालन किया जाय।

सामाजिक समाधात निर्धारण की रिपोर्ट तथा प्रबन्धक नियोजन को उसके रूप में संलग्न किया जा रहा है।

विवरण

(भूमि जिसे विस्थापित परिवारों हेतु व्यवस्थापन क्षेत्र चिन्हित किया गया हो)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्स्थापन हेतु चिन्हित क्षेत्र (हे० में)
------	-------	-------	-------	---------------	--

पुनर्व्यवस्थापन हेतु घटक

क्रम सं०	घटक	उपलब्ध कराये जाने वाले आधारभूत सुविधाओं का विवरण
1-	सड़कें	
2-	नाली	
3-	पेयजल	
4-	पशुओं हेतु पेयजल	
5-	पशुघर	
6-	उचित दर की दुकानें	
7-	पंचायत घर	
8-	डांकघर	
9-	खाद गोदाम	
10-	सिंचाई सुविधायें	
11-	परिवहन सुविधायें	
12-	कब्रिस्तान या शवदाह स्थल	
13-	शौचालय	
14-	विद्युत आच्छादन	
15-	पोषण सुविधायें	
16-	विद्यालय	
17-	उप स्वास्थ्य केन्द्र	
18-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
19-	खेल का मैदान	
20-	सामुदायिक केन्द्र	
21-	पूजा का स्थान	
22-	अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक भूमि, यदि कोई हो तो	
23-	वन लकड़ी सामग्री	
24-	सुरक्षा व्यवस्था	
25-	पशु चिकित्सा सुविधा	

प्रशासक

कलेक्टर

आयुक्त

प्रारूप-27

नियम-31 का उपनियम (10)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन व्यवस्था के अन्तर्गत विकास नियोजन।

क्र०सं०	दावाकर्ता का नाम व पता	परिवार का मुखिया	दावेदारियां	विकास

- 1- नियम के द्वितीय विवरण के अनुसार भूमि के बदले भूमि।
- 2- प्रत्येक परिवार हेतु आवश्यक आवासीय सुविधा-इंदिरा आवास योजना, पेयजल सुविधा, शौचालय आदि।
- 3- नियम के द्वितीय विवरण के अनुसार वार्षिकी अथवा रोजगार का विकल्प/विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता।
- 4- मनरेगा के अन्तर्गत भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जाना तथा अन्य रोजगारोत्प्रेरक सेवा की व्यवस्था।
- 5-प्रभावित परिवारों के युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास।
- 6- निर्वाह अनुदान अधिनियम की तिथि से विस्थापित परिवार भत्ता रु० तीन हजार प्रतिमाह एक वर्ष के लिए। चिन्हित क्षेत्र के विस्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को इसके अतिरिक्त 50,000/- रु० दिया जायेगा।
- 7-प्रत्येक प्रभावित परिवार को पशुशाला तथा छोटे दुकानों के लिए न्यूनतम 25,000/-रु० दिया जायेगा।

प्रशासक

कलेक्टर

आयुक्त (आर० एण्ड आर०)

प्रारूप-28

नियम 32 का उपनियम (1)

प्रतिकर एवं आर० एण्ड आर० के लाभ हेतु प्रभावित व्यक्तियों का विवरण।

विभाग का नाम/अपेक्षित निकाय	
अपेक्षित निकाय द्वारा पुनर्स्थापन प्रारम्भ किये जाने का दिनांक	
अधिनियम की धारा-4(2) के अन्तर्गत समाजिक समाधात निर्धारण की अधिसूचना का दिनांक	
अधिग्रहण क्षेत्रफल	
ग्राम/कस्बा	
परगना/तहसील	
जिला	
अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत अधिसूचना	
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	

अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत उद्घोषणा	
उद्घोषणा के प्रकाशन का तिथि	
अधिनियम की धारा-15(1) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नोटिस निर्गमन की तिथि	
सुनवाई समाप्ति का दिनांक	
कब्जा का दिनांक	

क्रम सं०	खतौनी खाता सं०	भूखण्ड/खसरा/ गाटा संख्या	अधिग्रहीत भूखण्ड का क्षेत्रफल (हे० में)	देय प्रतिकर (प्रपत्र-111 के स्तंभ-26 के अनुसार)
1	2	3	4	5

आर० एण्ड आर० दावेदारियों के अन्तर्गत देय मौद्रिक लाभ (प्रपत्र-iv के स्तंभ-13 के अनुसार)	लाभार्थी का नाम व पता	भूमि में अंश	प्रतिकर भुगतान का विवरण	आर० एण्ड आर० दावेदारियों के भुगतान का विवरण	लेखाकार व कलेक्टर के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10	11

प्रारूप-29

नियम-40 का उपनियम (1)(ख)

अधिग्रहीत भूमि का अमल दरामद

सेवा में,

जिला कलेक्टर,

.....

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता एवं उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सरकार/कलेक्टर द्वारा दिनांक को प्रकाशित सरकारी गजट में उद्घोषणा संख्या दिनांक के अनुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु निम्नलिखित अनुसूचित भूमि (अथवा संलग्न) अधिग्रहीत की जाती है।

निर्णय/अभिनिर्णय वाद संख्या दिनांक तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में अभिनिर्णय दिनांक के आधार पर, अनुसूचित भूमि का कब्जा सरकार के पक्ष में लिया जा चुका है तथा (अपेक्षित निकाय) को हस्तांतरित किया जा चुका है। अतः राजस्व अभिलेखों में धारा- के अधीन नामांतरण का आदेश पारित किया जा सकता है।

अधिग्रहीत भूमि की अनुसूची

काश्तकार का नाम, पिता/पति का नाम व पता सहित	खतौनी खाता संख्या	खसरा/भूखण्ड संख्या	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे० में)	भूराजस्व में कमी	विवरण
1	2	3	4	5	6

दिनांक.....

मुहर

भू-अर्जन कलेक्टर का हस्ताक्षर

प्रारूप-30

नियम 40 का उपनियम (1)(ब)

अमलदरामद हेतु कलेक्टर का आदेश

तहसीलदार/बदोबस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक अभिलेख अधिकारी

तहसील

जिला

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत भूमि अधिसूचना में पारदर्शिता एवं उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सरकार/कलेक्टर द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित उद्घोषणा संख्या दिनांक के अनुपालन में निम्नलिखित अनुसूचित भूमि (अथवा संलग्न) की सार्वजनिक उपयोग हेतु अधिग्रहीत किया गया है।

अनुसूची के स्तम्भ-1 में प्रदर्श नामों को खाता/खसरा/भूखण्ड संख्या, जो स्तम्भ-2, 3, 4 में प्रदर्श है, से निरस्त किया जाय तथा राज्य सरकार/अपेक्षित निकाय का नाम ग्राम परगना तहसील .. जिला की वर्तमान फसली वर्ष की वार्षिक पंजिका में दर्ज किया जाए।

अमलदरामद के उपरान्त, अनुपालन की एक प्रति सीधे कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) जिला को भेजी जाय।

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर

प्रारूप-31

नियम 40 का उपनियम (1)(ड)

भूराजस्व में कमी तथा छूट का विवरण

(प्रत्येक परियोजना के लिए ग्रामवार तैयार किया जाए)

ग्राम परगना/तहसील

जिला

परियोजना का नाम

कब्जा लेने का दिनांक

क्रम संख्या	खतौनी खाता संख्या	काश्तकार का नाम, पिता/पति का नाम व पता	खाता का प्रकार	खाता में अंकित भूखण्डों की संख्या
1	2	3	4	5

खाता का कुल क्षेत्रफल	खाता में अंकित भूराजस्व	भूखण्डों पर लागू अनुवांशिक दर	अनुवांशिक दरों पर भूखण्डों का मूल्यांकन	अनुवांशिक दरों पर खाता का कुल मूल्यांकन
6	7	8	9	10

अधिग्रहीत भूखण्ड संख्या	अधिग्रहीत क्षेत्रफल	अनुवांशिक दरों पर अधिग्रहीत भूमि का मूल्यांकन	अनुवांशिक दरों पर अधिग्रहीत भूमि का कुल मूल्यांकन	अधिग्रहण के फलस्वरूप भूराजस्व में कमी <u>स्तम्भ 14x स्तम्भ 7</u> <u>स्तम्भ सं0-10</u>
11	12	13	14	15

फसली वर्ष तथा किशत जिससे भूराजस्व कम हुआ	कब्जा लेने का दिनांक	फसली वर्ष तथा किशतें जिनके लिए भू-राजस्व में छूट की जानी है	कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) का हस्ताक्षर	विवरण
16	17	18	19	20

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.624/I-13-2016-5ka(25)-2013, Dated November 23, 2016.

No. 624/I-13-2016-5Ka(25)-2013

Dated, Lucknow: November 23, 2016

WHEREAS the draft rules, namely "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Uttar Pradesh) Rules, 2015" were published as required Under section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no.30 of 2013), vide Government notification no.368/I-13-2015-5Ka(25)-2013, dated May 12, 2015 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected there by within the stipulated time;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the stipulated time have been considered by the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no.30 of 2013), the Governor is pleased to make the following rules :-

**THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND
ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (UTTAR PRADESH)
RULES, 2016.**

CHAPTER-I

GENERAL

Short title, extent
and
commencement

1. (1) These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Uttar Pradesh) Rules, 2016.

Definition

(2) They shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the *Gazette*.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013);

(b) "Agency" means an agency appointed by the State Government for doing the Social Impact Assessment Process and Preparing the Social Impact Management Plan;

(c) "Collector" means the Additional Collector (Land Acquisition), Special Land Acquisition Officer and Deputy Land Acquisition Officer and other Officer and other such Officer appointed by the State Government under clause (g) of section 3;

(d) "District Collector" means the Collector of revenue district;

(e) "Form" means a Form appended to these rules;

(f) "Government" means the state Government of Uttar Pradesh;

(g) "Local body" or "Local Authority" shall include rural local bodies namely Gram Sabha, Gram Panchayat, Zila Panchayat and urban local authorities namely Nagar Nigam, Nagar Panchayat or Nagar Palika Parishad constituted or established under their respective Acts;

(h) "Scheme" means the Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by an Administrator according to sub-section (2) of section 16 of the Act;

(i) "Social Impact Assessment" (SIA) means an assessment being made under section 4 of the Act ;

(j) "Social Impact Assessment Plan"(SIMP) means the Plan prepared as part of Social Impact Assessment Process under sub-section (6) of Section 4 of the Act;

(k) "State Monitoring Committee" means committee constituted by the State Government for reviewing and monitoring the implementation of Rehabilitation and Resettlement schemes or plans under the Act, as provided in sub section (1) of section 50 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

3. (1) After getting the final proposal for acquisition, the State Government, for the purpose of the Act, shall issue a notification for carrying out Social Impact Assessment in accordance with Section 4(1) of the Act, in the form-I regarding the commencement of Social Impact Assessment. It shall notify the name of the Social Impact Assessment agency assigned with the task of carrying out Social Impact Assessment Study.

Social Impact
Assessment
study

(2) The notification shall be made available in the local language to the Gram Panchayat, Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad, in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Office of concerned Land Acquisition Officer, Administrator, Tehsildar. It shall also be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, and also by way of a public notice by affixing it at some conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the district or the Government.

(3) Such notification shall be issued within thirty days after the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assessment by the requiring body.

(4) No such notification of the commencement of the Social Impact Assessment Study shall be issued if the requiring body has not deposited the advance amount as prescribed under the relevant rule of these rules.

(5) The Social Impact Assessment study shall be conducted in consultation with concerned local authority at Town/Village level or ward level in the affected areas, for the purposes of section.

4. (1) The State Government or Collector, as the case may be, shall identify or establish an independent outsourced district Social Impact Assessment agency, hereinafter referred to as Agency, which shall be responsible for ensuring that social impact assessment study is conducted by such person other than the requiring body, for all the cases of land acquisition provided under the Act. The State Government may also nominate Planning department of the government for the purpose of selecting Social Impact Assessment agency. It shall complete the work described in sub-rule (3).

Institutional
support and
facilitation for
social impact
Assessment

(2) For this purpose, the State Government or the Collector or the planning department, as the case may be, shall invite an application from the department of social work of the recognized Universities and Colleges, faculties, NGO'S and professionals, who shall be responsible for conducting the Social Impact Assessment as per the Act.

(3) The State Government, the Collector or the planning department, as the case may be, shall draw out a list of such accredited people of the department of social work of the universities and colleges, faculties, NGO'S and professionals, After assessing their capacity through an interview and the experienced accredit to them to evaluate the Social impact assessment study for the project, shall constitute an experts group and the name of the agency shall be notified as per the provision given under sub-rule (2) of rule 3 of these rules.

(4) The requiring body shall not be involved in any way in the appointment of the Agency being appointed to carry out the Social Impact Assessment in the project area.

(5) The size and selection criteria for the Agency shall be as per the project-specific terms of reference.

(6) In those areas, where Agencies with such capacities are not available or where engagement of such agencies is infeasible in cost-benefit terms, then the state Government may go ahead with the Social Impact Assessment study process through its own employees or officers. For this purpose, State Government may nominate Chief development officer or other district level officer, not below the rank of Additional district magistrate, as nodal officer who shall be responsible to monitor the process.

Project specified
terms of reference
(TOR) processing
fee for the social
impact assessment

(7) The selected agency conducting the Social Impact Assessment shall appoint a group leader to liaison with the Collector and other members of Social Impact Assessment agency throughout the assessment period, who shall be responsible for carrying out the required activities within the given time frame.

(8) While selecting the agency, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(9) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member has directly or indirectly received any benefit from the requiring body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified and the State Government shall terminate his/her services.

5. (1) The Collector shall finalise the terms of reference for the Social Impact Assessment in consultation with the Agency selected for carrying out the Social Impact Assessment in the form -2.

(2) Once the State Government / Collector and Agency arrived at mutually agreeable workable rates, the District Collector shall approve terms of reference, if he is an appropriate government for the project. In other projects, the Collector shall forward the proposal to the concerned administrative department of State Government with the recommendation for approval.

(3) If acquisition of land for any project area falls under the jurisdiction of more than one district, then the appropriate government or the Collector shall send the proposal to the State Government, for the necessary approval. The decision of the State Government shall be final.

(4) The estimated Social Impact Assessment fee shall be deposited to the Collector, by the requiring body. Out of which, Ten per cent of the Social Impact Assessment fee shall be allocated to administrative expenses for preparing the Terms of Reference and be deposited to the State Government in appropriate head by the Collector.

(5) Remaining ninety per cent of Social Impact Assessment fee shall be deposited in the deposited Account of the Collector in the concerned treasury. This amount shall be spent with the approval of Collector for expenses related to Social Impact Assessment as per terms of reference.

Processing of
conducting the
social impacts
Assessment

6. (1) The Collector or any officer specially authorized by the Collector and the requiring body shall as far as possible furnish the information requisitioned by the Agency throughout the Social Impact Assessment process. Any request for information from agency shall be met at the date, but not exceeding fifteen days from the date of such request.

(2) The Agency shall collect and analyse a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural appraisal techniques and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report. Detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the Social Impact Assessment team. The assessment shall determine the following, namely:-

(a) Area of impact under the proposed project, including both land to be acquired and areas that will be affected by environmental, social or other impacts of the project;

(b) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project;

(c) The land proposed for acquisition is the bare minimum required the land proposed for acquisition is the bare minimum required;

(d) Possible alternative sites for the project and their feasibility;

(e) Whether, the land proposed for acquisition in Scheduled Area as defined in Schedule 5 or 6 of Indian Constitution, is a demonstrable last resort:

Provided that, in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(3) Based on the land assessment, land records and field verification, the agency shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that, as far as possible, the Social Impact Assessment team shall enumerate all affected families.

(4) Socio-economic and cultural profile of the affected area must be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations.

(5) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in the given *form-3* to the state Government within a period of two months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing. However the State Government may extend this period up to six months. (including the period already given).

(6) The Social Impact Management Plan (SIMP) will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment. The Social Impact Assessment team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs and timelines. It shall be prepared as per the provisions given under sub-section (5) of section 4 of the Act.

(7) The Social Impact management plan must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceeds the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement. Format for Social Impact Management Plan in being given as *form-4*.

(8) Wherever environment impact assessment is carried out, a copy of the Social Impact Assessment report shall be made available to the Impact Assessment Agency authorized by the State Government.

(9) The Agency shall also provide summaries of the feasibility/project impact report and Social Impact Management Plan.

7. (1) Soon after completion of Social Impact Assessment Study Report and Social Impact Management Plan, a public hearing shall be conducted by the state Government, in the affected area by giving notice to be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, and also by way of a public notice by affixing it at some conspicuous places in the affected areas not less than seven days before the public hearing indicating its time, place and date and other necessary details. This notice shall also be uploaded on the website of the concern district or the State Government.

(2) The public hearings shall be conducted in the concern Gram Panchayat offices or urban local bodies offices, as the case may be, any public place or convenient place in the affected area. The State Government may take decision to conduct hearing at some conspicuous place other than the affected areas within the concern district by giving the justification for it and duly published in a notice.

(3) The State Government may appoint any Revenue officer of the rank of Deputy Collector, Tehsildar or Block Development Officer to conduct the hearings.

(4) A member or members, as the case may be, of the Social Impact Assessment agency shall facilitate the public hearing which shall be organized through the local administration with the designated Government officers of appropriate level.

(5) Public hearings generally are held in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

Manner of
conducting
public hearing
on Social
Impact
Assessment
report and
Social Impact
Management
Plan

(6) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabha where more than twenty per cent of the members are directly or indirectly affected by the acquisition of the land.

(7) The draft of Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published for inspection of general public in the office of the Collector for the purpose of land acquisition not less than seven days before the public hearing.

(8) The requiring body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available to the public on the day of the public hearing by the agency.

(9) All the proceedings shall be held in the local language to ensure that all the participants can understand and express their views.

(10) Representatives from the requiring body shall also attend the public hearing and address the questions and any issue raised by the affected parties.

(11) The proceedings of the public hearing will be video recorded and transcribed accordingly. The said recording and transcription shall be submitted to the Collector along with the final Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan

(12) After the conclusion of the public hearings, the Social Impact Assessment team shall analyse the entire feedback received and information gathered in the public hearing and incorporate the same along with their analysis, in the revised Social Impact Assessment report accordingly.

(13) Every objection raised in the public hearing shall be recorded and the Social Impact Assessment agency shall ensure that the every objection shall be considered in the Social Impact Assessment report.

(14) No public re-hearing shall be conducted if the public hearing is disturbed by misbehavior of the miscreant's presents, leading to disturbance of public peace and law and order. In case of any disturbance, the next public hearing shall be treated as conclusive. In such circumstances, seven days shall be provided to file claims, objections/suggestions.

8. After completion of public hearing, the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be prepared and made available to the Collector or State Government, as the case may be, for publication at the level of Gram Panchayat, Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad, in the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Office of concerned Land Acquisition Officer, Administrator, Tehsildar. It shall also be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, and also by way of a public notice by affixing it at some conspicuous places in the affected areas and uploaded on the website of the district or State Government. A copy of the final Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall also be given to the concerning requiring body.

9. (1) With all the relevant information and analysis in a single document, the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan shall be submitted to the Collector or State Government, as the case may be, by the agency.

(2) It shall then forward the Social Impact Assessment report and Social Impact Management plan with his recommendations within two weeks of submission by the agency to the Multi-disciplinary Expert group for appraisal.

(3) Before forwarding the Social Impact Assessment report and Social Impact Management plan, an opportunity shall be given to the Requiring Body to make objections and suggestions on the draft of Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan as well as on the claims and objections raised in the public hearing conducted. The Requiring Body shall submit such objections and suggestions within a period of ten days after receiving a draft. If no such suggestions are received within a period of ten days then it shall be presumed that the Requiring Body has accepted the draft Scheme. Then the Collector or the State Government, as the case may be, shall forward the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan, with his recommendations and all such documents which require to be sent, to the Multi-disciplinary Expert group for appraisal.

Publication of final
social impact
Assessment Report
and Social impact
Assessment plan

Submission of
Social Impact
Assessment Report
and Social Impact
Management Plan

10. (1) The State Government shall constitute a Multi-disciplinary Expert Group as provided under sub-section (1) of section 7 of the Act. The Expert Group shall consist of-

Appointment of Multi-disciplinary Expert group for Appraisal of Social Impact Assessment Report

- (a) Two non-official social scientists to be nominated by the state Government;
- (b) Two representatives of Panchayats, Grams Sabha, Municipality or Municipal Corporation, as the case may;
- (c) Two experts on rehabilitation, and;
- (d) A technical expert in the subject relating to the project.

Provided that, the State Government may authorise the planning department for the empanelment of such members to exercise the powers given under the provisions of the Act.

(2) The Expert Group shall evaluate the Social Impact Assessment report in preview of conditions given under sub-sections (4) and (5) of section 7 of the Act and shall make its recommendations to that effect within a period of two months from the date of its submission:

Provided that, if Expert Group in its opinion recommends that the project shall be abandoned forthwith and no further steps to acquire the land will be initiated, then such recommendations shall be recorded in writing by the expert group giving the details and reasons for such decisions. But if the Expert Group is agrees then it shall make specific recommendations whether the extent of the land proposed to be acquired is the absolute bare minimum extent needed for the project and whether there are no other less displacing options available. A copy of such recommendation shall be sent to the State Government and another copy to the Collector for publication.

(3) The Collector shall make arrangements to publish the recommendations of the Multi-disciplinary Expert Group and the same shall be made available in the local language at the level of Gram Panchayat, Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad, in the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Office of concerned Land Acquisition Officer, Administrator/ Tehsildar. It shall also be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, and also by way of a public notice by affixing it at some conspicuous places in the affected areas and uploaded on the website of the district or the State Government.

11. (1) Decision on Social Impact Assessment and Social Impact Management plan shall be taken by State Government as per the norms given under section 8 of the Act.

Consideration of the Social Impact Assessment report, recommendation s of the Expert Group by the State Government

(2) The State Government shall examine the recommendations of the Multi-disciplinary Expert Group, report of the Collector, if any, and make its final recommendations for such area for acquisition which would ensure minimum displacement of people, minimum disturbance to the infrastructure, ecology and minimum adverse impact on the individuals affected in its evaluation process. The State Government shall also comply with the directions given under sub section (1) of section 8 of the Act.

(3) When it appears that land is required or likely to be required in any area for any public purpose, then the final recommendation shall be made available to the Collector to take further steps for acquisition. These recommendations shall also be made available in local language to the Gram Panchayat, Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad, in the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Office of concerned Land Acquisition Officer, Administrator, Tehsildar. It shall also be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, and also by way of a public notice by affixing it at some conspicuous places in the affected areas and uploaded on the website of the district or the State Government.

Web-based Work
Flow and
Management
information System
(MIS) for land
Acquisition
Rehabilitation and
Resettlement
Inventory of Waste,
Barren and
Unutilized Land

12. The State Government shall create a dedicated, user-friendly website at state and district level that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case will be hosted beginning with the notification of the Social Impact Assessment and tracking each step of decision-making, implementation and audit.

13. To ensure acquisition of minimum amount of land and to facilitate the utilization of unutilized public lands, the State Government, by way of notification, shall make necessary arrangements to authorise any department to prepare a district-level inventory report of waste, barren and unutilized public land. If it is requested or required then the land available in the State Government land bank and shall be made available to the Social Impact Assessment team and Expert group. The inventory report shall be updated from time to time.

CHAPTER III

CONSENT

Requirement and
procedure to obtain
consent

14. In case land is sought to be acquired for the purposes as specified under sub-section (2) of section 2, the prior consent of the affected land owners as per provisions of sub-section (2) of section 2 shall be obtained by the Collector concerned in *form-5*, along with the Social Impact Assessment study. Some of the principles to obtain consent given as under:-

(a) The Collector may constitute a team of revenue officers or depute any other officers under his control to assist him in the process of obtaining the prior consent.

(b) The Collector and Sub Divisional Officer exercising the powers of District Collector shall take steps to resolve outstanding issues of land rights, land title and land records in the affected areas, so that all the land owners can be correctly identified before initiating consent procedures.

(c) The Collector shall also undertake a special drive for the purpose and complete the said exercise within a period of sixty days from the date of issuance of preliminary notification.

(d) The Collector shall, after completion of the aforesaid exercise of correcting and updating the land records shall draw out a list, of all affected land owners from whom consent must be sought, after considering the list prepared by the Social Impact Assessment Agency.

(e) The list shall be made available in the affected area by displaying the list in conspicuous places of the affected areas for at least ten days before obtaining consent.

(f) The Collector shall in consultation with the representatives of Gram Panchayat or Nagar Panchayat or Nagar Palika Parishad or Municipal Corporation, as the case may be, notify the date, time and venue at least two weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the concern village or ward level. It shall also be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language.

(g) The Requiring Body or its representative shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners. The terms and conditions of the project, Rehabilitation and Resettlement, Compensation and other measures committed by the Requiring Body shall be explained to the members in the local language and signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(h) The proposed terms and conditions agreed by the Requiring Body shall also be made available in local language to each and every affected land owner, at least one week in advance.

(i) The land owner shall give his individual consent to the authorized officer.

(j) The land owner shall give his written consent having his photograph affixed on it in the format attached and the digital impression of his thumb along with his signature (if he can make it) shall be printed on his affidavit.

(k) The authorized representative of the Requiring Body shall sign on the prescribed consent Form and shall put the seal of the Requiring Body towards its commitment to the consented terms and conditions.

(l) Any member of Gram panchayat, or Zila Panchayat, Lekhpal, Gram Vikas Adhikari or any Government servant may sign on the affidavit as a witness thereof that he recognizes the person who has given consent.

(m) The prescribed consent form shall be countersigned by the officer authorised by the Collector.

(n) The form of consent and declaration so obtained shall be made available to the land acquisition officer in original, who will then prepare a list of all such land owners and shall provide it to the requiring body. One copy of this list shall also be attached with acquisition proposal, before issuing the preliminary notification under section 11(1) of the Act.

(o) All the individual consent taking procedure shall be video recorded.

(p) All persons interested in the same land can give consent on a single form.

(q) Single forms shall be used for giving consent by a same person for his different lands under acquisition.

(r) No land owner can withdraw his consent once given in the above manner.

(s) In case of a land situated in the Scheduled Area mentioned in the Fifth Schedule appended to the Constitution of India, the consent of the Gram Sabha shall be sought prior to the consent of the land owners.

(t) The consent taking process shall be concluded before issuing the Preliminary Notification under sub-section (1) of section 11.

(u) Every objection raised during the process of taking consent meeting shall be recorded and shall be considered by the requiring body.

(v) During the process of obtaining consent, those land owners, who were absent and not given his /her consent and also has not raised any objections before issuing of preliminary notification under section 11(1) of the Act, shall be considered as they have no objection for the on-going proposed acquisition.

15. (1) In case of acquisition of land in a Scheduled Areas mentioned in the Fifth Schedule of the Constitution of India, the consent of Gram Sabha shall be obtained by the Collector in form-6. He shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayat notify the date, timing and venue for holding special Gram Sabha meeting in the affected areas two weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabha to participate in the Gram Sabha.

Consent of the
Gram Sabha in
Scheduled Area

(2) The procedure to be followed to obtain the prior consent of the Gram Sabha shall be same as prescribed under rule 14.

(3) The quorum shall be the same as defined under the U. P. Panchayat Raj Act 1947:

Provided that, one third of the total women members of the Gram Sabha shall also be present in the Gram Sabha meeting.

(4) No Gram Sabha can withdraw its consent once given in the above manner.

CHAPTER

REQUEST FOR LAND ACQUISITION

Request for
Acquisition of Land

16. The Collector shall facilitate and assist to the requiring body in the process to initiate acquisition. Request for land acquisition shall be submitted by the Requiring Body to the Collector or authorized officer for the purpose of acquisition of land in the district, in the form appended to these rules, along with the following documents, as the case may be :-

(a) Request for acquisition in *form-7* duly signed by the competent officers of the requiring body bearing the seal, name and designation of the concerned officers;

(b) Detailed Project Report in *form-8* with the Schedule of land proposed for acquisition specifying the name of the village, pargana, tehsil, Plot/khasra number with their areas and purpose for which the land is proposed to be acquired;

(c) A certificate to the effect that administrative sanction for the project for which the land is proposed to be acquired has been obtained from the competent authority;

(d) A certificate by the requiring body in *form-9 (Part A)* certifying that the land proposed for acquisition is absolutely bare minimum for the purpose of the project and there is no other less displacing option available;

(e) As required in *form-9 (Part A)*, certificate of satisfaction of requiring body shall also be furnished indicating that the said project fulfils the definition of public purpose as defined under section 2 of the Act;

(f) A certificate to the effect that sufficient provisions of funds in respect to cost of compensation, estimated values of assets and rehabilitation and resettlement of the affected people have been made in the budget with the estimated cost of the project and status of dues in *form-10 (a)* and *form-10(b)* ;

(g) A sketch map of the land which is contemplated under acquisition, drawn on the village map (shajra map) demarcating and showing the areas of banjar or uncultivated land lying within that village;

(h) A detail list of structures, buildings, wells/ tube wells, trees etc. in *form-11* including the estimated compensation which may be paid for each item;

(i) Certificate of non existence of temples, mosques, graveyards etc. on the land proposed for acquisition in *form-12*;

(j) Requiring body shall also put up certified copies of the *khasra and khatauni* of the proposed land issued by the revenue authority verified by Tehsildar / Revenue Inspector certifying that the proposed land is private in nature. If the concerned village is under the record operations or consolidation, then relevant record of title, duly signed by the concerned Assistant Record officer/Settlement officer Chakbandi /Consolidation officer shall be submitted;

(k) Any other document or information required by the Collector.

Action by Collector
on receiving request

17. (1) The Collector shall make an enquiry whether the proposed acquisition is consistent with the provisions contained in section 10 of the Act.

(2) The Collector shall call upon an enquiry reports from revenue authorities, as follows :-

(i) Certificate regarding no such land belonging to State Government, Central Government or any other local authority, gram sabha land, land defined under section 77 of the Uttar Pradesh Revenue Code 2006, has been included in the land proposed for acquisition in *form-13*;

(ii) Certificate regarding, no such ceiling land has been included in the land proposed for acquisition in *form-14*;

(3) The Collector shall also prepare such records and make an enquiry in respect of land proposed for acquisition, as under:-

(i) Preliminary enquiry in *form-15*;

(ii) Khasra and Khatauni in *form-16* (a) and -16(b);

(iii) Spot inspection and verification of assets submitted by the requiring body mentioned in *form-11*;

(iv) Make an observation on the report submitted in *form-9* (Part b) by the requiring body:

Provided that, all such records and reports prepared by the revenue officers shall be duly signed by the Tehsildar, Revenue inspector and Lekhpal, Naib Tehsildar/land acquisition Amin. In cases of villages, which are under record operations or consolidations, the same shall be signed by the concerned Assistant Record officer/ Settlement officer Chakbandi /Consolidation officer. The copy of such records and reports shall be kept in the office records.

18. The Collector shall cause the estimated cost of acquisition of the land to be calculated with due care and diligence, so that abnormal differences at the time of final award can be avoided. He shall also cause the administrative cost to be calculated and the same shall be deposited by the requiring body before proceedings initiated under section 11 of the Act. Cost of conducting the Social Impact Assessment shall be such as may be fixed according to the project from time to time by the State Government/Collector.

Cost of
acquisition

19. (1) The estimated cost of acquisition and administrative costs specified under sub-clause(i) to (vi) of clause (i) of section 3 of the Act, shall be deposited by the requiring body at the time of proceedings initiated under section 11 of the Act.

Manner of
depositing cost
of Acquisition
by Requiring
body

(2) The requiring body shall deposit in advance the estimated cost of acquisition. Such amount be deposited by way of different modes acceptable as per extent of bank practices.

(3) The Collector shall thereafter deposit the advance amount forwarded against cost of acquisition and administrative cost in the specified land revenue head through challan.

(4) The State Government shall provide requisite budget under admissible heads of administrative costs for the purpose of acquisition separately through regular budget.

(5) It shall be mandatory upon the requiring body to deposit any remaining amount after final estimates have been prepared, expenses required for conducting Social impact assessment study and also any excess amount, if awarded by the Authority or a competent court under relevant provisions of the Act, in the same manner.

CHAPTER V

PRELIMINARY NOTIFICATION FOR LAND ACQUISITION AND REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME

20. (1) Once the consent process has been completed and the necessary approval of Social Impact Assessment report and Social Impact Management plan has been given, the Collector will make scrutiny of the proposal and the documents and conduct such preliminary enquiry as he may think necessary. He shall then record his observation for issuing preliminary notification in *form-17*.

Preliminary
notification for
land Acquisition

(2) After the scrutiny of the proposal the preliminary notification for acquisition shall be issued by the State Government or the Collector, as the case may be, in *form-18*, applying the provisions of section 15 of the Act for filing objections. The notification must contain name of village, pargana, Tehsil, district, particulars of khasra/gatas numbers with respective areas of acquisition and the purpose for which the land is to be acquired.

(3) The Collector shall however, not issue a notification under section 11 of the Act, if;

(i) The acquisition is for the purpose of the Union;

(ii) The provisions of section 40 of the Act are to be applied and the application of section 15 is waived. In such cases he shall forward the record of the proceedings conducted by him and the report containing his recommendations on objections to the State Government. The State Government shall take the final decision.

(4) The preliminary notification shall be published and informed in the manner provided in sub-section (1) and (2) of section 11 of the Act. It shall also be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language.

(5) The proceedings of an acquisition shall start from publication of preliminary notification in Government Official Gazette, after its issuance by the Collector or State government, and shall complete at the stage of last publication of the notification as prescribed under sub-section (1) of Section 11 of the Act:

Provided that, in computing the period of twelve months, referred in sub-section (7) of section 19 of the Act, shall be count from the last date of such publication:

Provided further that, the proceedings for publication of notification shall be completed within thirty days from the date of publication of notification in Government Official Gazette.

(6) A copy of the notification shall be affixed at some conspicuous places in the affected areas.

(7) No person shall make any transaction of land specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication in the Government's Official Gazette, till such time as the proceedings under the chapter IV of the Act are completed:

Provided that, the Collector may on the application made by the owner of the land so notified, exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the rule:

Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willfull violation of this provision shall not be made up by Collector.

(8) The copy of the preliminary notification issued shall be made available to concern Tehsildar, Assistant Record Officer/Settlement Officer Chakbandi/ Consolidation Officer, Executive Officer, Municipal Commissioner of concerned Local Authority as the case may be, to take necessary steps in compliance to the preceding rules. It shall also be made available to the concern Registration officer/Sub Registrar to take necessary steps in compliance to the rules.

Updating of land records

21. After issuing the notice under sub-section (1) of section 11, the Collector shall update the land records within a period of two months from the date of preliminary notification issued, and take such necessary action to rectify and mutate the relevant entries in the revenue records, as required.

Preliminary survey of land

22. When a notification is issued under sub-section (1) of section 11 of the Act, the Collector shall take necessary steps for preliminary survey of the land notified in the manner provided in section 12 of the Act.

Hearing of objections

23. (1) The intimation of Public hearing shall be conducted by giving notice in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, and also by way of a public notice by affixing it at some conspicuous places in the affected areas, indicating its time, place of the office for hearing (preferably at the office of land acquisition officer) and the date there-in.

(2) Hearing of objections under sub-section (2) of section 15 should be performed by the Collector for the purpose of acquisition, in person and not be delegated.

(3) When the Collector receives, within the prescribed period, a written objection from a person interested in the land, he should cause a notice to be served on the objector to appear before him in person or by a duly authorised representative or by an authorised pleader on a specified date, time and place to produce the evidence, if any, on which he relies. Notice of the hearing and enquiry should also be given to the requiring body; the latter, if he desires to be heard or to adduce evidence in support of the proposed acquisition, should be permitted to do so either in person or through an authorised representative.

(4) On the application of either party the Collector may exercise his powers under section 35 of the Act.

(5) The hearing may be adjourned by the Collector from time to time, if necessary.

(6) The enquiries must be completed most expeditiously in view of first proviso to section 19, whereby time limit of one year has been prescribed from the date of publication of preliminary notification under sub-section (1) of section 11 to publication of declaration under section 19 of the Act:

Provided that the State Government shall have the powers to extend the period of hearing objections if in opinion circumstances exist justifying the same:

Provided further that any such decisions to extend the period shall be recorded in writing and the same shall be notified and be uploaded on the website of authority concerned.

(7) The Collector after hearing all the objections and recording a memorandum of the evidence produced in support thereof or in support of the proposal to acquire the land and after making further enquiry if he thinks necessary, he shall submit the case for decision of the State Government containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him along with a separate report giving therein the approximate cost of land acquisition, particulars as to the number of affected families likely to be resettled, for the decision of the Government, at the time of sending proposal of declaration under section 19 of the Act:

Provided that, the State Government or District Collector as Case may be shall take decision on such recommendations for the project. The decision of the State Government /District Collector shall be final:

Provided further that, If acquisition of land for any project area falls under the jurisdiction of more than one district, then the district State Government or the District Collector, as the case may be, shall send the proposal to the concerned administrative department at Government level, for the necessary approval. The decision of the administrative department shall be final.

CHAPTER

PREPARATION OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME AND PUBLIC HEARING

24. (1) On publication of the Preliminary Notification under sub-section(1) of section 11 by the Collector, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall conduct a survey and undertake a census of the affected families, in a manner provided under sub-section (1) of section 16 of the Act, within a period of three months from the date of publication of Preliminary Notification under section 11 (1) of the Act.

(2) In the survey conducted and the census of the affected families so undertaken by the Administrator, he shall collect the data of Social Impact Assessment study report.

(3) He shall verify that data by door visit of the affected families and by paying site visits in case of an infrastructure in the affected area.

Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Administrator

(4) On the basis of the survey, the Draft of Rehabilitation and Resettlement Scheme shall be prepared by the Administrator, in addition to the particulars mentioned in sub-section (2) of section 16 of the Act, contain the following:-

- (a) List of likely to be displaced families;
- (b) List of infrastructure in the affected area;
- (c) List of land holdings in the affected area;
- (d) List of businessmen in the affected area;
- (e) List of landless people in the affected area;
- (f) List of disadvantage groups like persons belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Handicapped Persons, in the affected area;
- (g) List of landless agricultural labourers in the affected area.

(5) The Administrator shall as far as possible try to prepare comprehensive and detailed draft Scheme in order to reduce future objections.

(6) The Administrator shall by way of a public notice to be published in two daily newspapers circulating in the affected area of which at least one shall be in the regional language, inform the people about the draft Scheme as prepared by him under sub-section (2) of section 16 of the Act. The copy of the draft shall be made available and discussed in concern Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be.

(7) The Administrator or an officer designated by him shall conduct a public hearing in the affected areas on such a date as he thinks suitable, before publication of the Scheme as prepared by him under sub-section (2) of section 16. The provisions of the rule 23 relating to public hearing shall, *mutatis mutandis*, apply to the public hearing to be conducted as per the provisions of sub-section (5) of section 16.

(8) The Administrator shall on completion of public hearing submit the draft scheme for Rehabilitation and Resettlement along with the specific report on the claims and objections raised in the public hearing to the Collector.

(9) The Collector shall follow the process for review of the Rehabilitation and Resettlement prescribed under sub section (1) and sub-section (2) of section 17 of the Act.

(10) The process for approval of Rehabilitation and Resettlement scheme and its publication shall be followed as per the manner provided under section 18 of the Act and sub-rule (3) of rule 11.

Powers, duties and responsibilities of the Administrator

25. The Administrator shall exercise the powers and perform the duties, and have responsibilities as follows:-

- (a) To conduct a survey and undertake a census of the affected families in the manner and within the time as provided in the rules;
- (b) To prepare a draft Rehabilitation and Resettlement scheme;
- (c) To make known to the people about the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme by the mode as provided in the rules;
- (d) To make available the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme to the concerned persons and authorities;
- (e) To issue and publish notices for public hearings on the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected areas;
- (f) To conduct public hearings on the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected areas;
- (g) To give an opportunity to the Requiring Body Make to suggestions and comments on the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme;
- (h) To submit the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme and to the Collector;
- (i) To publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme and in the affected area;
- (j) To help and assist the Collector in preparing the Rehabilitation and Resettlement award;
- (k) To monitor and supervise the progress in Rehabilitation and Resettlement study;
- (l) To assist in post implementation audit of Rehabilitation and Resettlement; and
- (m) Any other work required to be done or assigned for Rehabilitation and Resettlement.

26. (1) The Commissioner of Rehabilitation and Resettlement shall by way of a public notice in two newspapers circulating in the affected areas of which one at least shall be in the regional language and also by way of public notice by affixing it at conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the district or Government to inform the people about the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme as finalized by him under section 18 of the Act.

Publication of
Approved
Rehabilitation and
Resettlement
Scheme

(2) The copies of approved Scheme shall be made available in the offices of Gram Panchayat, Nagar Nigam/Nagar Panchayat/Nagar Palika Parishad, in the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Office of concerned Land Acquisition Officer, Administrator, Tehsildar.

27. (1) The State Government shall issue a declaration under sub-section (1) of section 19 along with the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme and the land identified as settlement area for the displaced families, if any, in the manner prescribed under section 19 of the Act in form-19.

Publication of
Declaration and
summary of
Rehabilitation and
Resettlement

(2) No such declaration shall be made unless the Requiring Body has deposited rest of amount in, as prescribed in sub rule (4) of rule 19.

(3) Such declaration shall be published in the manner provided under sub-section (4) of section 19 of the Act and the relevant rules.

(4) The date of last publication shall be the date of publication of declaration under sub-section (1) of section 19.

28. When a declaration is issued under section 19 of the Act, the officials authorised shall proceed to marked out and measured the land, unless, it has been already marked out under section 12 of the Act. In case of discrepancy between the area computed in the khasra and that notified under notification or declaration of acquisition, a date should be fixed by the Collector, on which the deputed officer of revenue department, requiring body and Amin of Land Acquisition Office should go and take the measurements as well as the verification from revenue records. If any error is found then this should be immediately brought to the knowledge of Collector, so that it can be rectified. If the area notified is proved to be materially less than the area intended to be acquired, then the matter should be reported, through Collector, to the Government for the issue to be resolved.

Demarcation of
land

29. After the measurements being settled, the Collector shall cause to issue general notice as per the provision of the Act in form-20 (a) and 20 (b), requiring the persons interested to file claims and objections within a period mentioned in the public notice. The notice should also be communicated to the record officer, i.e., Tehsildar, Consolidation Officer or Assistant Record Officer as the case may be. Intimation of this notice shall also be posted in the village at some conspicuous public place.

Notice to person
interested

CHAPTER -VII

AWARD COMPENSATION AND POSSESSION OF ACQUIRED LAND

30. (1) The Collector after making enquiry into and disposal of the objections, if any, raised by the interested persons in pursuance of the public notice published and given under the preceding rules, shall proceed to make land acquisition Award under section 23 of the Act. For the award for compensation, the Collector shall ensure the following steps to be taken -

Enquiry by
Collector for
making Award

(a) Separate map of the land demarcated in each village should be prepared on the scale of the village map for record with the proceedings, which should be conducted in the villages;

(b) For each village, a khasra will be prepared in form-16(a), showing the nature, area of each plot and numbers and quantity of the trees, crops, structures or other assets situated upon it. The entries of the form should be checked personally by the Amin of the Land acquisition office. This khasra should be countersigned by the concerned revenue officers and the land acquisition officer;

(c) While the khasra being prepared, such details should be collected as may be necessary to determine the market value from the office of registrar of registration department regarding sale deeds registered during the period of three years just prior to the last such publication of preliminary notification under section 11 (1) of the Act in the form-21. The date for determining the market value shall be the date on which the preliminary notification has been issued under section 11 of the Act;

(d) The simultaneous process shall take place for valuation of assets, such as trees, tube well, structures and other things situated thereupon on acquired land shall be done by the concerned department as provided in the section 29 of the Act. The Land acquisition officer may request to the District Collector to direct the concern department for the valuation of the assets. The valuation report will be prepared on annexed as *form-22*. The cut of date for valuation of these assets would be the date when the preliminary notification has been issued under section 11 of the Act;

(e) A khatauni in form-16(b) will be prepared from the revenue records of the concerned village kept at the office of Tehsildar, consolidation or Assistant record officer. Respective land revenue of the acquired land shall be worked out at the time of preparation of khatauni;

(f) There shall be a detailed valuation report for each item of property to be acquired and shall be made in *form-22* in accordance with the market value on the date of publication of preliminary notification.

(2) The Land acquisition officer, if it is not District Collector, may consult the District Collector and take his order as to what he considers to be the fair estimates of the amount of compensation to be paid and the revenue to be deducted. For this, the District Collector may appoint such officers to examine the feasibility of fair compensation.

(3) On the date specified in the notice, the Collector shall explain the grounds on which the compensation has been estimated, which will ordinarily be the figure contained in the aggregate statement of compensation payable in *form-23* and shall make an award in *form-24*.

(4) Any variation in estimated compensation shall be informed to the requiring body. The requiring body shall on demand deposit the amount within the period of one month. If the requiring body makes any objection in consequence of the excess cost or denies depositing the amount, further proceedings shall be dropped. In such cases where proceedings have been stopped, the State Government can deduct such an amount, which it may think fit, by way of Government order.

(5) The Collector may adjourn the proceedings on the request of any party or otherwise. He shall carefully and expeditiously decide all the objections raised by the parties.

(6) The Collector on the date fixed for hearing, shall proceed to enquire into the claims and objections, if any, made by interested persons, whether to the measurements of the land, the amount of compensation, the person to whom it is payable, or the apportionment of compensation among the person interested and shall prepare an award regarding each of the matter referred in section 23 of the Act.

(7) Under the provision of section 23 of the Act, the financial limit for declaration of the award will be as fixed by the State Government.

(8) The award shall include all the items which are described under section 28, 29 and 30 of the Act. Each award shall be announced or communicated to the parties as soon as possible, when it is made.

(9) If after making an award a clerical or arithmetical mistake comes to the notice of Collector or is brought to his notice, he can correct the same within six months of announcement of award or before making a reference to the Authority under section 64 of the Act.

(10) If the land proposed for acquisition is situated in the rural areas, then the market value calculated as per sub-section (1) of section 26 of the Act, shall be multiplied by a factor notified by the State Government.

(11) Before invoking urgency clause to any land acquisition proceedings the Collector shall take the prior sanction of the State Government.

(12) If after the payment of compensation as per the award, it transpires that the owner/ claimant/claimants is/are not exclusively entitled or such or entire amount of compensation awarded by the Collector and the Government is required to pay any compensation to any other persons, then the claimant/claimants shall on demand refund to the Collector the entire amount of money received by him/them or such amount as may be determined by the Collector as refundable by him/them to the Government and shall also indemnify (jointly or separately) the Government against any claim or compensation or part thereof by any other person and against all proceedings and liabilities of any loss or damage suffers or any costs, charges or expenses incurred by Government by reason of the payment to him/them and the claimant/claimants shall pay the interests at the rate of 9% on the amount so refundable for the first year and at the rate of 15 % for the subsequent years.

(13) If the claimant/claimants fail to refund to the Government the amount mentioned in the previous sub-rule, the Government shall recover the same as arrears of land revenue or proceed under any law in force for recovery of such amount.

(14) Without prejudice to any other remedy for the enforcement of any refund or indemnity, the Government may recover any sum determined and certified by the land acquisition officer concern to be due and payable by the claimants to the Government by way of refund or otherwise as arrear of land revenue.

(15) The Government dues/loans of public financial institutions, if any, falls against the awardees are payable by the claimants or person interested, the same shall be deducted from the said compensation amount that may be awarded.

31. (1) The Collector shall also make Rehabilitation and Resettlement Award for each affected family in accordance with the Second Schedule of the Act or as per the negotiated agreement reached with the affected families where consent is involved and hand over family wise Awards to each affected family in the form-25.

Rehabilitation and
Resettlement

(2) The affected families of the Projects where preliminary notification under sub-section (1) of section 11 of the Act is issued are entitled for receiving elements of rehabilitation and resettlement as per the Second and Third Schedules of the Act.

(3) While offering twenty per cent of the developed land, when the land is acquired for urbanization purposes, then in that case the land used for components of infrastructure amenities shall not be taken into account for the calculation of twenty per cent of developed land.

(4) In case of a Project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes families in scheduled areas, a development Plan shall be prepared by the State Government in consultation with the concerned Social Welfare Department of the State and the Gram Panchayats or urban local bodies in that area. The said Plan shall be read out and discussed at the time of obtaining the consent of the Gram Sabha or the panchayat or the urban local bodies, as the case may be.

(5) Under the provision of section 31 of the Act, the Rehabilitation and Resettlement Award shall be made by the Collector. The Collector shall seek the prior approval of the Divisional Commissioner/ Commissioner Rehabilitation and Resettlement before making the award of any amount.

(6) The financial limit authorized for declaration of Rehabilitation and Resettlement award will be as fixed by the State Government.

(7) If after the payment of Rehabilitation and Resettlement entitlements as per the award, it transpires that the claimant/claimants is/are not exclusively entitled for such or entire amount of entitlements awarded by the Collector and the Government is required to pay any benefits to any other persons, then the claimant/claimants shall on demand refund to the Collector the entire amount of money or the entitlements, as the case may be, received by him/them or such amount as may be determined by the Collector as refundable by him/them to the Government and shall also indemnify (jointly or separately) the Government against any claim or entitlements or part thereof by any other person and against all proceedings and liabilities of any loss or damage suffers or any costs, charges or expenses incurred by Government by reason of the payment to him/them and the claimant/claimants shall pay the interests at the rate of 9% on the amount so refundable for the first year and at the rate of 15 % for the subsequent years.

(8) If the claimant/claimants fail/fails to refund to the Government the amount or entitlements, as the case may be, mentioned in the previous sub-rule, the Government shall recover the same as arrears of land revenue or proceed under any law in force for recovery of such amount.

(9) The Collector shall issue orders for provision of infrastructure facilities and basic minimum amenities specified in the third schedule of the Act for every resettlement area in the *form-26*.

(10) In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families in scheduled areas, a Development Plan shall be prepared by the Collector in consultation with the affected family in the manner provided under section 41(4) of the Act. The said plan shall be read out and discussed during the public hearing of Rehabilitation and Resettlement schemes. While making the award of Rehabilitation and Resettlement entitlements, the Collector shall pass an orders in *form-27*.

(11) The provisions relating to Rehabilitation and Resettlement under these rules shall apply in the cases where any person other than a specified person is purchasing land through private negotiations, for an area equal to or more than the limit notified by the State Government.

Compensation

32. (1) The compensation shall be calculated as per the provisions laid down under section 26 to section 30 read with the First Schedule of the Act and paid to all the affected families, as defined under sub-section (c) of section 3 of the Act. The statement of the entire project affected persons who have been paid compensation and Rehabilitation and Resettlement entitlements shall be kept in *form-28*.

(2) While determining the amount of compensation as required under section 28 of the Act, the Collector can settle down the terms and conditions and rates of the land with the land owners and also consider mutual consent award to minimize the possibilities of litigations, which is in the best interest of equity, justice and beneficial to the affected families and requiring body.

(3) The proportion of Compensation as per the first schedule of the Act, which is to be given to the affected families referred to in sub-clause (ii) of clause (c) of section 3 of the Act, shall be determined by the State Government.

(4) The payment of compensation shall be made within a period of 90 days from the date of award as per the procedure prescribed in Government order no. A-1-961/X-2012-10(28)/2011, dated 31-1-2013 of Finance (Account) Section-1 by way of E-Payment or any other mode of payment as may be prescribed by the Finance Department of State Government from time to time.

(5) The date of determination of the market value shall be the date on which the preliminary notification has been issued under section 11 of the Act.

(6) In all cases of land acquisition, the market value per hectare will be finalised by the acquisition authorities as per the guidelines issued by the State Government.

Taking possession of the land

33. (1) The Collector shall cause the possession of the land acquired after satisfying the conditions provided under section 38 of the Act. The Collector may appoint any subordinate officer to take possession of the land formally on behalf of the Government and then hand over to the person appointed on behalf of requiring body. The possession memo shall be made at the time of taking possession on behalf of Government and requiring body as well.

(2) In certain cases of urgency the Collector may be empowered by the Government to take possession under sub-section (1) of section 40 of the Act in anticipation of the award. Before taking possession under urgency cases, other than the terms specified under the section, the conditions mentioned in sub-section (3) and (5) of section 40 of the Act must be fulfilled. In such cases the requiring body should be asked to specify the land urgently required.

(3) Unless possession is taken by the written agreement of the parties concerned, the mode of taking possession obviously would be for the authority to go upon the land and to do some act which would indicate that the authority has taken possession of the land. It may be in the form of a declaration by beat of drum or otherwise or by hanging a written declaration on the spot that the authority has taken possession of the land. The presence of the owner or the occupant of the land to effectuate the taking of possession is not necessary; however signatures of the independent witnesses present at the time of taking possession shall be taken on the possession memo.

(4) No hard and fast rule can be laid down as to what act would constitute taking of possession of the acquired land. However, some of the principles laid down for taking the possession of the land are—

(i) If the acquired land is vacant, the act of the concerned State authority to go to the spot and prepare a possession memo, along with the signatures of the villagers/representatives of land management committee, will ordinarily be treated as sufficient to constitute taking of possession;

(ii) If crop is standing on the acquired land or building/structure exists, mere going on the spot by the concerned authority will, by itself, be not sufficient for taking possession. Ordinarily, in such cases, the concerned Authority will have to give prior notice to the occupier of the building/structure or the person who has cultivated the land and take possession in the Presence of independent witnesses and get their signatures on the possession memo. Of course, refusal of the owner of the land or building/structure may not lead to an inference that the possession of the Acquired land has not been taken;

(iii) If beneficiary of the acquisition is an agency/institution of the State and condition has been fulfilled in terms of sub-section (3) and sub-section (5) of section 40 and substantial portion of the acquired land has been utilized in furtherance of the particular public purpose, then it may reasonably be presumed that possession of the acquired land has been taken.

34. (1) In the case of an Irrigation Project, while conducting the survey, the Administrator shall consider the possibility of sufficient land in the command area of the Project. The assessment for the requisition of land shall be as per the request submitted by the affected families for giving land in lieu of compensation.

(2) In consultation with the officers of the concerned department or the project officer, as the case may be, if the Administrator is satisfied that sufficient land in the command area is available, then he shall finalise and put forward with all the details of finalised land to the concerned Collector to take necessary steps to make available of finalised land. Preferably land management committee land can be the best option while selecting the land for the purpose. If he finds that sufficient land is not available then he shall request to Collector to take necessary steps for it.

(3) Each affected family, who's land has been acquired or who has as the consequences of the acquisition of land been reduced to the status of the marginal farmer or landless, shall be given notice by the Collector, that in lieu of the compensation to be paid for land acquired, the eligible area for the grant of land in command area and the cost of the land alongwith the proportionate administrative cost for the acquisition of land, the amount to be deposited with the Collector towards the occupancy price of the land at the time of payment of such compensation of such affected persons.

(4) After receiving the Notice, an affected person, eligible for the grant of land shall give in writing to the Collector that, he is willing to accept the land for land in lieu of compensation for the land acquired.

Procedure to be followed in case of land offered in lieu of compensation

(5) Request of all such persons who has given willingness to accept the land shall be maintained in the Register for this purpose by the Collector. Signature of the Project Affected Persons shall be taken on the said Register. The register shall also contain names of all such affected persons who are eligible for the grant of land but not willing to accept the land for land.

(6) Only after receiving such willingness in writing, the affected person shall be paid the amount of compensation for the land acquired and no further request from him or his heirs regarding land for land shall be considered at later stage.

Choice of annuity

35. (1) The option for onetime payment in lieu of employment shall be given to all affected families, as per the directions issued by the State Government for the projects.

(2) It is in the interest of the affected families in the acquisition affected areas that the Requiring Body makes necessary arrangements for training facilities for development of entrepreneurs, technical and professional skills for self-employment of the affected persons, so as to enable such persons to get the opportunity to find suitable jobs.

(3) In the case of the Irrigation Project the permission for land submergence shall not be given to the requiring body unless infrastructural facilities and basic minimum amenities as per the Third Schedule appended to the Act are completed and transferred to the Local Bodies and land for land is allotted to the eligible and willing Project Affected Persons.

CHAPTER -VIII

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT COMMITTEE

Rehabilitation and
Resettlement
Monitoring
Committee

36. (1) The State Government shall constitute a Rehabilitation and Resettlement Committee at project level to monitor and review the progress of implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme and to carry out post-implementation social audits in consultation with the Gram Sabha in rural areas and Municipal Council in urban areas.

(2) The Committees shall have its first meeting when a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared by an Administrator. The Committee shall discuss the Scheme and make suggestions and recommendations. Thereafter, in subsequent meetings, the Committee shall meet and discuss the progress of the Rehabilitation and Resettlement, as required, till the process of resettlement is concluded. It shall also discuss on different aspects of post-implementation of social audits.

(3) The members of the Committee shall get traveling allowance at the rate specified, from time to time, by the State Government for the Government servants.

(4) The Committee may visit the affected area and discuss with the affected families of the resettlement areas to monitor the resettlement process.

Constitution of State
Monitoring
Committee

37. (1) The State Government shall constitute a State Monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans under the Act.

(2) The State Monitoring Committee shall have its first meeting for reviewing and monitoring the implementation of Rehabilitation and Resettlement Scheme for the Project, as soon as possible, from the approval of the Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Commissioner of Rehabilitation and Resettlement under section 18 of the Act.

(3) The allowances payable to the experts shall be specified, from time to time, by the State Government for the Government servants.

CHAPTER -IX

LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT AUTHORITY

38. (1) The State Government shall establish, by notification in the Official Gazette, the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authorities for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to land acquisition in the State.

Land acquisition, rehabilitation and resettlement authority

(2) The State Government may assign duties, powers and procedure of work to the Authority, by way of notification. The Authority shall exercise the powers and functions defined under the Act and these rules.

(3) The Presiding Officer of an Authority shall be appointed from the officers of the rank of District Judge (super time scale) by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court by issuing notification in the Official Gazette.

(4) The State Government shall, by notification, appoint an officer from Uttar Pradesh Judicial Service of the rank of Civil Judge (Junior Division) as Registrar of the Authority, in consultation with the Chief Justice of the High Court. Other staff including employees such as reader, senior clerk, stenographer, clerks, driver, orderly and peons shall be appointed from the different cadres of the Government servants including the Revenue Department till the creation and posting of the employees from separate independent cadre of land acquisition authority.

(5) The salaries and allowances of the Registrar and other officers and employees of the said Authority shall be the same as they were drawing in their parental Departments and a deputation allowance, which may be determined by the State Government in consultation with the parental department of an employee. The conditions of service shall be thereof same as those applicable to them under the State Government Civil Services Rules.

(6) (a) The Presiding Officer of the said Authority shall get the salary, perks and other allowances, same as they were drawing in their parental Departments and the deputation allowance, which may be prescribed by the State Government in consultation with the High court.

(b) The Presiding officer of the said authority shall discharge their function under the general superintendence of the High Court.

39. The Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority shall have the power of Civil Court in the matters where any rehabilitation and resettlement benefit have been availed of by making a false claim or through fraudulent means. The benefits shall be liable to be recovered by the State Government as an arrear of land revenue, in case of the said benefits have been availed in terms of money, and by evicting a wrongdoer from the land and houses if the said benefits have been availed in the terms of land and houses. The land and houses so vacated shall be used for the rehabilitation and resettlement of the affected persons of the same Project only and shall not be used for any other purpose.

Powers of Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority

CHAPTER -X

MISCELLANEOUS MATTERS

40. (1)(a) The Collector shall cause to be recorded in the revenue papers the area of the portion of each holding which has been acquired and the amount of rent/revenues as payable for it. He shall also ensure that the area acquired for a department/requiring body is shown in the revenue records and necessary entries has been done in favour of concerned department/requiring body.

Entries in revenue records in respect of acquired land

(b) Soon after the completion of acquisition proceedings the Collector / Land acquisition officer shall make a request to the District Collector, for mutation of acquired land in revenue records in form-29, in quadruplicate. The District Collector shall issue Parwana Amal daramad in form-30 in duplicate to the concern record officer.

(c) The concern revenue record officer will return one copy to the Collector /land acquisition office, after duly mutated in revenue records.

(d) In case of acquisition for private entities or companies, the names of the tenure holders concern, whose land has been acquired, has to be expunged and replaced by the concern private entities or companies, whatever be the case. The company may get its name mutated under the prevailing laws in the state.

(e) Where acquisition has been done, a statement of reduction and remission in land revenue shall be prepared village wise for every project in form-31.

(f) The monthly statement regarding reduction/ remission in land revenue shall be submitted in duplicate in the following tabular to the Commissioner and Secretary Board of Revenue, Uttar Pradesh

District	Details of Notification/ Declaration made for acquisition	Number and date of order sanctioning reductions and remission	Amount remitted from.....to.....	Amount reduced from fasli.....
1	2	3	4	5

Capitalized value of land revenue

(2) The capitalized value of land revenue is the aggregate land revenue for certain numbers of years, payable by an acquiring body to State Government to compensate the latter for loss of land revenue, suffered as a result of its reduction in case of compulsory acquisition. The following instructions shall be followed by the Collector:-

(i) The capitalised value of land revenue shall be calculated by multiplying the annual land revenue by one hundred and fifty. In cases where the land is not assessed to land revenue (i.e., villages where record operations or consolidations proceedings are going on) on the date immediately preceding the date of compulsory acquisition. It shall be calculated at the average rate of land revenue per hectare for the entire village;

(ii) The capitalised value of land shall not be charged where land is compulsory acquired for the non-commercial departments of State Governments, but the land revenue shall be remitted in favour of such departments;

(iii) The capitalised value of land revenue shall be charged from all other commercial departments of the State Government. In such cases land revenue will also be remitted with effect from the date of acquisition;

(iv) Local bodies or Societies registered under the Societies Registration Act, 1860, on whose behalf land is compulsory acquired, will however, have an option either to continue paying the land revenue from the date of they are given possession of the land or to pay the capitalised value of the land revenue. In the latter case future land revenue will be remitted;

(v) In cases where land is acquired for the purposes of the Union Government or Central Government department shall be liable to pay one hundred times of land revenue as capitalised value.

Register of appropriations of land

41. The Collector shall cause to maintain in register of all permanent appropriations of land for public purposes or for a company. The entries in the register shall be made chronologically, and not necessary by department wise. They shall be made in the first instance as soon as the requiring body or department submit its request for acquisition and the requiring body has been informed of the cost of the acquisition.

42. Where any land acquired under the Act remains unutilized for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the State Government by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing the necessary written order by the State Government in this behalf by taking the possession of acquired land. If the Requiring Body does not hand over the possession of the land then the Magistrate shall take possession of the land by giving prior notice to the Requiring Body concerned and hand it over to the State Government.

Reversion of land
to original land
owner

CHAPTER XI

REMOVAL OF DIFFICULTIES

43. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the Government may, by order, make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of the Act or these rules as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Power to remove
difficulties

Provided that no such power shall be exercised after the expiry of a period of two years from the date of commencement of these rules.

(2) Every order made under this rule shall be laid, as soon as may be after it is made before the State Legislature.

By order,
ARVIND KUMAR,
Pramukh Sachiv.

FORM 1

[Sub-rule (1) of rule 3]

PRELIMINARY NOTIFICATION TO CARRY OUT SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

SIA Notification

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat / Municipality / Municipal Corporation, as the case may be, at village / ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall be undertaken as per the provisions of section 4 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

- Name of Requiring body :
- Purpose of proposed acquisition of land:
- Organization to undertake the study:
- Contact details of the Organization:
- Land details:

District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be acquired

- Brief description and benefits arises from the proposed project:
- The project area and the affected areas:
- Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?
- The date of completion of SIA:

NOTE-The details can be had from the office of Collector (for the purpose of acquisition) in all working days.

By order
State Government/Collector

FORM-2**[Sub-rule(1) of rule 5]****Terms of Reference for the Social Impact Assessment**

The State SIA Agency will review the proposal for land acquisition sent by the Collector and prepare a project-specific Terms of Reference (ToR) which shall include the followings:-

- (1) A brief description of the project, project area and the extent of lands Proposed for acquisition;
- (2) The objectives of the SIA and all the activities that must be carried out by the SIA team;
- (3) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the SIA process, based on the size and complexity of the project and land Acquisition and whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is Required to be sought.
- (4) The appropriate size and profile of the SIA team required (including field Surveyors if needed) to conduct the SIA for the specific project.
- (5) A project-specific budget based on the ToR, with a clear break-up of Costs for each item/activity.
- (6) The schedule for the disbursement of funds to the SIA team tied to Clearly defined deliverables in the SIA process.
- (7) The processing fee will be determined based on the ToR and budget Developed for each specific project and will be based on the size and Location of the project and the land proposed for acquisition.

FORM -3**[Sub-rule(5) of rule 6]****Format for Social Impact Assessment report**

- A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the SIA
- ___ Demographic details of the population in the project area
 - o Age, sex, caste, religion
 - o Literacy, health and nutritional status
 - ___ Poverty levels
 - ___ vulnerable groups
 - o Women, children, the elderly, women-headed households, the differently abled
 - ___ Kinship patterns and women's role in the family
 - ___ Social and cultural organization
 - ___ Administrative organization
 - ___ Political organization
 - ___ Civil society organizations and social movements
 - ___ Land use and livelihood
 - o Agricultural and non-agricultural use
 - o Quality of land-soil, water, trees etc.
 - o Livestock
 - o Formal and informal work and employment
 - o Household division of labour and women's work
 - o Migration
 - o Household income levels
 - o Livelihood preferences
 - o Food security
 - ___ Local economic activities
 - o Formal and informal, local industries

- Access to credit
- Wage rates
- Specific livelihood activities women are involved in Factors that contribute to local livelihoods
- Access to natural resources
- Common property resources
- Private assets
- Roads, transportation
- Irrigation facilities
- Access to markets
- Tourist sites
- Livelihood promotion programmes
- Co-operatives and other livelihood-related associations
- Quality of the living environment erceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations
- Settlement patterns
- Houses
- Community and civic spaces
- Sites of religious and cultural meetings
- Physical infrastructure (including water supply, sewage systems etc.)
- Public service infrastructure (schools, health facilities, anganawadi centers, public distribution system)
- Safety, crime, violence
- Social gathering points for women

B. Key impact areas.

Impacts on land, livelihoods and income

- _____ Level and type of employment
- _____ Intra-household employment patterns
- _____ Income levels
- _____ Food security
- _____ Standard of living
- _____ Access and control over productive resources
- _____ Economic dependency or vulnerability
- _____ Disruption of local economy
- _____ Impoverishment risks
- _____ Women's access to livelihood alternatives

Impacts on physical resources

- _____ Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
- _____ Pressures on land and common property natural resources for livelihoods

Impacts on private assets, public services and utilities

- _____ Capacity of existing health and education facilities
- _____ Capacity of housing facilities
- _____ Pressure on supply of local services
- _____ Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
- _____ Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

Health impacts

- _____ Health impacts due to in-migration
- _____ Health impacts due to project activities with a special emphasis on
- _____ Impact on women's health
- _____ Impact on the elderly

Impacts on culture and social cohesion

- ___ Transformation of local political structures
- ___ Demographic changes
- ___ Shifts in the economy-ecology balance
- ___ Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
- ___ Crime and illicit activities
- ___ Stress of dislocation
- ___ Impact of disruption of family cohesion
- ___ Violence against women

Impacts at different stages of the project cycle

The type, timing, duration, and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

Pre-construction phase

- ___ Interruption in the delivery of services
- ___ Drop in productive investment
- ___ Land speculation
- ___ Stress of uncertainty

Construction phase

- ___ Displacement and relocation
- ___ Influx of migrant construction workforce
- ___ Health impacts on those who continue to live close to the construction site

Operation phase

- ___ Reduction in employment opportunities compared to the construction phase
- ___ Economic benefits of the project
- ___ Benefits on new infrastructure
- ___ New patterns of social organization

De-commissioning phase

- ___ Loss of economic opportunities
- ___ Environmental degradation and its impact on livelihoods

Direct and indirect impacts

___ "Direct impacts" will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families

___ "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land (*i.e.* Direct land and livelihood losers), but those living in the project area.

Differential impacts

- ___ Impact on women, children, the elderly and the different abled
- ___ Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and

Vulnerability and Resilience Mapping**Cumulative impacts**

- ___ Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts of the project in question

- ___ Impact on those not directly settled in the project area but based peripherally or even regionally

Table of Contents for SIA Report and Social Impact Management Plan

TABLE	
Chapter	Contents
Executive Summary	<ul style="list-style-type: none"> • Project and public purpose • Location • Size and attributes of land acquisition • Alternatives considered • Social Impacts • Mitigation measures • Assessment of social costs and benefits
Detailed Project Description	<ul style="list-style-type: none"> • Background of the project, including developers background and governance/management structure • Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 • Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks • Examination of alternatives • Phases of project construction • Core design features and size and type of facilities • Need for ancillary infrastructural facilities • Work force requirements (temporary and permanent) • Details of SIA/EIA if already conducted and any technical feasibility reports • Applicable legislations and policies
Team composition, approach, methodology and schedule of the SIA	<ul style="list-style-type: none"> • List of all team members with qualifications. Gender experts to be included in team • Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for SIA • Sampling methodology used • Overview of information/data sources used. Detailed reference must be included separately in the forms • Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted. Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the Report must be included in the forms
Land Assessment	<ul style="list-style-type: none"> • Describe with the help of the maps, information from land inventories and primary sources • Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) • Total land requirement for the project • Present use of any public, unutilized land in the vicinity of the project area • Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of

Chapter	Contents
	<p>land required for the project</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantity and location of land proposed to be acquired for the project • Nature, present use and classification of land and if agricultural land, irrigation coverage and cropping patterns • Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses • Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years
<p>Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimation of the following types of families that are • A family which does not own any land but a members of such family may be agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct rights, share croppers or artisans or who may be working in the affected areas for three years prior to the acquisition of the land, whose primary source of livelihood stand affected by the acquisition of the land • The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights • Depend on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood • Have been assigned land by the State Government or the Central government under any of its schemes and such land is under acquisition • Have been residing on any land in the urban areas for proceeding three years or more prior to the acquisition of the land • Have depended on the land being acquired as a primary source of livelihood • hood for three years prior to the acquisition • Indirectly impacted by the project (not affected directly by the acquisition of own lands) • Inventory of productive assets and significant lands
<p>Socio-economic and cultural profile (affected area and resettlement site)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Demographic details of the population in the project area • Income and poverty levels • Vulnerable groups • Land use and livelihood • Local economic activities • Factors that contribute to local livelihoods • Kinship patterns and social and cultural organization • Administrative organization • Political organization

Chapter	Contents
	<ul style="list-style-type: none"> Community-based and civil society-organisations Regional dynamics and historical change processes Quality of the living environment
Social impacts	<ul style="list-style-type: none"> Framework and approach to identifying impacts Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a direct/indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable cumulative impacts Indicative list of impacts areas include impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts
Analysis of costs and benefits and recommendation on acquisition	<ul style="list-style-type: none"> Final conclusion on assessment of public purpose, less-displacing alternatives, minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts; the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation measures described in the SIMP will address the full range of social impacts and adverse social costs. The above analysis will use the equity principle as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not
References and Forms	<ul style="list-style-type: none"> For reference and further information

FORM -4

[Sub-rule(7) of rule 6]

Format for Social Impact Management Plan

- Approach to mitigation
- Measures to avoid, mitigate and compensate impact
- Measures that are included in the terms of R&R and compensation as outlined in the Act
- Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal
- Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the SIA process and public hearings
- The SIMP must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity

FORM-5

(Rule 14)

FORM OF CONSENT / DECLARATION BY LAND OWNER

S.No.	Details of the Person Concerned					
1	Name of the person(s) in whose name the land is registered:					
2	Name of the spouse:					
3	Name of father/ mother/natural guardian :					
4	Address :					
5	Village/Mohalla/Gram Panchayat/ Municipality/ Township/district (If residing address is different from the area under project than details should be given for all residing addresses)					
6	Name of other members in the family with age: (including children and adult dependents)					
	Sl. no.	Name and parentage	age	relation	contact details	address and contact number
7	Details of the land owned					
(i)	Agricultural produce area					
(ii)	Area covered with any structures/ properties ,details of property shall be given					
8	Any other right, including tenancy, if any [which falls under the definition given under section 3(c) of the Act]					
9	Any disputes in regards to any land, details should be given					
10	Purchase /Agreement to sell/leases/grants, if any					
11	Whether is free from all the encumbrances, details if any					
12	Regarding the acquisition of my land by the government, I wish to state the following (comments, if any)					

LATEST
PHOTOGRAPH
DULY
ATTESTED

I certify that all the contents given in the consent is believe to be true and best of my knowledge. Have read/read out the contents of this consent form and explained to me in _____ Language and I do not agree to this acquisition/ I agree to this acquisition.

Signature/ Thumb impression of the affected family(s) and date:

Signature and verification by the member Village Panchayat, or Zilla Panchayat, Lekhpal, Gram Panchayat Vikas Adhikari or any Government servant as a witness that he recognizes the person who has given consent.

.....
Date and Signature of designated district official and the representative of the requiring body.

NOTE 1: All information about what will be given to this land owner in exchange for their land and to resettle them must be provided prior to seeking any signature on this form. These terms and conditions must be attached to the form.

NOTE 2: Threaten to any person or to cause them any harm if they refuse to give consent or if they choose to state that they do not give consent on this form shall be punishable. This includes any threat or act that causes them to lose money, that hurts them physically or that results in harm to their family. If any such threat has been made this form, then the Collector may declare it null and void.

FORM-6

[Sub-rule(1) of rule 15]

FORM OF CONSENT / DECLARATION BY GRAM SABHA

We, the undersigned members of the gram sabha of _____
 within _____
 Panchayat of _____

Tehsil _____ district, wish to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this information is incomplete or incorrect and/or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis this gram sabha hereby certifies that it **CONSENTS / REFUSES TO CONSENT** to the proposed _____ project, which will involve the:

- * Acquisition of -----acres of private land
- * Transfer of -----acres of government land to the project
- * Transfer of -----acres of forest land to the project

The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached.

The Gram Sabha also states that any consent is subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor forest produce that they use, and titles to protect and manage their community forests.

[Note: This will have to be certified by this gram sabha separately.]

Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members:

**Date and Signature of designated district officer
 on receipt of the Resolution.**

FORM-7**[Sub-rule (a) of rule16]****Form of application for Acquisition of land for public purpose**

1.	Name of the requiring body, Institution or department applying for acquisition of land	
2.	Name/Names of village, Pargana, Tehsil and District where the land is situated	
3.	Further particulars regarding exact location of land (Plot numbers, boundaries etc.)	
4.	Area proposed for Acquisition (in hectares)	
5.	Object /purpose of Acquisition	
6.	Provision of funds in the budget for the costs of acquisition	
7.	Particulars of existence of any religious or monumental buildings, tombs, graveyards etc. on the land proposed for acquisition.	
8.	Whether acquisition required permanently or temporarily, if temporarily required, then approximate period of Acquisition	
9.	Whether possession wanted immediately, if so, then state the reasons and justification	
10.	Enclosures	

**Signature of Authorised
Officer of Requiring body**

**Signature and seal
Collector**

FORM-8**[Sub-rule (b) of rule16]****Form for Details of Project Report of required land for public purpose**

1. Name of Requiring Body:
2. Name/Location of the Project:
3. Whether the requisition is filed u/s 2(1) (a) to 2(1) (f) of the Act:
4. Whether the requisition is filed u/s 2(2) (a) or (b) of the Act:
5. How many families are affected as described u/s 3(c)(i) to (vi) of the Act:
6. (i) Whether the requisition is filed u/s 40 of the Act:
(ii) If so, than justification?
7. Project Details:
 - i. Village:
 - ii. GramPanchayat /Gram sabha :
 - iii. Block/Municipality/ Pargana:
 - iv. Tehsil:
 - v. District :
8. Whether the land is situated in Scheduled Area:
9. (a) Information regarding standard used in calculating area of land for proposed project.
(b) Whether need of the land is minimum? in this regard particulars be
Furnished of land use.

10. What is the present actual use of land proposed to be acquired?
11. Whether environmental aspect of propose project has also been taken Into Account. What arrangements have been made for removal of Different types of Environmental pollution?
12. Details of the land proposed for acquisition-
 - (a) Total area covered in the project:
 - (b) Total private land to be acquired:
 - (c) Land already available (if any, than details to be given):
 - (d) Private land to be purchased (if any, than details to be given):
 - (e) Any government land present in the proposed project area? if any then details should be given about the status and availability of land:
 - (f) Extent of irrigated multi cropped land (reasons and justification of need of this land should be enclosed):
 - (g) Extent of un irrigated land:
 - (h) Any other land.
- 13 . How many families are affected as described u/s 3(c)(i) to (vi) of the Act:
- 14 . Specify if the acquisition would be done in different stages:
- 15 . Has any part of the land to be acquired already been taken over from the Owners by private negotiation?
16. If so, on what date and on what terms (please state the terms of negotiation in Short and attach the copy of it)
- 17 . Detailed Project Report with the date and decision of issue of Administrative Approval for the project (copy to be attached) :
18. Certificate to the effect that administrative approval has been obtained:
19. Three copies of map showing total project area including proposed acquired area, purchased area and Govt. land, if any :
20. List of enclosed Documents as per *Appendix-I* to the application:

**Signature of the Authorized Officer
of the Requiring Body with seal**

Place:

Date:

Proposal is within prescribed limit under Section 10 of the Act

Signature of Competent authority

**For Administrative Department
The proposal is approved/Disapprove**

**Signature of Competent authority of
Administrative Department**

FORM-9(Part-A)**[Sub-rule (d) of rule 16]****Form for justification and necessity of land required for public purpose**

1. Name of Requiring Body:
2. Name/Location of the Project:
3. Whether proposal is filed u/s 40
(If, yes, reasons thereof) :
4. Purpose of Acquisition of Land:
5. Whether the area situated in scheduled area:
6. How many families, as per the described u/s 3(c)(i) to (vi) of the Act,
are expected to be affect from the proposed acquisition:
7. **Note of reason and justification for the proposed**
Land to be acquired under public purpose

NOTE- (i) The requiring body should certify that the land proposed for acquisition is absolutely bare minimum for the purpose of the project and there are no other less displacing option available;

(ii) A certificate of satisfaction of requiring body shall also be furnished indicating that said project fulfills the definition of public purpose as defined under section 2 of the Act.

Signature of Authorised Officer of Requiring body

FORM-9 (Part-B)**[Sub-rule (3)(iv) of rule 17]****Certificate**

Observation and justification of the Collector for the purpose for the acquisition, whether he is satisfied with the reasons and justification made therein in the proposal submitted by the requiring body that land is necessarily required for public purpose

1- I have carefully examined the proposal submitted by the(name of the requiring body) to acquire the land ofhectares for the public purpose in village....., pargana....., Tehsil....., District..... . I have also made the spot inspection and satisfied with the contents mentioned in the annexed report for this purpose.

2- I also certify that the project for which the land is sought to be acquired has been administratively approved by the concerned body and note of approval has also been submitted along with the proposal.

3- I am satisfied that necessary opportunity of hearing to the land owners inshall also take place while issuing the preliminary notification under section 11 of the Act.

OR,

I am satisfied that in case of applying section 40 of the Act, the provision of section 15 of the Act, are dispensed with. I am also satisfied with the Justification of not affording opportunity of hearing to the land owners.

(strike off whichever is not applicable)

4. I am satisfied with the justification given by the requiring body that the land proposed for acquisition is absolutely bare minimum for the purpose of the project and that there are no other less displacing option available and whether the said project fulfills.

5. I am also satisfied that the said proposal is within the definition of public purpose as defined under section 2 of the Act.

In my opinion, for completing the above project without delay, it is necessary to issue notification under section 11(1) of the Act. I shall comply with all the directions and instructions given to me on issuance of publication of Notification under section 11(1) of the Act and shall act to follow all the process as per the provisions given under Act before handing over of possession of the land to the Requiring body.

Signature of Collector

Opinion of the District Collector:

(Whether he is satisfied with the justification given by the requiring body that the land proposed for acquisition is absolutely bare minimum for the purpose of the project and there are no other less displacing option available and whether the said project fulfills the definition of public purpose as defined under section 2 of the Act;)

Signature of District Collector

Note-This part of certificate shall be given at the time of submission of SIA report and SIMP to the Multi-disciplinary Expert group

FORM-10(a)

[Sub-rule (f) of rule 16]

Certificate of status showing the sufficient funds available for the project

Format of calculation memo for land acquisition proposal under section 11 of the Act

(A) Calculation memo

(Shall be given as per the prevailing circle rate of list declared by the Collector)

1. Total area of private land to be acquired (IN HECTARES).....

2. Rate as per the circle rate list.....

3. Estimated amount of compensation (in Rs).....

(Shall be the market value as determined under section 26 and the first schedule of the Act)

4. Any enhanced amount by the Authority/court or Exgratia (in Rs).....

5. Estimated valuation of things attached to the proposed land or building (inRs).....

6. Any demurrage to be paid for damages caused to the land and standing crops in the process of acquisition (in Rs).....

7. Estimated amount of 100 per cent of solatium (in Rs)

(Shall be the value as determined under section 30 (i) and the first schedule of the Act)

8. Estimated amount of 12 percent (in Rs).....

(Shall be the value as determined under section 30 (iii) of the Act)

9. The capitalised value of the land will be.....

TOTAL ESTIMATED AMOUNT (in Rs).....

(total of 3+4+5+6+7+8) (in words)

10 percent of total estimated amount (in Rs).....

**Signature of Authorised Officer
of Requiring body**

FORM-10(b)**[Sub-rule (f) of rule 16]****Certificate of status of dues, payments and budgetary provision
for the project**

I am satisfied with the estimation of cost for compensation and Rehabilitation and Resettlement submitted in prescribed form by the requiring body relating to.....Hectares of land situated in village.....,pargana.....,Tehsil.....Distt..... for public purpose project,namely.....

2. I Certify, that as per the calculation, 10 percent of estimated compensation and 10 percent of cost of acquisition, total Rs.....(in words)..... of land to be acquired has been deposited. The details are as under:

CHEQUE/NEFT/RTGS NO.....BANK NAME.....

IFSC CODE.....AREA.....DATE.....

3. I certify, that amount of cost of undertaking Social impact assessment study shall be deposited as per the demand raised by the Collector.

4. I certify, that amount due to families affected by project under Rehabilitation and Resettlement has been estimated and the budgetary provisions has been made. The required amount shall be deposited prior to the declaration under section 19 of the Act and all the required benefits will be given to affected families as per the provisions given under the Act.

5. I certify, that no amount of compensation and decretel at present is due upon requiring body.

6. The Department/Requiring body shall also undertake the responsibility to pay the full amount in case of decree by the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority / Hon'ble High Court or Hon'ble Supreme Court as and when asked to do so by the Collector/Appropriate Government.

**Signature of Authorized
Officer of Requiring body**

FORM-11**[Clause (h) of rule 17]****Format for things attached to the proposed land/building**

1. Name of Requiring Body :

2. Name/Location of the Project :

3. Filed under*

[section 2(1) / 2(2)(a) / 2(2)(b)]:

4. Purpose of Acquisition of Land:

5. Project Details :

i. Village :

ii. Gram Panchayat/Gram Sabha :

iii. Block/Municipality/ Pargana:

iv. Tehsil :

v. District :

6. Total area of private land to be acquired (IN HECTARES).....

SCHEDULE OF PROPERTIES

Serial no.	Khasra/gata no.	Name of the tenure holder	Particulars of things (trees, well, tube well, boring, structures etc.)	Measurements (l*b*h) of the structures/covered area/nature and period of construction /total numbers of items situated there upon

Certify that the requiring body has deposit an amount of Rs..... in advance for such payments to be made under valuation of assets. Sufficient budgetary provisions have been made for rest of the amount, which shall be deposited at the time of final calculation/valuation.

Signature of
Authorised Officer
of Requiring body

Certificate of inspection:

Certified that I did the spot inspection on.....(date) with my subordinate Amin sh.(name) and Ahalmad sh.and found the properties mentioned in the schedule, specially that mentioned as structures on the above land. No property other than mentioned in the schedule, was found at the time of inspection.

sd/-

sd/-

(Signature of NaibTehsildar)

(Name of Amin)

(Name of Ahalmad)

Collector

Note: (i) If any such property found at the time of inspection, other than Mentioned in the Schedule, than separate list should be annexed.

(ii) Measurements should be given for each and every items/structures found over the land at the time of inspection.

FORM-12
[Clause(j) of rule16]
Certificate regarding nonexistence of Temple, Mosque, Tomb, Graveyard etc. land

Certified that i have examined the application for acquisition ofHect. of land to be acquired in Village.....Pargana.....Tehsil.....Distt.....for the project, namely..... Due care has been taken while preparing the proposal to avoid religious place and Monumental buildings like TEMPLES,MOSQUES,GRAVEYARDS, TOMBS etc. and no such structure have been included in the proposal.

Signature of Authorised
Officer of Requiring body

Certificate of inspection:

Certified that at the time of spot inspection, no such religious place and Monumental buildings or any other structure were found which has to be alternated or need to be demolished in the process of acquisition.

sd/-

(Name of Amin)

sd/-

(Name of Naib Tehsildar)

Signature of
Collector

FORM-13**[Sub-rule (2)(i) of rule 17]****Certificate of land not being to the public interest or Government interests**

Certified that the proposed plot nos/Gata nos, of which plot numbers and areas given under, are the part of.....Hectares of proposal for land situated in village.....,pargana.....,Tehsil.....Distt..... and the said plots are recorded as private land in the revenue records. The proposed plot numbers has been thoroughly checked from 1359 *fasli* record and *bandobast* records. No such lands, which belongs to GRAM SABHA, DEFINED UNDER SECTION 77 of UTTAR PRADESH REVENUE CODE, 2006, CENTRAL /STATE GOVERNMENT has been included in the proposal.

Serial no.	Plot number/ Gata no.	Area to be acquired (in hectare)	Remarks, if any

CERTIFICATE OF VERIFICATE

Certify that I have checked all the plots/gata numbers given in the schedule from the revenue records of 1359 *fasli* year as well as from the CH-41 and CH-45. Initials have been made in each page of schedule.

Signature and Name of the area Lekhpal

checked and verified by me and found correct.

Signature Name of the area Revenue inspector

Submitted. A copy of the prepared record has been kept in tehsil records.

Signature of the Tehsildar with seal.

NOTE- If the village concern is under record operations or consolidation then the prepared khasra shall be checked, verified and signed by the subordinate staff and concern ARO/SOC.

sd/-

(Name of ahelmad)

sd/-

(Name of head clerk)

Signature of Collector

FORM-14**[Sub-rule (2)(ii) of rule17]****Certificate of land not belonging to CEILING LAND**

Certified that the proposed Plot numbers /Gata nos, of which plot numbers and areas given under, are the part of.....Hectares of proposal for land situated in village.....,pargana.....,Tehsil.....Distt..... and the said plots are recorded as private land in the revenue records. No such lands, which belongs to CEILING LAND (URBAN OR RURAL) has been included in the proposal.

Serial no.	Plot number/ Gata no.	Area to be acquired (in hectare)	Remarks, if any

**Signature of officer
with seal**

**(OFFICER INCHARGE
OF CEILING AT DISTRICT
LEVEL)**

Note- The office in charge of ceiling land at district level may call upon report from Tehsildar/ ARO/SOC for verification of such land in the area.

sd/-

(Name of ahelmad)

sd/-

(Name of head clerk)

Signature of Collector

FORM-15**[Sub-rule (3)(i) of rule17]****PRELIMINARY ENQUIRY BY COLLECTOR FOR THE SUBMITTED PROPOSAL OF
REQUIRING BODY****POINTS FOR PRELIMINARY ENQUIRY**

1-	Whether the names of village and pargana are correct as per the revenue records?	
2-	Whether the plan of the proposed land and area to be acquired are correct?	
3-	Whether LA forms ,LA-I,LA-II,LA-IV(a)(b) have been prepared as per the revenue records? If yes, then ensure that these forms have been duly signed by the competent authority of records.	
4-	What are the land revenue and the capitalized value of the land being acquired?	

5-	Whether the proposed land in the Zamindari abolition area or non Zamindari abolition area? Details should be given for holding and non-holdings areas. Also the details of Gram Sabha, local bodies, Government should be separately given.	
6-	If any Gram sabha land falls under the periphery of the project, then what would be status of such land after the acquisition? whether any improvement have taken place on it? If so then what will be the estimated cost for such improvements?	
7-	Whether the proposed land contains banzar/culturable/grove/abadi commercial land?	
8-	Whether the proposed land has potential to develop industries, commercial or abadi sites?	
9-	Whether part of any structure is situated upon the proposed land, whose acquisition is necessary? If so, then proper estimated value has been calculated for the payment of structures?	
10-	(i) Whether the proper estimation of due compensation, values of assets, Rehabilitation and Resettlement benefits have been included in the proposal. (ii) Whether the necessary provision have been made by the requiring body for the purpose of payments of compensation under different components? (iii) Whether the stipulated amount of cost of acquisition has been deposited before the Collector as an advance amount?	
11-	If the land is to be given in lieu of compensation then the details of such land to be furnished?	
12-	Whether any easement rights exists on the proposed land? If so, then details should be attached.	
13-	Whether the land can be acquired through negotiations with the affected farmers?	
14-	Whether any <i>banzar</i> or uncultivated land is available within the periphery of ½ miles of the project?	
15-	Whether any religious, monumental construction or tomb, temple, graveyard etc. included in the proposed acquisition? If yes, then the consent from those religious community has been taken or not? If taken then it must be ensure that all such documents have been submitted by the requiring body.	
16-	Is there any possibility of agitation likely to be raised against the proposed acquisition? If so, then details should be given.	
17-	(i) Whether any proposal for acquisition has ever been under consideration for the same proposed land? If yes, then what is the status of that proposal? (ii) whether any other proposal is under consideration for the same land at any other level? Details thereof.	
18-	(i) Whether the land proposed to be acquired is necessarily required? (ii) whether the land proposed considered to be the minimum required land for the public purpose? (iii) Whether the required land is in consistence with the provision contained in the section 10 of the Act?	
19-	Whether the proposed land is vacant at present and no constructions, permanent or temporary, have been started by the requiring body?	
20-	Whether the requiring body has ensure that they shall deliver the benefits under Rehabilitation and Resettlement as per the Act?	
21-	Whether any Gram sabha, local bodies, Government, ceiling, etc. has been included in the proposed land?	
22-	Whether any forest area land, special area land included in the proposal? If yes, then details should be given.	

23-	Status of people who are likely to be affected from the proposed acquisition: (i) SC/ST..... (ii) Freedom fighters..... (iii) landless farmers..... (iv) marginal farmers..... (v) Any other.....	
-----	--	--

sd/-

sd/-

(Name of Amin)

(Name of Ahamed)

Signature of Collector

Note-This report shall be submitted at the time of issuing of preliminary notification.

FORM-16(a)

[Sub-rule (3)(ii) of rule17]

Form for khasra

NAME OF THE REQUIRING BODY -

NAME OF THE PROJECT -

YEAR -

VILLAGE :

PARGANA :

TEHSIL :

DISTRICT :

FASLI YEAR :

Khasra of land propose to be acquired

SERIAL NO.	KHATA NO.	PLOT/ KHASRA NO.	TOTAL AREA OF PLOT/ KHASRA NO. AS PER THE REVENUE RECORDS	TOTAL AREA TO BE ACQUIRED UNDER PRESENT PROPOSAL
1	2	3	4	5

NAME OF THE RECORDED LAND HOLDER			TENANT/ SUB TENANT IN NON-ZA AREAS	WHETHER ANY ASAMI AREA, THEN DETAILS	SOIL CLASS, IF ANY
PROPERITOR/ SUB PROPERITOR IN NON ZA- AREAS	BHUMIDHAR/ GOVERNMENT				
	CLASS I A	CLASS II			
6	7	8	9	10	11

MALGUZARI OF THE LAND	IRRIGATED/ NON IRRIGATED	SINGLE CROPPED/DOU BLE CROPPED	DESCRIPTION OF THINGS /ASSETS ATTACHED TO LAND SUCH AS TREES, WELL, TUBEWELL, STANDING CROP, ANY STRUCTURES ETC.	REMARKS
12	13	14	15	16

NAME AND SIGNATURE
OF AMIN

NAME AND SIGNATURE OF
NAIB TEHSILDAR (LA)

CERTIFICATE OF VERIFICATE

Certify that all the entries made therein khasra has been checked by me from the revenue records as well as from the CH-41 and found correct. Initials have been made in each page of khasra.

Signature-

Name of the area Lekhpal-

Certify that all the entries made therein khasra has been checked by me from the revenue records and found correct.

Signature-

Name of the area Revenue inspector-

Submitted: a copy of the prepared record has been kept in tehsil records.

Signature of the Tehsildar
with seal

NOTE- If the village concern is under record operations or consolidation then the prepared khasra shall be checked, verified and signed by the subordinate staff and concern ARO/SOC.

sd/-

sd/-

(Name of ahelmad)

(Name of head clerk) Signature of Collector

FORM-16(b)

[Sub-rule (3)(ii) of rule17]

Form for khatauni

NAME OF THE REQUIRING BODY -

NAME OF THE PROJECT -

YEAR -

VILLAGE :

PARGANA :

TEHSIL :

DISTRICT :

FASLI YEAR :

Khatauni of land propose to be acquired

SERIAL NO.	KHATA NO.	PLOT/KHASRA NO	TOTAL AREA TO BE ACQUIRED UNDER PRESENT PROPOSAL
1	2	3	4

NAME OF THE RECORDED LAND HOLDER		TENANT/ SUB TENANT IN NON-ZA AREAS	WHETHER ANY ASAMI AREA, THEN DETAILS	REMARKS
PROPERITOR/ SUB PROPERITOR IN NON-ZA-AREAS	BHUMIDHAR/ GOVERNMENT			
	CLASS I A	CLASS II		
5	6	7	8	9
				10

NAME AND SIGNATURE
OF AMIN

NAME AND SIGNATURE OF
NAIB TEHSILDAR (LA)

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Certify that all the entries made therein khatauni have been checked by me from the revenue records as well as khatauni *fasli* year 1359 and bandobast/CH-45 and found correct. Initials have been made in each page of khatauni.

Signature-
Name of the area Lekhpal-

Certify that all the entries made therein khatauni has been checked by me from the revenue records and found correct.

Signature-
Name of the area Revenue
inspector-

Submitted: a copy of the prepared record has been kept in tehsil records.

Signature of the Tehsildar
with seal.

NOTE- If the village concern is under record operations or consolidation then the prepared khatauni shall be checked, verified and signed by the subordinate staff and concern ARO/SOC.

sd/-

sd/-

Signature of Collector

(Name of Ahalmad)

(Name of head clerk)

FORM-17

[Sub-rule (1) of rule 20]

REPORT OF LAND ACQUISITION OFFICE

Checked and verified from the relevant records and submitted with preliminary enquiry report (FORM LA-III, Appendix-II) for Collector's approval.

Name & Signature of
Amin

Name & Signature of
Ahalmad

Name & Signature of
NaibTehsildar

State Government/Collector's observation and order.

I have gone through the proposal submitted by the(name of requiring body) with the observations made by the appropriate government for SIA study and SIMP in respect ofHectares in village.....pargana..... tehsil.....District..... I have also made an enquiry into the application made by the requiring body for the acquisition of above land.

2. It is necessary/not necessary to acquire the land for the object stated in the application for the following reasons:-

3. The amount of estimated compensation payable for the land is Rs..... A sum of rupees.....has already been deposited by the requiring body in following manner:-

4. If the land is acquired, the estimated reduction/remittance of the land revenue is as under mentioned:

village/pargana/ tehsil/district	Total numbers of affected khata's	Total affected plot/gata numbers	Numbers of tenure-holders	Total estimated reduction/ remittance in land revenue
-------------------------------------	--	--	------------------------------	--

5. The capitalised value of the land will be Rs....., and the estimated capitalised value of Rs.....has been deposited.

6. Purchase by private negotiations is not desirable /practical for the following reasons-
.....

7. As per the justification of the requiring body, the need of the land for the proposed project is minimum and no such involuntary displacement will take place in the process of acquisition. The required land is in consistent with the provision contained in the section 10 of the Act .

8. The environmental aspect of propose project has also been taken into account and following arrangements have been made for removal of different types of environmental pollution?

9. The details of different variables in the proposed acquisition are as under:-

- Total area covered in the project:.....
- Total private land to be acquired:.....
- Land already available:.....
- Private land to be purchased:.....
- Government land in the project:.....
- Extent of irrigated multi cropped land
- Extent of unirrigated land.....
- Any other land.....

10. The expected number of families are affected as described u/s 3(c)(i) to (vi) of the Act are (breakup wise).....

11. Whether any banjar or uncultivated land is available within the periphery of ½ miles of the project?

12. No religious, monumental construction or tomb, temple, graveyard etc. is included in the proposed acquisition, Or, the necessary consent from those religious community has been taken ?

13. No possibility of any agitation likely to be raised against the proposed acquisition (If so, than details should be given).

14. No proposal for acquisition has ever been under consideration for the same proposed land, Or, another proposal for acquisition/purchase ofHectares of land is under consideration for the same land.

15. The requiring body has given undertaking that they shall deliver the benefits under Rehabilitation and Resettlement as per the provisions of the Act?

16. No Gram sabha, local bodies, Government, ceiling, evacuee property has been included in the proposed land, forest area land, special area land has been included in the proposal.

17. Any other observation, which has to specified by the Collector.....

18. I have considered the application for acquisition and satisfied myself that the acquisition may be allowed to proceed and a notification under section 11 may issue or a reference to be made to the State Government for the issue of necessary notification be issued;

OR,

In my opinion it is not desirable to proceed with the acquisition for the following reasons and a reference may be made to Government.

DATE:

PLACE:

COLLECTOR

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

**PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/ COLLECTOR
[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

.....DEPARTMENT

NOTIFICATION NO.....

DATE.....

NOTIFICATION

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total ofhectares of land is required in the village....., Pargana....., Tehsil....., district.....is required for public purpose, namely, project.....through.....(name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

.....
.....
.....

4. A total of..... families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:—

.....
Deputy Collector/Assistant Collector..... is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN HECT)
1	2	3	4	5	6

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days)after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order

(.....)

State Government/Collector

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/ COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

.....DEPARTMENT

NOTIFICATION NO.....

DATE.....

NOTIFICATION

Whereas Preliminary notification no.....dated..... was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect ofhectares of land in village....., Pargana....., Tehsil....., district.....is required for public purpose, namely, project..... through.....(name of requiring body) and lastly published on dated.....The Deputy Collector/Assistant Collector..... was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent ofhectares in village.....pargana.....district....., as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector ofto publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA (IN HECT)
1	2	3	4	5	6

SCHEDULE-B
(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECT)
1	2	3	4	5	6

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,

(.....)

Secretary/ Authorised officer.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR
[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

By the order of declaration made under Government notification no.....dated.....,for.....hectares of land in village....., pargana....., Tehsil....., district.....is required for public purpose, namely, project.....through.....(name of requiring body), I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

.....
The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

By order,

(.....)

Collector.

FORM-20 (a)

(rule 29)

GENERAL NOTICE UNDER SECTION 21(1) AND (2) OF THE ACT

Under of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) has issued notification no..... sub-section (1) of section 11 and declaration no.....dated under section 19 of the Act to appropriate land to the extent ofhectares in the village....., Pargana.....,Tehsil....., district.....is required for public purpose, namely, project.....through.....(name of requiring body).

To this effect, this is to give notice that all persons having an interest in the land are required to appear personally, or by an agent or advocate at the office of Collector(for the purpose of land acquisition).....(office address) at.....pm/am on the.....day of20....and to state the nature of their respective interests in the land and amount and particulars of their claims to compensation for such interests, their claims to rehabilitation and resettlement along with their objections, if any, to the measurements made under section 20 of the Act.

The details of the land given as under:-

DISTRICT	PARGANA/ TEHSIL	VILLAGE/ TOWN	PLOT NO/ GATA NO	AREA OF THE LAND (IN HECT)
1	2	3	4	5

NAME OF THE RECORDED TENURE HOLDER/PROP./SUB PROPRIETER/ BHUMIDHAR/GOVERNMENT LESEE	NAME OF THE TENANTS/SUB TENANTS/ASAAMIS, IF ANY,	PURPOSE FOR WHICH LAND IS REQUIRED
6	7	8

This notice has been issued for general information on date.....with signature and seal.

COLLECTOR.

NOTE-Notice shall be published in the manner prescribed under section 21 (1) and (2) of the Act.

FORM-20 (b)

(rule 29)

GENERAL NOTICE UNDER SECTION 21(4) AND (5) OF THE ACT, 2013

TO,

Sh./Smt./Km.....

S/O/D/O/W/O.....

Residing at.....

Under of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh / Collector (for the purpose of Appropriate Government) has issued notification no..... sub-section (1) of section 11 and declaration no.....dated under section 19 of the Act to appropriate land to the extent ofhectares in the village....., Pargana.....,Tehsil....., district.....is required for public purpose, namely, project.....through.....(name of requiring body).

To this effect, this is to give you notice that you are required to appear personally, or by an agent or advocate at the office of Collector(for the purpose of land acquisition).....(office

address) at.....pm/am on the.....day of20....and to state the nature of their respective interests in the land and amount and particulars of their claims to compensation for such interests, their claims to rehabilitation and resettlement along with their objections, if any, to the measurements made under section 20 of the Act. The details of the land given as under-

DISTRICT	PARGANA/ TEHSIL	VILLAGE/ TOWN	PLOT NO/ GATA NO	AREA OF THE LAND (IN HECT)
1	2	3	4	5

NAME OF THE RECORDED TENURE HOLDER/PROP./SUB PROPRIETER/BHUMIDHAR/ GOVERNMENT LESEE	NAME OF THE TENANTS/SUB TENANTS/ASAAMIS, IF ANY,	PURPOSE FOR WHICH LAND IS REQUIRED
6	7	8

This notice has been issued on date.....with my signature and seal.

COLLECTOR.

FORM-21

[Sub-rule(1)(c) of rule 30]

LIST OF EXAMPLERS SALE DEEDS

VILLAGE/TOWN :
PARGANA/TEHSIL :
DISTRICT :
NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING :
BODY :
NAME OF THE PROJECT :
NOTIFICATION DETAILS U/S 11 OF THE ACT :
AND ITS PUBLICATION DATE :
WHETHER PROVISIONS OF SECTION 40 :
APPLIED :

SERIAL NO.	DATE OF EXECUTION OF SALE DEED/ AGREEMENT TO SELL	SALE DEED OR AGREEMENT	NAME OF THE VILLAGE	NAME OF THE VENDOR	NAME OF THE VENDEE	PLOT/ PLOTS NOS. SOLD	AREA SOLD
1	2	3	4	5	6	7	8

SOIL CLASS	HEREDITARY RATE	SALE PRICE	PRICE PER HECTARE/PER SQ.METER	PLOT AND PRICE SELECTED AS REPRESENTATIVE BY COLLECTOR	REMARKS
9	10	11	12	13	14

SIGNATURE & NAME OF
THE AHALMAD

SIGNATURE & NAME OF
THE ACCOUNTANT

COLLECTOR

FORM -22

[Clause (d) of sub-rule (1) of rule 30]

FORM FOR VALUATION OF BUILDINGS, TREES, WELLS, TUBEWELLS, CROPS ETC. ATTACHED TO LAND TO BE ACQUIRED

VILLAGE/TOWN	:
PARGANA/TEHSIL	:
DISTRICT	:
NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING BODY	:
NAME OF THE PROJECT		
NOTIFICATION DETAILS U/S 11 OF THE ACT AND ITS PUBLICATION DATE	:
WHETHER PROVISIONS OF SECTION 40 APPLIED	:

SR.NO.	KHASRA NUMBER	SERIAL NUMBER OF LA FORM-VII(a)	DESCRIPTION OF THINGS ATTACHED TO LAND [As per Coloum 14 of FORM LA IV(a)]	MEASUREMENTS, DIMENSIONS ETC.
1	2	3	4	5
METHOD OF VALUATION	MARKET VALUE ASSESSED	TOTAL VALUATION OF THINGS ATTACHED TO LAND	REMARKS	
6	7	8	9	

I CERTIFY THAT THE VALUATION MADE THEREIN THE REPORT IS PREPARED ON THE BASIS OF VALUATION OF REPORTS SENT BY.....DEPARTMENT. EVERY CARE HAS BEEN TAKEN WHILE DOING CALCULATION THEREIN.....
(REMARKS, IF ANY)

Prepared by-
Name and signature of Amin

Checked by-
Name and signature of accountant

SIGNATURE OF COLLECTOR

PROFORMA FOR VALUATION OF BUILDINGS, TREES, WELLS, TUBEWELLS, CROPS ETC. ATTACHED TO LAND TO BE ACQUIRED
(To be submitted in duplicate by the authorised valuation office)

VILLAGE/TOWN	
PARGANA/TEHSIL	
DISTRICT	

NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING BODY	
NAME OF THE PROJECT		
NOTIFICATION DETAILS U/S 11 OF THE ACT AND ITS PUBLICATION DATE	
WHETHER PROVISIONS OF SECTION 40 APPLIED	
SCHEDULE OF THE PROPERTY AND ITS VALUATION REPORT		

SR.NO.	KHASRA NUMBER	SERIAL NUMBER OF LA FORM-VII(a)	DESCRIPTION OF THINGS ATTACHED TO LAND [As per Column 14 of FORM LA IV(a)]	MEASUREMENTS, DIMENSIONS ETC.	
1	2	3	4	5	
VALUE ASSESSED	METHOD OF VALUATION	VALUATION OF STANDING CROPS, IF ANY	TOTAL VALUATION OF THINGS ATTACHED TO LAND	REMARKS	
6	7	8	9	10	

Note- (I) Column no. 1, 2, 3 and 4 of the schedule shall be made available by the land Acquisition officer to the concern institution/valuation office.

(II) The schedule for valuation shall be made available, immediately after issuing of notification u/s 11(1) of the Act, to the concern institution/ valuation office by the Collector (land acquisition)

**SIGNATURE OF THE AUTHORISED
VALUATION OFFICER :
DEPARTMENT:**

I CERTIFY THAT THE VALUATION MADE THEREIN THE REPORT IS CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND ASSESSMENT/VALUATION HAS BEEN DONE AS PER THE COMPUTATION METHOD PRESCRIBED..... (REMARKS, IF ANY)

**SIGNATURE OF THE HEAD OF
INSTITUTION WITH SEAL**

[Sub-rule(3) of rule 30]

[Sub-rule(3) of rule 30]

AGGREGATE STATEMENT OF COMPENSATION PAYABLE FOR LAND ACQUIRED

1	NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIREMENT
---	------------------------------------

STATEMENT OF COMPENSATION PAYABLE FOR LAND ACQUIRED		
1	NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING BODY	:
2	DATE OF FILLING REQUISITION BY THE REQUIRING BODY	:
3	DATE OF NOTIFICATION OF SIA UNDER SECTION 4(2)	:
4	AREA UNDER AQUISITION	:
	(i) AREA ACQUIRED UNDER NOTIFICATION/ DECLARATION	:
	(ii) EARLIER ACQ./PURCHASE LAND DURING THE PROCESS OF LAND ACQUISITION	:
	(iii) ANY AREA NOT INCLUDED IN THE PRESENT AWARD DUE TO LITIGATIONS AND STAY ORDERS OF COMPETANT COURTS(LIST SHALL BE ATTATCH WITH DETAILS)	:
	(iv) NET AREA	:
5	VILLAGE/TOWN	:
6	PARGANA/TEHSIL	:
7	DISTRICT	:
8	NOTIFICATION DETAILS U/S 11 OF THE ACT	:
9	DATE OF PUBLICATION OF NOTIFICATION (INCLUDING THE DETAILS IF ANY CLARIFICATION HAS BEEN ISSUED IN RESPECT OF ACQUIRED LAND)	:
10	DECLARATION DETAILS U/S 19 OF THE ACT	:
11	DATE OF PUBLICATION OF DECLARATION (INCLUDING THE DETAILS IF ANY CLARIFICATION HAS BEEN ISSUED IN RESPECT OF ACQUIRED LAND)	:
12	DATE OF ISSUING NOTICE FOR HEARING UNDER SECTION 15(1) OF THE ACT	:
13	DATE OF COMPLETION OF HEARINGS	:
14	LAND FALLS UNDER ZAMINDARI /NON ZAMINDARI ABOLITION	:
15	DATE OF POSSESSION TAKEN BY REQUIRING BODY	:
	(i) BY WAY OF AGREEMENT WITH INTERESTED PERSONS IN ANTICIPATION OF FORMAL ACQUISITION (LIST WILL BE ENCLOSED)	:
	(ii) UNDER SECTION 38(1) OF THE ACT	:
	(iii) UNDER SECTION 40(1) OF THE ACT (CERTIFICATE OF POSSESSION WILL BE ENCLOSED)	:

SERIAL NO.	KHATAUNI KHATA	PLOT/KHASRA/GATA NO.	AREA HECTARES IN OF PLOT ACQUIRED	RATE PER HECTARE APPLICABLE TO PLOT
1	2	3	4	5

MARKET VALUE (AS PER SECTION 26 OF THE ACT)	FACTOR BY WHICH THE MARKET VALUE IS TO BE MULTIPLIED BY 01 IN THE CASE OF URBAN ARAESOR,FACTOR BY WHICH THE MARKET VALUE IS TO BE MULTIPLIED BY 02 IN THE CASE OF RURAL ARAES	TOTAL MARKET VALUE (COLUMN 6+7)	AMOUNT CALCULATED FOR BUILDINGS	AMOUNT CALCULATED FOR TREES
6	7	8	9	10

AMOUNT CALCULATED FOR OTHER STRUCTURES/ OTHER PROPERTIES SITUATED UPON THE PLOT	DAMAGES UNDER SECTION 28 OF THE ACT	TOTAL COMPENSATION VALUE (COLUMN 8+9+10+11+12)	SOLATUM AMOUNT EQUILENT TO 100 PERCENT OF THE COMPENSATION AMOUNT (U/ S 30 OF THE ACT)	TOTAL AMOUNT PAYABLE (IN RS)
11	12	13	14	15

ADDITIONAL COMPENSATION ON THE MARKET VALUE UNDER SECTION 30 (3) OF THE ACT [NOTE- IN THE CASES OF ACQUISITION UNDER THE NEW ACT, IT SHALL BE @ 12 PERCENT PER ANNUM FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THE SIA NOTIFICATION UNDER SECTION 4(2) OF THE ACT (30 OF 2013) AND IN THE CASE OF OLD ACT,IT SHALL BE THE DATE OF NOTIFICATION OF SECTION 4(1) OF THE LAND ACQUISITION ACT]	TOTAL COMPENSATION PAYABLE (IN RS) (COLUMN 15+16)	GRAND TOTAL OF AMOUNT SETTELED (IN WORDS AND IN FIGURE)	EXPLANATION OF VARIATION, IF ANY, BETWEEN ESTIMATED AND PROPOSED AMOUNT OF COMPENSATION
16	17	18	19

SIGNATURE OF AHALMAD

SIGNATURE OF ACCOUNTANT

COLLECTOR

FORM-24

LAND ACQUISITION AWARD

[Sub-rule(3) of rule 30]

1.	CASE NO AND DATE OF AWARD	
2.	NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING BODY		
3.	DATE OF FILLING REQUISITION BY THE REQUIRING BODY		
4.	DATE OF NOTIFICATION OF SIA UNDER SECTION 4(2)		
5.	AREA UNDER AQUISITION		
	(i) AREA ACQUIRED UNDER NOTIFICATION/ DECLARATION		
	(ii) EARLIER ACQ./PURCHASE LAND DURING THE PROCESS OF LAND ACQUISITION		
	(iii) ANY AREA NOT INCLUDED IN THE PRESENT AWARD DUE TO LITIGATIONS AND STAY ORDERS OF COMPETANT COURTS(LIST SHALL BE ATTATCH WITH DETAILS)		
	(iv) NET AREA		
6.	VILLAGE/TOWN		
7.	PARGANA/TEHSIL		
8.	DISTRICT		
9.	NOTIFICATION DETAILS U/S 11 OF THE ACT		
10.	DATE OF PUBLICATION OF NOTIFICATION (INCLUDING THE DETAILS IF ANY CLARIFICATION HAS BEEN ISSUED IN RESPECT OF ACQUIRED LAND)		
11.	DECLARATION DETAILS U/S 19 OF THE ACT		
12.	DATE OF PUBLICATION OF DECLARATION DATE OF PUBLICATION OF DECLARATION (INCLUDING THE DETAILS IF ANY CLARIFICATION HAS BEEN ISSUED IN RESPECT OF ACQUIRED LAND)		
13.	DATE OF ISSUING NOTICE FOR HEARING UNDER SECTION 15(1) OF THE ACT		
14.	DATE OF COMPLETION OF HEARINGS		
15.	LAND FALLS UNDER ZAMINDARI /NON ZAMINDARI ABOLITION		
16.	DATE OF POSSESSION TAKEN BY REQUIRING BODY		
	(i) BY WAY OF AGREEMENT WITH INTERESTED PERSONS IN		

	ANTICIPATION OF FORMAL ACQUISITION (LIST WILL BE ENCLOSED)		
	(ii) UNDER SECTION 38(1) OF THE ACT		
	(iii) UNDER SECTION 40(1) OF THE ACT (CERTIFICATE OF POSSESSION WILL BE ENCLOSED)		
17.	NAME /NAMES OF TOTAL TENURE HOLDER(ALONG WITH PARENTAGE AND ADDRESS) , PLOT NUMBER AND AREA ACQUIRED , (SEPERATE SHEET OF DETAILS MUST BE ATTACHED WITH THE AWARD)	
18.	NUMBERS OF OTHER PERSONS INTERESTED IN THE LAND AND THE NATURE OF THEIR RESPECTIVES INTERESTS	
19.	THE STATEMENT OF SALE DEED OR SALE FIGURE PREECIDINGS THREE YEARS FROM THE DATE OF NOTIFICATION U/S 11(1) SHUOLD BE ATTATCH		
20.	MARKET VALUE (AS PER SECTION 26 OF THE ACT)		
21.	(i) FACTOR BY WHICH THE MARKET VALUE IS TO BE MULTIPLIED BY 01 IN THE CASE OF URBAN ARAE OR, FACTOR BY WHICH THE MARKET VALUE IS TO BE MULTIPLIED BY 02 IN THE CASE OF RURAL ARAES	
	(ii) AMOUNT CALCULATED FOR BUILDINGS	
	(iii) AMOUNT CALCULATED FOR TREES		
	(iv) AMOUNT CALCULATED FOR OTHER STRUCTURES /OTHER PROPERTIES SITUATED UPON THE PLOT		
	(v) DAMAGES UNDER SECTION 28 OF THE ACT		
22.	TOTAL COMPENSATION VALUE [(i) to (v)]	
23.	SOLATIUM AMOUNT EQUIVALENT TO 100 PERCENT OF THE COMPENSATION AMOUNT (U/ S 30 OF THE ACT)	
24.	TOTAL COMPENSATION PAYABLE (IN RS)	
	(IN FIGURE)		

25.	(vi) ADDITIONAL COMPENSATION ON THE MARKET VALUE UNDER SECTION 30(3) OF THE ACT (NOTE- IN THE CASES OF ACQUISITION UNDER THE NEW ACT, IT SHALL BE @ 12 PERCENT PER ANNUM FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THE SIA NOTIFICATION UNDER SECTION 4(2) OF THE ACT 30 OF 2013 AND IN THE CASE OF OLD ACT, IT SHALL BE THE DATE OF NOTIFICATION OF SECTION 4(1) OF THE LAND ACQUISITION ACT)	
26.	GRAND TOTAL OF AMOUNT SETTELED (IN RUPEES AND IN FIGURE)	
27.	EXPLANATION OF VARIATION, IF ANY, BETWEEN ESTIMATED AND PROPOSED AMOUNT OF COMPENSATION		
28.	PARTICULARS OF ABATEMENT OF CAPITALISE VALUE, IF ANY, TO BE REALISED (CALCULATION SHOULD BE ENCLOSED)	
29.	COST OF ACQUISITION/ ESTABLISHMENT CHARGES/ CONTINGENCIES CHARGES TO BE REALISED (CALCULATION CHART SHOULD BE ENCLOSED)	
30.	WHETHER COMPENSATION STATEMENTS CORRECTLY PREPARED? HAS IT BEEN ATTACHED?	
31.	DATE OF INSPECTION AND (INSPECTION MEMO SHOULD BE PART OF AWARD)		
32.	(i) DATE OF ISSUE OF NOTICES U/S 20(1) OF THE ACT (ii) LAST DATE OF SERVICES OF NOTICES U/S 20(1) OF THE ACT (iii) DATE FIXED FOR OBJECTIONS U/S 20(1) OF THE ACT		
33.	WHETHER SERVICE OF NOTICES HAS BEEN DONE IN THE MANNER DESCRIBED UNDER SECTION 21 OF THE ACT?		
34.	NUMBER OF OBJECTIONS FILED BY THE INTERESTED PERSONS		
35.	NAMES OF THE PERSONS INTERESTED IN THE LAND AND DETAILS IN RESPECT OF NATURE OF THEIR RESPECTIVE INTERESTS		
36.	SUMMARY OF ENQUIRY INTO THE OBJECTIONS (DETAILED DESCRIPTION/ SATISFACTORY DISCUSSION SHALL BE MADE WHILE DISPOSING OFF THE OBJECTIONS)		

37.	SR.NO.	NAME OF CLIAMANTS	AMOUNT PAYABLE TO EACH	MODE OF PAYMENT	REMARKS
	1	2	3	4	5
	APPORTIONMENT OF THE AMOUNT OF COMPENSATION PAYABLE -				
38.	DATE OF POSSESSION		:	

This award has been declared and duly signed by me on date.....The copy of the award has been published in the website of District on date.....for the information of general public.

Prepared by-
Name and signature of Amin

Checked by-
Name and signature of accountant

**SIGNATURE OF
COLLECTOR (LAND ACQUISITION)/
COLLECTOR OR COMPETANT
AUTHORITY**

FORM-25

[Sub-rule(1) of rule 31]

AWARD FOR REHABILITATION AND RESETTLEMENT AWARD SHALL BE MADE FOR EACH AFFECTED FAMILY IN TERMS OF ENTITLEMENT

1.	LAND ACQUISITION CASE NO.	-
2.	NUMBER AND DATE OF NOTIFICATION ISSUED UNDER SECTION 11(1) OF THE ACT	-
3.	NUMBER AND DATE OF DECLARATION ISSUED UNDER SECTION 19 (1) OF THE ACT	-
4.	TOTAL AREA OF LAND UNDER DECLARATION (IN HECT)	-
	VILLAGE/TOWN	
	PARGANA/TEHSIL	
	DISTRICT	
8.	NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING BODY	
9.	KHASRA/PLOT NUMBERS AND AREA OF THE TENURE HOLDER FOR WHICH COMPENSATION IS TO BE SETTLE	

	(i) PLOT NUMBER AND AREA ACQUIRED UNDER NOTIFICATION/ DECLARATION					
	(ii) EARLIER ACQ./PURCHASE LAND DURING THE PROCESS OF LAND ACQUISITION					
	(iii) NET AREA FOR CALCULATION OF ENTITLEMENTS UNDER REHABILITATION AND RESETTLEMENT					
10.	NAME/NAMES OF ALL THE PERSONS IN AN AFFECTED FAMILY WITH PARENTAGE AND ADDRESS (ONLY LAND OWNERS)					
11.	NAME/NAMES OF ALL OTHER PERSONS IN AN AFFECTED FAMILY (WHOSE LIVELIHOOD IS PRIMARILY DEPENDENT ON LAND ACQUIRED) AND THE NATURE OF THEIR RESPECTIVES INTERESTS					
12.	ENTITLEMENTS UNDER REHABILITATION AND RESETTLEMENT					
Sl. no.	Element of R&R entitlements	Name of beneficiary	Number of items and calculation	Monetary Entitlements/ Amount payable (inRs.)	Non-monetary entitlements/ provisions	
1	2	3	4	5	6	
(i)	Housing unit to be allotted in case of displacement					
(ii)	Land for land (in case of irrigation land)					
(iii)	Offer for developed land					
(iv)	Annuity					
(v)	Subsistence grant for displaced families (for a period of one year)					
(vi)	Transportation cost					
(vii)	Cattle shed cost					
(viii)	Petty shops cost					
(ix)	One time grant for artisan small traders and certain others					
(x)	Fishing rights					

(xi)	One time Resettlement allowance					
(xii)	Any other entitlement					
13.	TOTAL					

AN AMOUNT OF RS.....(In figure) has been paid to the beneficiary mentioned in column 3 as under-

MODE OF PAYMENT MADE-VOUCHER NO/CHEQUE /RTGS/NEFT

NO.....DATE:.....

Bank name/code no.....

Signature/Signatures of
BENEFICIARY/BENEFICIARIES

ADMINISTRATOR

COLLECTOR

COMMISSIONER

FORM-26

[Sub-rule(9) of rule 31]

PROVISION OF INFRASTRUCTUREAL AMENITIES UNDER REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME FOR FAMILIES DISPLACED DUE TO LAND ACQUISITION

ORDER

Whereas Preliminary notification no.....dated..... was issued under sub-section (1) of 11 of the Right to fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect ofhectares of land in village....., Pargana....., Tehsil....., district.....is required for public purpose, namely, project..... through.....(name of requiring body) and lastly published on dated.....The Deputy Collector/Assistant Collector..... was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

A declaration under section 19(1) of the Act that has been issued on dated.....for the land to the extent ofhectares in village....., pargana....., district..... The land given in the annexed schedule has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

So, I hereby order the requiring body to comply with the provisions of all infrastructural facilities and basic minimum amenities specified in the third schedule of the Act to be provided in resettlement area.

The report of the social impact assessment study and management plan has been annexed herewith.

SCHEDULE

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECT)

COMPONENTS FOR THE RESETTLEMENT

Serial no.	Components	Details of infrastructural facilities to be provided
1.	Roads	
2.	Drainage	
3.	Drinking water	
4.	Drinking water for cattles	
5.	Grazing land	
6.	Fair price shops	
7.	Panchayat Ghar	
8.	Post office	
9.	Fertilizer storage	
10.	Irrigation facilities	
11.	Transport facilities	
12.	Burial or cremation grounds	
13.	Toilets	
14.	Electric connections	
15.	Nutritional services	
16.	Schools	
17.	Sub health centers	
18.	Primary health center	
19.	Play ground	
20.	Community center	
21.	Places of worship	
22.	Separate land for tribal institutions, if any	
23.	Timber forest produce	
24.	Security arrangements	
25.	Veterinary services	

ADMINISTRATOR

COLLECTOR

COMMISSIONER

FORM-27

[Sub-rule(10) of rule 31]

DEVELOPMENT PLAN UNDER REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME FOR FAMILIES OF SC/ ST CLASSES

Sl. NO.	Name of the claimant and address	family head	Entitlements	Remarks

1. Land for land as per the second schedule of the Act.
2. Provision of dwelling housing unit per family- Indira Awasojna, Drinking Water facility toilette etc.

3. Choice of annuity or employment as per second schedule of the Act. Financial assistance as per schedule:
4. For landless laborers employment shall be provided under MNREGA and any other job providing scheme.
5. Skill development through different training programs for the youth of affected family.
6. Subsistence grant for displaced family allowance equivalent to Rupees Three Thousand per month for a year should be granted from the date of award. In addition to this amount the SC's and the ST's displaced from scheduled areas shall receive an amount equivalent to Rs.50000.
7. For cattle shed and petty shop each effected family shall be provided minimum Rupees Twenty Five Thousand.

ADMINISTRATOR

COLLECTOR

COMMISSIONER(R&R)

FORM-28

[Sub-rule(1) of rule 32]

STATEMENT OF AFFECTED PERSONS ENTITLED FOR COMPENSATION AND R&R BENIFITS

NAME OF THE DEPARTMENT/REQUIRING BODY	:
DATE OF FILLING REQUISITION BY THE REQUIRING BODY	:
DATE OF NOTIFICATION OF SIA UNDER SECTION 4(2)	:
AREA UNDER AQUISITION	:
VILLAGE/TOWN	:
PARGANA/TEHSIL	:
DISTRICT	:
NOTIFICATION DETAILS U/S 11 OF THE ACT	:
DATE OF PUBLICATION OF NOTIFICATION	:
DECLARATION DETAILS U/S 19 OF THE ACT	:
DATE OF PUBLICATION OF DECLARATION	:
DATE OF ISSUING NOTICE FOR HEARING UNDER SECTION 15(1) OF THE ACT	:
DATE OF COMPLETION OF HEARINGS	:
DATE OF POSSESSION	:

SERIAL NO.	KHATAUNI KHATA NO.	PLOT/KHASRA/GATA NO.	AREA IN HECTARES OF PLOT ACQUIRED	COMPENSATION PAYABLE (AS PER COLOUM 26 OF PROFORMA-III)
1	2	3	4	5

MONETARY BENEFIT PAYABLE UNDER R&R ENTITLEMENTS (AS PER COLUMN 13 OF PROFORMA-IV)	NAMES AND ADDRESSES OF THE PAYEES	SHARE IN LAND	DETAILS OF PAYMENTS FOR COMPENSATION	DETAILS OF PAYMENTS FOR R&R ENTITLEMENTS	SIGNATURE OF ACCOUNTANT AND COLLECTOR
6	7	8	9	10	11

FORM-29

[Sub-rule(1)(b) of rule 40]

AMALDARAMAD OF ACQUIRED LAND**To,****The District Collector**

.....

In compliance to the declaration no.....dated..... under section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 issued by the Government/Collector published in official gazette on..... the land scheduled below (or annexed herewith) has been acquired for the public purpose.

As a result of decision/award in Land Acquisition case no.....dated and award in Rehabilitation and Resettlement on dated....., the possession of the scheduled land has been taken in favour of Government and handed over to the(name of the requiring body). Hence orders for mutation in revenue records under section may be passed.

Schedule of Acquired land

NAME OF THE TENURE HOLDER WITH PARENTAGE AND ADDRESS	KHATAUNI KHATA NUMBER	KHASRA/ PLOT NUMBER	AREA ACQUIRED (IN HECTARES)	REDUCTION IN LAND REVENUE	REMARKS
1	2	3	4	5	6

DATE..... SEAL..... Land Signature of the Land Acquisition Collector

FORM-30

[Sub-rule (1)(b) of rule 40]

ORDER OF COLLECTOR FOR AMALDARAMAD**TEHSILDAR/SOC/ARO****TEHSIL.....****DISTT.....**

As per the letter of request sent by the Collector (land acquisition) in compliance to the declaration no.....dated..... under section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 issued by the Government/Collector published in official gazette on..... the land scheduled below (or annexed herewith) has been acquired for the public purpose.

The names mentioned in column 1 of the schedule be struck off from the khata/ khasra / plot numbers mentioned in column 2, 3 and 4 and the name of the State Government/Requiring body be mutated in the annual register of current *fasli* year of village.....pargana.....tehsil.....district.....

After amaldaramad one copy of compliance report be sent direct to the Collector(land acquisition), District.....

DATE..... SEAL.....**Signature of the District Collector****FORM-31**

[Sub-rule (1)(e) of rule 40]

STATEMENT OF REDUCTION AND REMISSION IN LAND REVENUE

(to be prepared village wise for every project)

Village -----

Pargana/Tehsil-----

District-----

Name of Project-----

Date of taking over possession-----

Serial No.	Khatauni No.	Khata	Name-parentage and address of Tenure holder	Class of Tenure	Plots No. recorded in Khata
1	2		3	4	5

Total area of Khata	Land Revenue recorded in Khata	Hereditary applicable plots	Rate to	Valuation of plots at hereditary rates	Total valuation of Khata at hereditary rates
6	7	8		9	10

Plot acquired	No.	Area acquired	Valuation of acquired plots at hereditary rates	Total valuation of acquired plots at hereditary rates	Reduction in Land Revenue as a result of acquisition col 14x col 7 col No. 10
11		12	13	14	15

Fasli Year and installment from which L.R. reduced	Date of taking over possession	Fasli years with installments for which remitted L.R.	Initials of Collector (Land Acquisition)	Remarks
16	17	18	19	20

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 595 राजपत्र (हि०)-2016-(1393)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 16 सा० राजस्व-2016-(1394)-2000 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।